

6

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
छठी रिपोर्ट
वर्ष 2003

SIXTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2003



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2006

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
छठी रिपोर्ट
वर्ष 2003

SIXTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2003



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2006

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	1
2. आंकड़ों का विश्लेषण – सामान्य निष्कर्ष	2
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	3
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	7
5. स्थान की भागीदारी	11
6. अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण	14
7. अभिलेखों का सूचीकरण	18
8. अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का संकलन	22
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	26
10. निष्क्रिय आयोग/समितियां	30
11. प्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गयी कार्रवाई	33
12. संगठनात्मक इतिहास	37
13. 'क' श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण	41
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	42
15. संदर्भ माध्यम	43
16. अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण	44
17. अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची की पुनरीक्षा	46
18. परामर्शी कार्य	47
19. प्रशिक्षण	49
20. अभिलेखीय जागरूकता	52
21. प्राथमिकताएं	59

CONTENTS

1. Introductory	1
2. Analysis of the Data : General Observations	2
3. Departmental Records Rooms	3
4. Departmental Records Officers	7
5. Sharing of Space	11
6. Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records	14
7. Indexing of Records	18
8. Compilation of Retention Schedules for Records	22
9. De-Classification of Classified Records	26
10. Defunct Commissions/ Committees	30
11. Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	33
12. Organisational History	37
13. Microfilming of 'A' Category Records	41
14. Appraisal of Non-Current Records	42
15. Reference Media	43
16. Accessions/ Acquisitions of Records	44
17. Vetting of Retention Schedules for Records	46
18. Advisory Work	47
19. Training	49
20. Archival Awareness	52
21. Priorities	59

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में
सूचना प्रेशित करने वाले संगठनों की सूची 61

अनुलग्नक -2

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा
तथा विनश्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में
अर्धवार्षिक विवरणियां प्रेशित करने वाले संगठनों की सूची 69

अनुलग्नक -3

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां
भेजने वाले संगठनों की सूची 75

अनुलग्नक -4

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2003 में आयोजित पांच/तीन दिवसीय
अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विभागीय अभिलेख
अधिकारियों के नाम 81

INTERIMMORY

ANNEXURES

ANNEXURE – I

List of Organizations who have furnished information
on the Implementation of the Public Records Act, 1993. 61

ANNEXURE – II

List of Organizations who have furnished Half-yearly
returns on the progress made by them in Recording, Indexing,
Reviewing, and Weeding of Semi-current Records. 69

ANNEXURE – III

List of Organizations who have furnished half-yearly
returns on De-classification of Classified Records. 75

ANNEXURE – IV

Names of the Departmental Records Officers who have
attended Five/ Three day Orientation Course on Records
Management during 2003. 81

अध्याय 1

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का प्रहरी होने के साथ-साथ यह विभाग लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के तहत अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तदनुसार 1618 अभिलेख सर्जक एजेंसियों, यानी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को परिपत्र सं. 16-12/2004-आर.एम. दिनांक 17 मार्च, 2004 भेजा गया जिसमें उनसे वर्ष 2003 के दौरान उपर्युक्त खंडों पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फार्म-5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम पर अमल के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

1.2 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2003 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गयी कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है:

1. एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
4. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी;
5. समय-समय पर अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को अभिलेखबद्ध करना, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण;
6. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन;
7. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/संशोधन;
8. वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा;
9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन;
10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन; और
11. निष्क्रिय संगठनों आदि के रिकार्ड को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।

1.3 इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त विन्दुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

INTRODUCTORY

The National Archives of India is an attached office of the Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture. Besides being a sentinel of the documentary heritage of the nation, the Department is the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. As per Rule 8 (2) of Public Records Rules, 1997, Director General of Archives, Government of India is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in pursuance of Clause (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter No. 16-12/ 2004-RM dated 17 March, 2004 was issued to 1618 records creating agencies i.e. Ministries/ Departments, Attached and Subordinate Offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2003 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act.

1.2 The present report is compiled on the basis of the data received from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 2003 on the following aspects:-

1. Setting up of an organised Departmental Records Room;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of Records Officers and Staff;
4. Sharing of space for housing semi-current records;
5. Periodical recording, reviewing, and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records;
7. Compilation/ revision of Retention Schedule of Records;
8. Periodical review of classified records;
9. Compilation of Annual indices to records;
10. Compilation of Organisational history, and
11. Transfer of Records of Defunct Bodies etc. to National Archives of India.

1.3 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

आंकड़ों का विश्लेषण

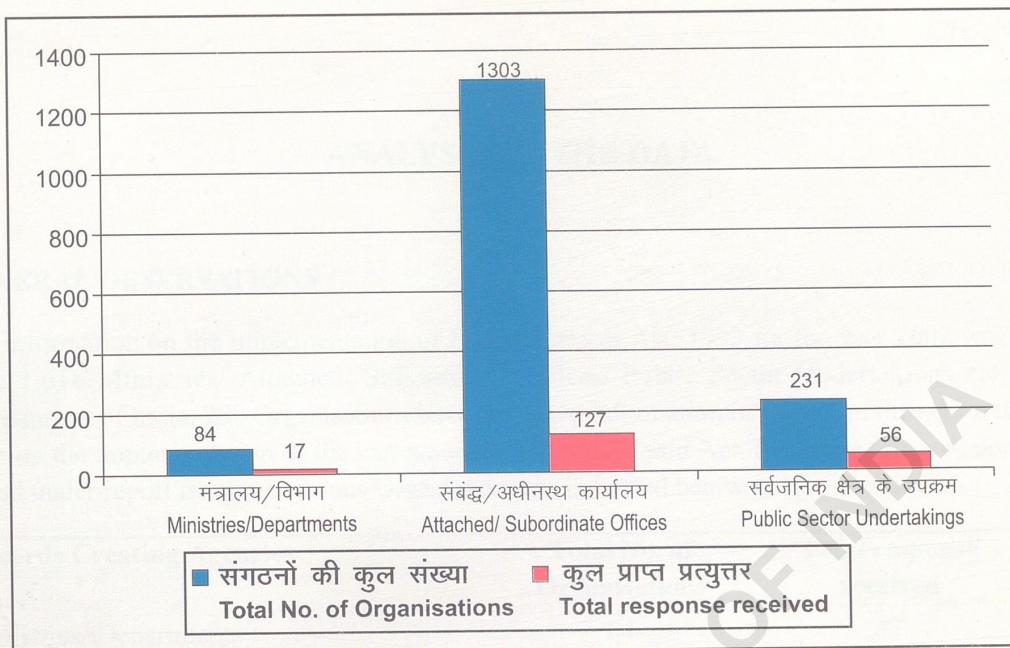
सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2002 में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के 1,618 मंत्रालयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से सूचना मांगी गयी थी। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अमल के बारे में 200 संगठनों ने सूचना उपलब्ध करायी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:

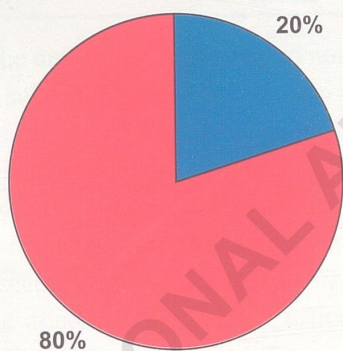
रिकार्ड सर्जक एजेंसियां	संगठनों की कुल संख्या	उत्तरों की कुल संख्या
मंत्रालय/विभाग	84	17
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1,303	127
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	231	56
कुल	1,618	200

2.2 सबसे पहली बात तो यह है कि विभिन्न रिकार्ड सर्जक एजेंसियों में से कुछ ही एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट भेजी हैं जो बड़ा निराशाजनक है। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के सिलसिले में जहां कुल 9.4 प्रतिशत ही उत्तर मिले थे, वहीं वर्तमान रिपोर्ट के लिए उत्तरों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और 12.36 प्रतिशत उत्तर मिले हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के सिलसिले में मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए 32 उत्तरों की तुलना में इस साल कुछ कम, यानी 17 उत्तर ही मिले हैं लेकिन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त उत्तरों की संख्या बढ़कर 127 पहुंच गयी है जबकि पिछले वर्ष यह केवल 102 थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त उत्तरों की संख्या भी बढ़ी है और यह पिछले वर्ष के 49 से बढ़कर इस साल 56 हो गयी है। ऐसा लगता है कि रिकार्ड-प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में तो जागरूकता का स्तर धीरे-धीरे बढ़ रहा है लेकिन मंत्रालयों/विभागों में इसमें गिरावट आती दिखाई दे रही है।

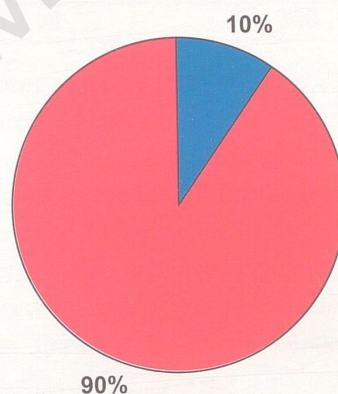
2.3 जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/निगमों/ सांविधिक निकायों आदि ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक-1 में देखे जा सकते हैं।



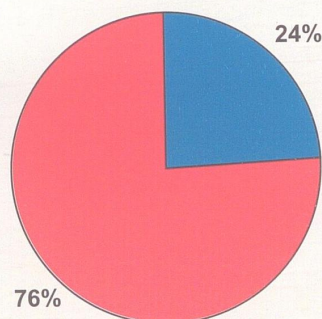
मंत्रालय/विभाग
Ministries/ Departments



संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
Attached/ Subordinate Offices



सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
Public Sector Undertakings



■ कुल प्राप्त प्रत्युत्तर (Total Response Received)
 ■ प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं (Response Not Received)

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

The information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2002 was sought from 1,618 Ministries/ Attached/ Subordinate Offices/ Public Sector Undertakings etc. of the Government of India. 200 Organisations have furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from the various Organisations is indicated below in tabulated form:-

Records Creating Agencies	Total No. of Organisations	Total response received
Ministries/ Departments	84	17
Attached/ Subordinate Offices etc.	1,303	127
Public Sector Undertakings etc.	231	56
Total	1,618	200

2.2 At the outset it is depressing to note the poor response received from different records creating agencies in submitting their reports. The total response for the present report has gone up marginally to 12.36% as against the total response of 9.4% for the last year's report. Though the response of the Ministries/ Departments has slightly declined this year to 17 as against 32 for the last year's report, the same from the attached/ subordinate offices has gone up to 127 as against 102 for the last year's report. The response from the public sector undertakings has also increased from 49 last year to 56 this year. It seems that while level of awareness about the need for managing records is slowly increasing amongst the attached/ subordinate offices, the same has shown a downward trend in the case of Ministries/ Departments.

2.3 The names of the Ministries/ Departments/ Offices as well as the Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc. who have furnished information for incorporation in this report may be seen in **Annexure I**.

विभागीय अभिलेख कक्ष

किसी संगठन के अर्ध-प्रचलित और अप्रचलित अभिलेखों को नष्ट करने या उनके स्थायी संरक्षण हेतु अभिलेखागार को सौंपने के लिए परिपक्व होने से पहले के अनुरक्षण और रख-रखाव के लिए प्रशिक्षित अभिलेखपाल की देखरेख में सुसज्जित और सुनियोजित अभिलेख कक्ष की आवश्यकता होती है। अभिलेखों के भंडारण के लिए समुचित जगह उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी भौतिक सुरक्षा, पर्यावरण संबंधी विषमताओं से बचाव तथा आग व बाढ़ जैसी अन्य आपदाओं से हिफाजत के इंतजाम करने जरूरी होते हैं।

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का अपना-अपना अभिलेख कक्ष होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इन संगठनों को परिपत्र और पत्र भेजकर सुस्थापित विभागीय अभिलेख कक्ष बनाने और अभिलेख कक्ष संबंधी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरा करने का अनुरोध करता रहता है। यह अपने अधिकारियों को भेजकर विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण कराता है और ये अधिकारी अभिलेख के रख-रखाव में सुधार के बारे में सुझाव देते हैं।

3.2 कुल मिलाकर 200 मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों ने सूचना भेजी है। इनमें से जिन 76 मंत्रालयों/विभागों के सुव्यवस्थित अभिलेख कक्ष हैं उनके नाम हैं : नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, विद्युत, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और जल संसाधन मंत्रालय; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक कार्य, व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, आपूर्ति प्रभाग (वाणिज्य विभाग), उर्वरक, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग; नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, आपूर्ति और निपटान, विदेश व्यापार; समन्वित मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौ सेना), महानियंत्रक रक्षा लेखा, महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, विकास आयुक्त का कार्यालय, क्षेत्रीय संचालन प्रभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय और योजना आयोग-सभी नयी दिल्ली स्थित; तम्बाकू विकास निदेशालय चेन्नई और कपास विकास निदेशालय मुंबई; विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई; कोलकाता स्थित वाणिज्यिक आसूचना सांख्यिकी महानिदेशालय, भारत सरकार टकसाल, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (आई.एस. खंड), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और पटसन आयुक्त का कार्यालय; मुंबई स्थित मध्य रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय; बंगलौर स्थित अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी अभियंत्रण संस्थान, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान; धमरोद (जिला सूरत) स्थित केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; कार्यालय रेलवे सुरक्षा आयुक्त लखनऊ; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय उ.प्र. परिमंडल लखनऊ और उत्तरांचल परिमंडल देहरादून; कनिष्ठ डाकपाल, वाराणसी; चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलास्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, और उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय); पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भोपाल; क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र,

DEPARTMENTAL RECORDS ROOMS

Maintenance and servicing of Semi-current and non-current records, till these are either ripe for weeding or for transfer to Archives for permanent preservation needs a properly planned well equipped Records Room manned by a trained Archivist. While providing proper accommodation for storage of records, arrangements are also to be made for their physical safety, security against environment, and other calamities like fire and flood etc.

Under Section 5(2) of Public Records Act 1993 all Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings are to have their own Records Room. National Archives of India have been requesting these organizations to have a well established Departmental Records Rooms by sending circulars and have also been circulating note on the Minimum Requirements of Records Room. It has also been sending its officers for the inspection of the Departmental Records Room, who suggest improvement for its upkeep.

3.2 In all 200 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have sent information out of which 76 Ministries/ Departments have organized Records Rooms. These are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Labour, Non-Conventional Energy Sources, Power, Railways (Railway Board), Shipping, Statistics and Programme Implementation and Water Resources; Departments of Personnel and Training, Economic Affairs, Expenditure, Information Technology, Commerce, Supply Division (Department of Commerce), Fertilizers, Chemicals and Petrochemicals; Offices of the Director General of Civil Aviation, Supplies and Disposals, Foreign Trade; Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Controller General of Defence Accounts, Directorate Generals of Central Reserve Police Force, Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Office of the Development Commissioner, Field Operation Division. President Secretariat, Secretariat of Vice President, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, and Planning Commission, all in New Delhi; Directorates of Tobacco Development, Chennai and Cotton Development, Mumbai; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai; Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, India Government Mint, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Central Statistical Organisation (I.S. Wing), National Sample Survey Organisation and Office of the Jute Commissioner, all in Kolkata; Central Railway General Manager's Office, Mumbai; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, National Tuberculosis Institute, Regional Vocational Training Institute for Women, all in Bangalore; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat); Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantpur (A.P.); Indian Bureau of Mines, Nagpur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Offices of the Chief Postmaster General (U.P. Circle), Lucknow and (Uttaranchal Circle), Dehradun; Junior Postmaster, Varanasi; Terminal Ballistic Research Laboratory, and Northern Regional Office (Ministry of

जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश); सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क गुलबर्गा और औरंगाबाद; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बेलगांव, बेल्लारी और हुबली; नागपुर स्थित मुख्य आयकर आयुक्त और उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क आयुक्त; नमक आयुक्त कार्यालय जयपुर और औरंगाबाद; इलाहाबाद स्थित शासकीय परिसमापक उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) अजमेर, चंडीगढ़ और कोच्चि; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; महानिदेशालय दीपस्तंभ और दीपपोत, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।

3.3 निम्नलिखित संगठनों ने सूचित किया है कि उनके पास व्यवस्थित अभिलेख कक्ष नहीं हैं : विस्तार निदेशालय नई दिल्ली, विपणन और निरीक्षण, गुवाहाटी, बाजरा विकास जयपुर और गेहूं विकास गाजियाबाद; अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय) सेना मुख्यालय क्यू.एम.जी. शाखा, एम.जी.ओ. शाखा, एम.एस. शाखा, ई-इन-सी शाखा और ए.जी. शाखा, सेना खेल नियंत्रण ब्यूरो, सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, आय कर निपटान आयुक्त, आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली और अहमदाबाद; नयी दिल्ली स्थित आंचलिक परिषद के सभी कार्यालय; कोलकाता स्थित भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कार्यालय तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 कार्यालय; अतिरिक्त क्षेत्रीय आय कर आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय जांच ब्यूरो)-2, मुंबई; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद और चंडीगढ़; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय गुवाहाटी, तिरुअनंतपुरम, भोपाल, शिमला, बंगलौर, भुवनेश्वर, पटना और अहमदाबाद; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा (जिला सम्बलपुर); क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर; मुख्य महा डाकपाल (हरियाण परिमंडल) अम्बाला, (उड़ीसा परिमंडल) भुवनेश्वर; मुख्य महा डाकपाल रांची; महा डाकपाल (विजयवाड़ा क्षेत्र) विजयवाड़ा; कानपुर, देहरादून और गाजियाबाद स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और मुख्य आय कर आयुक्तों के कार्यालय और सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त हुबली; महानिदेशक आय कर अहमदाबाद; केन्द्रीय मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी अंचल), गाजियाबाद; उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; महिलाओं के लिए क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हिसार और अनुसंधान, डिजायन और मानक संगठन लखनऊ।

3.4 निम्नलिखित एजेंसियों ने शून्य रिपोर्टें भेजी हैं : नयी दिल्ली स्थित महिला और बाल विकास विभाग; डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन; विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, कम्प्यूटर सेंटर, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग और कर्मचारी चयन आयोग और कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) इलाहाबाद; मुंबई स्थित भारत में शत्रु-संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय; आय कर आयुक्त (अपील), आय कर आयुक्त मुंबई और लुधियाना; आय कर निदेशक, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान अराईमाइल (तूरा) मेघालय; राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र गाजियाबाद।

3.5 कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन), इलाहाबाद ने सूचित किया है कि वे अपना अभिलेख अनुभाग की स्टील की अलमारी में रख रहे हैं।

Environment and Forest), both in Chandigarh; Western Regional Office, (Ministry of Environment and Forest) Bhopal; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Offices of the Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Gulbarga and Aurangabad; Assistant Commissioner of Central Excise in Belgaum, Bellary and Hubli; Chief Commissioner of Income Tax and Commissioner of Central Excise and Customs, both in Nagpur; Office of the Salt Commissioner, Jaipur and also at Aurangabad; Office of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts Allahabad and Nainital, Allahabad; National Film Archive of India, Pune; Offices of the Regional Labour Commissioner (Central) Ajmer, Chandigarh and Kochi; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Directorate General of Lighthouses and Lighthships, Noida (U.P.)

3.3 The following organisations have informed that they do not have an organized Records Room:- Directorates of Extension, New Delhi, Marketing and Inspection, Guwahati, Millets Development, Jaipur and Wheat Development, Ghaziabad; Additional Directorates General (Administration and Coord) Army Headquarters, QMG Branch, MGO Branch, MS Branch, E-in-C Branch, and AG Branch; Services Sports Control Board, Armed Forces Film and Photo Division, Central Pension Accounting Office, Income Tax Settlement Commissions, Commissioner of Income Tax (Appeals), Delhi and Ahmedabad; Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Botanical Survey of India, Central Reference Library, Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985, all in Kolkata; Office of the Additional Regional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, Mumbai; Regional Evaluation Offices, Chennai, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur, Lucknow, Hyderabad and Chandigarh; Project Evaluation Offices, Guwahati, Thiruvananthapuram, Bhopal, Shimla, Bangalore, Bhubaneswar, Patna and Ahmedabad; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Offices of the Chief Postmaster General (Haryana Circle), Ambala, (Orissa Circle), Bhubaneswar; Chief Postmaster General, Ranchi, Office of the Postmaster General (Vijayawada Region), Vijayawada; Central Excise Commissionerate, and Offices of the Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur, Dehradun, Ghaziabad and Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Hubli; Director General of Income Tax, Ahmedabad; Central Standards Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Regional Vocational Training Institute for Women Hissar, and Research Designs and Standards Organisations, Lucknow.

3.4 The following Agencies had submitted NIL reports:- Departments of Women and Child Development and Publication; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Computer Centre, Data Processing Division and Staff Selection Commission, all in New Delhi and Staff Selection Commission (Central Region), Allahabad; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Offices of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Commissioner of Income Tax, all in Mumbai; and also at Ludhiana; Director of Income Tax, Bhubaneswar, Regional Vocational Training for Institute for Women, Araimile (Tura) Meghalaya; National Biofertiliser Development Centre, Ghaziabad.

3.5 Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad had informed that they are keeping their records in Steel Almirah in section

3.6 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 30 उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि उनके यहां सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष हैं। इनके नाम हैं: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण; प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड; मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड; भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड; भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड; इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड; भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद; जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड); केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई; कोलकाता स्थित बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड; मुंबई स्थित सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), मजगांव डॉक लिमिटेड और मुंबई बंदरगाह न्यास; हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड अंबलमुगल (एर्णाकुलम) और रसायनी, रायगढ़; फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उत्तर प्रदेश); राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रोपड़; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, न्येवेली; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड बंगलौर; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोट्टायम), हैदराबाद स्थित पाउडर मैटलर्जी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केन्द्र और भारत डायनामिक्स लिमिटेड; नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर; विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन; मर्मुगाव पोर्ट ट्रस्ट गोवा और ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी।

3.7 नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष बनाये जा रहे हैं।

3.8 नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम और पटना स्थित गंगा बाढ़ आयोग ने सूचित किया है कि जगह की कमी की वजह से वे विभागीय अभिलेख कक्ष गठित करने में असमर्थ हैं।

3.9 हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड नई दिल्ली; शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड मुंबई और भारतीय रुष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने सूचित किया है कि वे अभी अभिलेख कक्ष नहीं बना पाये हैं।

3.10 सार्वजनिक क्षेत्र के दो और उपक्रमों ने भी शून्य रिपोर्टें भेजी हैं। इनके नाम हैं : मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुंबई और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम।

3.11 भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड नई दिल्ली और प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकंदराबाद ने सूचित किया है कि उनके पास अभिलेख कक्ष नहीं है और वे अपने अभिलेख स्टील की अलमारियों में रख रहे हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता ने सूचित किया है कि संस्थान के विभिन्न विभागों के अपने-अपने अभिलेख कक्ष हैं।

3.12 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते।

3.6 The following 30 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have reported that they have well organized Departmental Records Rooms:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation (PEC) Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, IRCON International Limited, Council of Scientific and Industrial Research, Tribal Co-operation Marketing Development Federation (TRIFD), all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, both in Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mazagon Dock Limited, Mumbai Port Trust, all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal (Ernakulam) and Rasyani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Hindustan Newsprint Limited, Newsprintnagar (Kottayam); International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials and Bharat Dynamics Limited, both in Hyderabad; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa and Brahmaputra Board Guwahati.

3.7 Narmada Control Authority, Indore and Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal have informed that their Records Room are under construction.

3.8 National Textile Corporation Limited, New Delhi and Ganga Flood Control Commission, Patna have informed that they are unable to set up the Departmental Records Room due to insufficient space.

3.9 Hindustan Insecticides Limited, New Delhi, Shipping Corporation of India, Limited, Mumbai and Indian Institute of Tropical Metrology, Pune, have informed that the Records Room are yet to be set up by them.

3.10 There is another category of two Public Sector Undertakings who have furnished NIL reports. These are:- Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai and Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.

3.11 Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi and Praga Tools Limited, Secunderabad have informed that they have no Records Room and are keeping their records in steel Almirahs. Indian Statistical Institute, Kolkata has informed that the individual departments of the Institute have their separate Records Rooms.

3.12 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that the Public Records Act, 1993 and Public Records Rules, 1997 are not applicable to them.

3.13 इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों से अस्पष्ट उत्तर प्राप्त हुए हैं: नई दिल्ली स्थित स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई; चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड; एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड कोलकाता; मुंबई स्थित भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सम्बलपुर; एच.एम.टी. चिनार घड़ियां लिमिटेड, श्रीनगर; मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मेकॉन) लिमिटेड रांची।

3.13 Besides, vague replies have been received from the following Public Sector Undertakings:- State Farms Corporation of India Limited, and Steel Authority of India Limited both in New Delhi; Bharat Petroleum Corporation Limited, Chennai; Institute of Ocean Management, (Anna University), and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Petroleum Corporation Limited, and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Bharat Earths Movers Limited, Bangalore; Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur; H.M.T. Chinara Watches Limited, Srinagar; Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) कहा गया है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत बताये गये कार्यों को पूरा करने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी एक को अभिलेख अधिकारी मनोनीत करेगी। विभागीय अभिलेख अधिकारी को अपने संगठन के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों के साथ तालमेल कायम करने और उनका मार्गदर्शन करने के साथ-साथ अभिलेखों की प्रतिधारण समय-सरणी के संकलन, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन और 25 वर्ष पुराने स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को संरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित करने का कार्य करना होता है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों से अनुरोध किया है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जितनी जल्दी हो सके अपने यहां विभागीय अभिलेख अधिकारी नामजद कर दें। अब तक 742 संगठनों ने अपने-अपने यहां एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी मनोनीत कर दिया है। रिपोर्टाधीन अवधि में 144 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस संबंध में वांछित सूचना उपलब्ध करायी। इनसे मिले उत्तर का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

4.1 66 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके यहां पूर्णकालिक प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी उपलब्ध हैं। इनके नाम हैं: नई दिल्ली स्थित नागर विमानन, रक्षा, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, विद्युत, रेलवे, पोत परिवहन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय; नई दिल्ली स्थित रसायन और पेट्रो रसायन, वाणिज्य, वाणिज्य (आपूर्ति प्रभाग), आर्थिक मामले, व्यय, उर्वरक, सूचना टेक्नोलॉजी, कार्मिक और प्रशिक्षण, महिला और बाल विकास, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, विदेश व्यापार महा निदेशालय, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नागर विमानन, केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, डेटा प्रसंस्करण प्रभाग, लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, सभी क्षेत्रीय परिषद सचिवालय; पटना स्थित पटसन आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (आई.एस. खंड), मुंबई स्थित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्रण संगठन; मध्य रेलवे, महा प्रबंधक का कार्यालय और क्षेत्रीय मूल्यांकक कार्यालय; कल्याण आयुक्त कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन) इलाहाबाद; दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद; बंगलौर स्थित अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय तटीय इंजीनियरी और मात्स्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय बेलगांव; मुख्य महा डाकपाल (उड़ीसा परिमंडल) भुवनेश्वर; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय), चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय और टर्मिनल बैलास्टिक प्रयोगशाला; उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इन्फोटेक्नाइक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, संस्थान देहरादून; गाजियाबाद स्थित केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी और मध्य क्षेत्र) और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge the functions as outlined under Section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to co-ordinate and guide various Sections/ Divisions of their respective Organisations as well as liaising with the Director General of Archives regarding the Compilation of Records Retention Schedule of Substantive functions, appraisal of non-current records, transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for preservation. Taking this into consideration, National Archives of India has requested all the Organisations falling under the purview of the Act to nominate Departmental Records Officer at their earliest. So, far 742 organisations have nominated one of their officers as Records Officers. During the period under report 144 Ministries/ Departments/ Offices have furnished the requisite information in this regard. Details of the replies received are given below.

4.1 66 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have full time trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Labour, Non-Conventional Energy Sources, Power, Railway, Shipping, Statistics and Programme Implementation; Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Commerce (Supply Division), Economic Affairs, Expenditure, Fertilizers, Information Technology, Personnel and Training, Women and Child Development; President's Secretariat, Secretariat of the Vice-President of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission,, Directorates General of Foreign Trade, Supplies and Disposal, Central Reserve Police Force and Civil Aviation, Central Pension Accounting Office, Data Processing Division, Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science and Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Office of the Jute Commissioner, Central Reference Library, Central Statistical Organisation (I.S. Wing), National Sample Survey Organisation and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, all in Kolkata; Central Railway, General Manager's Office and Regional Evaluation Office, both in Mumbai; Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), Allahabad; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery and National Tuberculosis Institute, all in Bangalore; Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Belgaum; Office of the Chief Postmaster General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Northern Regional Office, Bhopal; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Office of the Regional Labour Commissioner (Central), and Terminal Ballistics Research Laboratory, all in Chandigarh; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Central Drugs Standard Control Organisation (North and Centre Zone) and National Biofertiliser Development, both in Ghaziabad; Regional Directorate of Apprenticeship Training Hyderabad; Office of the Salt Commissioner, Directorate of Millets Development both in

प्रशिक्षण निदेशालय हैदराबाद; जयपुर स्थित नमक आयुक्त का कार्यालय और बाजरा विकास निदेशालय; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर; लखनऊ स्थित रेल सुरक्षा आयोग और मुख्य महा डाकपाल (उत्तर प्रदेश परिमंडल); लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी; नागपुर स्थित मुख्य आयकर आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क आयुक्त एवं भारतीय खान ब्यूरो; दीपस्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय नोएडा; केन्द्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)।

4.2 निम्नलिखित 64 कार्यालयों ने अस्पष्ट/कोई उत्तर नहीं दिया है या वे उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते हैं या कहा है कि यह उन पर लागू नहीं होता। इनके नाम हैं : नयी दिल्ली स्थित प्रकाशन विभाग, रक्षा लेखा महा नियंत्रक, विकास आयुक्त, प्रसार निदेशालय, अतिरिक्त महा निदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, ई-इन-सी शाखा, ए.जी. शाखा, सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना मुख्यालय, आयकर आयुक्त (अपील), कर्मचारी चयन आयोग, कम्प्यूटर केन्द्र, क्षेत्रीय संचालन डिवीजन, क्षेत्रीय विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, आंचलिक परिषद सचिवालय; चेन्नई स्थित सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय और तम्बाकू विकास निदेशालय; कोलकाता स्थित तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 कार्यालय और स्वापक औषधि एवं मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 कार्यालय, महा निदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय; मुंबई स्थित आयकर आयुक्त (अपील) आयकर आयुक्त, अतिरिक्त आयकर आयुक्त का कार्यालय (सीआईबी)-2, कपास विकास निदेशालय और भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) का कार्यालय अजमेर; अहमदाबाद स्थित आयकर आयुक्त (अपील) और आय कर महा निदेशक के कार्यालय; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय; सरकारी अभिसमापक उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल; मुख्य महा डाकपाल (हरियाणा परिमंडल) अम्बाला; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय बंगलौर; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बेलगाम और बेल्लारी स्थित कार्यालय; पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भोपाल; आयकर निदेशक (अन्वेषण) कार्यालय भुवनेश्वर; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा (जिला सम्बलपुर); क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़; देहरादून स्थित मुख्य आयकर आयुक्त और मुख्य महा डाकपाल (उत्तरांचल परिमंडल) के कार्यालय; क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर; गाजियाबाद स्थित मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय और गेहूं विकास निदेशालय; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क गुलबर्गा (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी स्थित विपणन और निरीक्षण निदेशालय और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हिसार; हुबली स्थित सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय; हैदराबाद और जयपुर स्थित परियोजना मूल्यांकन कार्यालय; कानपुर स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और मुख्य आयकर आयुक्त; लखनऊ स्थित क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय और अनुसंधान, मूल्यांकन और मानक संगठन; लुधियाना स्थित आयकर आयुक्त (मध्य), क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान अरइमिले (तुरा) मेघालय; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय तिरुअनंतपुरम; मुख्य महा डाकपाल रांची; वरिष्ठ डाकपाल वाराणसी और महा डाकपाल (विजयवाड़ा) क्षेत्र, विजयवाड़ा।

Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Commission of Railway Safety and Office of the Chief Postmaster General (U.P. Circle), both in Lucknow; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Offices of the Chief Commissioner of Income Tax and Commissioner of Central Excise and Customs and Indian Bureau of Mines, all in Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.).

4.2 The following 64 Offices have given Vague/ NIL replies or do not feel it necessary or stated that it is not applicable to them:- Department of Publication, Offices of the Controller General of Defence Account, Development Commissioner, Directorate of Extension, Additional Directorate General (Administration and Coord), Army Headquarters, E-in-C Branch, AG Branch, Armed Forces Film and Photo Division, Services Sports Control Board, Armed Forces Headquarters, Commissioner of Income Tax (Appeals), Staff Selection Commission, Computer Centre, Field Operation Division, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs, Regional Evaluation Office and Directorate of Tobacco Development, all in Chennai; Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics Botanical Survey of India and Regional Evaluation Office, all in Kolkata; Commissioner of Income Tax (Appeals), Commissioner of Income Tax, Offices of the Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, Directorate of Cotton Development and Custodian of Enemy Property for India, all in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals) and Directorate General of Income Tax, Project Evaluation Office and Regional Evaluation Office, all in Ahmedabad; Office of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Staff Selection Commission (Central Region), both in Allahabad; Office of the Chief Postmaster General (Haryana Circle), Ambala; Project Evaluation Office, Bangalore; Offices of the Assistant Commissioner of Central Excise, Belgaum and Bellary; Western Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Office of the Director of Income Tax (Investigation), Bhubaneswar; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Regional Evaluation Office, Chandigarh; Offices of the Chief Commissioner of Income Tax and Chief Postmaster General (Uttaranchal Circle), both in Dehradun; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Chief Commissioner of Income Tax, and Directorate of Wheat Development, both in Ghaziabad; Office of the Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Gulbarga (A.P.), Directorate of Marketing and Inspection, and Project Evaluation Office, both in Guwahati; Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar; Offices of the Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, and Assistant Commissioner of Central Excise, both in Hubli; Project Evaluation Offices, Hyderabad and Jaipur; Central Excise Commissionerate and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, both in Kanpur; Regional Evaluation Office, Research Designs and Standards Organisation, both in Lucknow; Office of the Commissioner of Income Tax (Central), Ludhiana; Regional Vocational Training Institute for Women, Araith (Tura) Meghalaya; Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram; Chief Postmaster General, Ranchi; Senior Postmaster, Varanasi and Office of the Postmaster General (Vijayawada Region), Vijayawada.

- 4.3 निम्नलिखित चार संगठनों ने बताया है कि उन्होंने अपने अभिलेख कक्ष विभागीय अधिकारी, अवर श्रेणी लिपिक और दफ्तरी आदि के प्रभार/नियंत्रण में रखे हैं। इन संगठनों के नाम हैं : नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय के समन्वित मुख्यालय (नौ सेना) ने अपने विभागीय अभिलेख कक्ष को विभागीय अधिकारी के प्रभार में सौंप रखा है जबकि चेन्नई स्थित विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र ने अभिलेखों के देखरेख की जिम्मेदारी एक अवर श्रेणी लिपिक को सौंपी है। कोलकाता स्थित भारत सरकार टकसाल ने सूचित किया है कि रिकार्ड रूम की देख-रेख अवर श्रेणी लिपिक द्वारा की जा रही है। धमरोद (सूरत) स्थित केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म ने बताया है कि उनके अभिलेख कक्ष को दफ्तरी देख रहा है।
- 4.4 बंगलौर स्थित क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ने सूचित किया है कि इस कार्य के लिए विभिन्न अनुभागों में अलग-अलग अधिकारी मनोनीत किये गये हैं। कोच्चि स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय ने सूचित किया है कि अलग से कोई विभागीय अभिलेख अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। बहरहाल हर डीलिंग असिस्टेंट कार्यालय अधीक्षक के सहयोग से अभिलेखों की देखभाल करता है।
- 4.5 नई दिल्ली स्थित अतिरिक्त महा निदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, एमजीओ शाखा, क्यूएमजी शाखा और एम.एस. शाखा ने बताया है कि उनके कार्यालयों में अलग से कोई अभिलेख कक्ष नहीं है इसलिए अब तक कोई विभागीय अभिलेख अधिकारी मनोनीत नहीं किया गया है।
- 4.6 निम्नलिखित कार्यालयों ने सूचित किया है कि चूंकि उनके कार्यालय बहुत छोटे हैं इसलिए किसी विभागीय अभिलेख अधिकारी का मनोनयन नहीं किया गया है। इन कार्यालयों के नाम हैं : नई दिल्ली स्थित आयकर निपटान आयुक्त; भोपाल, भुवनेश्वर, पटना और शिमला स्थित परियोजना मूल्यांकन कार्यालय।
- 4.7 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि का सवाल है विभागीय अभिलेख अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में स्थिति इस प्रकार है:
- 4.8 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 35 उपक्रमों में पूर्णकालिक विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं: नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड); केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और टेक्नोलाजी संस्थान चेन्नई; कोलकाता स्थित बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड; मुंबई स्थित मुंबई बंदरगाह न्यास, भारतीय जहाजरानी निगम और मजगांव डॉक लिमिटेड; मर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट गोवा; हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, अम्बलामुगल (एर्णाकुलम); रसायनी (रायगढ़); फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उ.प्र.); राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रोपड़; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, न्येवेली; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोदटायम); हैदराबाद स्थित भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स। एच.एम.टी. चिनार वाचेज़ लिमिटेड श्रीनगर; नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर; मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना; मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रॉपिकल मेट्रालाजी, पुणे; विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास, विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर और ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी।

4.3 Under mentioned 4 Organisations have mentioned that they have placed their Records Rooms under the charge/ control of a Service Officer, Lower Division Clerk and Daftry etc. These are:- Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), New Delhi has placed its Departmental Records Room under the Charge of Service Officer, whereas Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai has nominated Lower Division Clerk (LDC) to look after the records; India Government Mint, Kolkata has mentioned that their records room is being manned by Lower Division Clerk; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (Surat) Stated that their record room is being manned by Daftry.

4.4 Regional Vocational Training Institution for Women, Bangalore has intimated that different officers for different sections have been nominated for this work. Office of the Regional Labour Commissioner, Kochi has informed that no separate Departmental Records Officer has been appointed, however each dealing Assistant along with Office Superintendent take care of the records.

4.5 Additional Directorate General (Administration and Coord), Army Headquarters, MGO Branch, QMG Branch and M.S. Branch, all in New Delhi have mentioned that there is no separate Records Room in their offices therefore no Departmental Records Officer has been nominated so far.

4.6 The offices mentioned below have informed that since their offices are very small, no Departmental Records Officers have been nominated so far. These are:- Income Tax Settlement Commission, New Delhi; Project Evaluation Offices, Bhopal, Bhubaneswar, Patna and Shimla.

4.7 As regards the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc., the position regarding the appointment of Departmental Records Officers, is as follows:-

4.8 The following 35 Public Sector Undertakings have full time Departmental Records Officers:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation (PEC) Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, IRCON International Limited, Council of Scientific and Industrial Research, and Tribal Co-operation Marketing Development Federation (TRIFED), all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, both in Kolkata; Mumbai Port Trust, Shipping Corporation of India, and Mazagon Dock Limited, all in Mumbai; Mormugao Port Trust, Goa; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal (Ernakulam) Rasayani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals, Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Hindustan Newsprint Limited Newsprint Nagar, (Kottayam); Bharat Dynamics Limited, and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, both in Hyderabad; H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Ganga Flood Control Commission, Patna; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Narmada Control Authority, Indore and Brahmaputra Board, Guwahati.

4.9 नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनका विभागीय अभिलेख अधिकारी सेवानिवृत्त हो गया है और अब नये अधिकारी के मनोनयन के लिए प्रयास किये जाएंगे।

4.10 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 9 उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके यहां कोई अभिलेख अधिकारी नहीं हैं। ये उपक्रम हैं : नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान इनसेविटसाइड्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंटेरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण; कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान; मुंबई स्थित मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च; मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) रांची; प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकंदराबाद और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम।

4.11 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्युरेंस कम्पनी लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के दायरे में नहीं आते।

4.12 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 9 उपक्रमों ने बड़े अस्पष्ट से उत्तर दिये हैं: नई दिल्ली स्थित स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड; चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड; एंज्यू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड कोलकाता; मुंबई स्थित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड; तथा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सम्बलपुर और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगालौर।

4.9 National Textile Corporation Limited, New Delhi has informed that their Departmental Records Officer has retired and now efforts will be made to nominate a new one.

4.10 The following 9 Public Sector Undertakings have informed that they have no Records Officer:- Hindustan Insecticides Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, and Steel Authority of India Limited, all in New Delhi; Indian Statistical Institute, Kolkata; Mumbai Railways Vikas Corporation Limited, and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), both in Mumbai; Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi; Praga Tools Limited, Secunderabad and Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.

4.11 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that they are not covered under the Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997.

4.12 The following 9 Public Sector Undertakings have forwarded vague replies:- State Farms Corporation of India Limited, and Indian Railway Finance Corporation Limited, both in New Delhi; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; National Film Development Corporation Limited and Bharat Petroleum Corporation Limited, both in Mumbai; Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur and Bharat Earth Movers Limited, Bangalore.

अध्याय 5

स्थान की भागीदारी

प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन करते समय बड़े पैमाने पर अभिलेखों का सर्जन करती है। यह एक तथ्य है कि कोई भी कार्य पूरा होने के बाद सारे अभिलेख तत्काल नष्ट नहीं किये जाते और इसी से यह बात भी जाहिर हो जाती है कि ये अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। यह देखा गया है कि जगह की कमी या अभिलेखों के महत्व को न समझने की वजह से इनकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती और ये गलियारों, अलमारियों या खुली शेल्फों में पड़े रहते हैं। अभिलेखों को रखने का यह तरीका अवैज्ञानिक और नुकसानदेह है। इस तरह के रिकार्ड को समुचित महत्व देने और उसकी देखभाल के लिए और अभिलेख सर्जक एजेंसियों के पास जगह की कमी को भी ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार, इन एजेंसियों द्वारा अपने उपयुक्त अभिलेख कक्षों की स्थापना होने तक के लिए, सभी संगठनों को अपने नई दिल्ली स्थित सौध भवन तथा भोपाल स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय एवं जयपुर, पांडीचेरी और भुवनेश्वर स्थित अपने अभिलेख केन्द्रों में मिलजुल कर स्थान का उपयोग करने को आमंत्रित कर रहा है।

5.1 सभी 144 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के 56 उपक्रमों ने इस संबंध में सूचना प्रेषित कर दी है। इस सूचना की जांच-पड़ताल से पता चलता है कि 13 कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे मिलजुल कर जगह का उपयोग करने को तैयार हैं, 3 ने अपने मुख्यालयों से संपर्क करने का अनुरोध किया है और बाकी 128 से 'शून्य' उत्तर प्रेषित किया है।

5.2 नई दिल्ली या क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों में जगह की भागीदारी के इच्छुक संगठनों के नाम इस प्रकार हैं : नई दिल्ली स्थित पोत परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग और अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय) एजी शाखा, (सेना मुख्यालय), विदेश व्यापार महानिदेशालय; महा प्रबंधक कार्यालय, मध्य रेलवे मुंबई; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे; जयपुर स्थित नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर अभिलेख केन्द्र में; तम्बाकू महानिदेशालय चेन्नई पांडीचेरी के अभिलेख केन्द्र में स्थान की भागीदारी करना चाहता है और मुख्य महा डाकपाल (उड़ीसा परिमंडल) भुवनेश्वर का कार्यालय; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बेलगांव भुवनेश्वर के अभिलेख केन्द्र में जगह की भागीदारी चाहते हैं।

5.3 निम्नलिखित 3 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके मुख्यालयों से संपर्क किया जाए। इनके नाम हैं : क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई; विपणन और निरीक्षण निदेशालय गुवाहाटी; और मुख्य महा डाकपाल का कार्यालय देहरादून।

5.4 जिन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने 'शून्य' रिपोर्टें भेजी हैं उनके नाम हैं : नागर विमानन मंत्रालय, पर्यावरण और वन, श्रम, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, बिजली, रेलवे (रेलवे बोर्ड), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन और जल संसाधन; प्रकाशन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण, महिला और बाल विकास, व्यय, रसायन और पेट्रो-रसायन, उर्वरक, वाणिज्य, वाणिज्य (आपूर्ति प्रभाग) और सूचना प्रौद्योगिकी; राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, आपूर्ति और निपटान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, आयकर निपटान आयुक्त, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय अभियान प्रभाग

SHARING OF SPACE

Every records creating agency produces a large number of records for implementation of different programmes and policies. The very fact that most of the records are not immediately destroyed as soon as the action is over, shows that these records are of some importance. It has been observed that due to lack of space, or realisation of their importance these are not well cared of and are seen lying in the corridors, almirahs or open shelves. This way of keeping the records is unscientific and harmful. To give due care/ importance to such type of records, and also keeping in mind shortage of space with the Records Creating Agencies, till the time they are able to establish a proper Records Rooms, the National Archives of India has been offering to all organisations to share space in its annexe Building and also at its Regional Office, Bhopal and Records Centres at Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar.

5.1 In all 144 Ministries/ Departments Offices and 56 Public Sector Undertakings have forwarded information in this regard. The scrutiny of this information reveals that 13 offices have informed that they are willing to share space, 3 have requested to contact their head offices remaining 128 have sent NIL replies.

5.2 The Organisations that are willing to share space at New Delhi or at Regional Record Centres are:- Ministries of Shipping, Health and Family Welfare, Defence, Department of Economic Affairs and Additional Directorate General (Administration and Coord) AG Branch, (Army Headquarters), Directorate General of Foreign Trades at New Delhi; General Manager's Office, Central Railway, Mumbai; National Film Archive of India, Pune; Office of the Salt Commissioner, Jaipur at Record Centre Jaipur; Directorate of Tobacco, Chennai wants to share space at Record Centre Pondicherry, and Offices of the Chief Postmaster General (Orissa Circle) Bhubaneswar; Assistant Commissioner of Central Excise Belgaum at Record Centre Bhubaneswar, Record Centre.

5.3 The following 3 offices have sent information that their Headquarters may be contacted these are:-Regional Evaluation Office, Chennai; Directorate of Marketing and Inspection, Guwahati; and Office of the Chief Postmaster General, Dehradun.

5.4 The Ministry/ Departments/ Organisations who have furnished NIL reports are:-Ministries of Civil Aviation, Environment and Forests Labour, Non-Conventional Energy Sources, Power, Railways (Railway Board), Statistics and Programme Implementation, Water Resources; Departments of Publications, Personnel and Training, Women and Child Development, Expenditure, Chemicals and Petrochemicals, Fertilizers, Commerce, Commerce (Supply Division) and Information Technology; President Secretariat, Secretariat of the Vice President of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Offices of the Director General Civil Aviation, Supplies and Disposals, Central Reserve Police Force, Central Pension Accounting Office, Income Tax Settlement Commission, Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science,

अधीनस्थ कार्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग, खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय का समन्वित मुख्यालय (नौसेना), महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय—सभी दिल्ली में; विस्तार निदेशालय नई दिल्ली, तम्बाकू विकास चेन्नई, महानिदेशालय दीपस्तंभ और दीप पोत, नोएडा; कपास विकास मुंबई, गेहूं विकास गाजियाबाद, बाजरा विकास जयपुर, विपणन और निरीक्षण गुवाहाटी; अतिरिक्त महानिदेशालय प्रशासन और समन्वय, एएमजी शाखा, एमजीओ शाखा, एमएस शाखा, ई-इन-सी शाखा, एजी शाखा (सेना मुख्यालय); आयकर आयुक्त (अपील) 25, नई दिल्ली, 7 मुंबई और अहमदाबाद; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र दिल्ली और चेन्नई; कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली और इलाहाबाद; केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन) और राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र — दोनों गाजियाबाद में, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, आई.एस. खंड, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय संगठन, पटसन आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार टकसाल, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 का कार्यालय और स्वापक औषधि और मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का कार्यालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय — सभी कोलकाता में; भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुंबई, अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी अभियंत्रण संस्थान, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बंगलौर — सभी बंगलौर में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय गुवाहाटी, तिरुअनंतपुरम, भोपाल, शिमला, बंगलौर, भुवनेश्वर, पटना, अहमदाबाद और चंडीगढ़; अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन और रेल सुरक्षा आयुक्त — दोनों लखनऊ में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर, क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चिपलिमा (सम्बलपुर) और धमरोद (सूरत), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; टर्मिनल बैलास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) —दोनों चंडीगढ़ में और क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्र) भोपाल; कनिष्ठ महा डाकपाल वाराणसी; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, रांची; हरियाणा परिमंडल अम्बाला; उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ और विजयवाड़ा क्षेत्र विजयवाड़ा; क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश); सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय चेन्नई; आयकर आयुक्त मुंबई और लुधियाना; मुख्य आयकर आयुक्त मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, देहरादून, नागपुर; अतिरिक्त आयकर आयुक्त (सीआईबी)—11, मुंबई; आयकर निदेशक, भुवनेश्वर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त औरंगाबाद, हुबली, गुलबर्गा, नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बेलगाम; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानपुर; शासकीय परिसमापक कार्यालय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल; कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण संगठन — दोनों इलाहाबाद में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), कोच्चि, अजमेर और चंडीगढ़; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर, हिसार और अरइमिले (तूरा); क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय हैदराबाद; फेरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर, उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन देहरादून और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी।

5.5 राष्ट्रीय अभिलेखागार/क्षेत्रीय अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी के बारे में सूचना उपलब्ध कराने वाले 56 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों में से केवल एक संगठन — हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम

Field Operation Division Subordinate Office, Computer Centre, Data Processing Division, Sports Control Board, Armed Forces Film and Photo Division, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Officer of Controller General of Defence Accounts, all in New Delhi; Directorates of Extension, New Delhi, Tobacco Development, Chennai, Lighthouses and Lighthships, Noida; Cotton Development, Mumbai, Wheat Development, Ghaziabad, Millet Development, Jaipur, Marketing and Inspection, Guwahati; Additional Directorate Generals of Administration and Coord, AMG Branch, MGO Branch, MS Branch, E-in-C Branch, AG Branch (Army Headquarters); Commissioners of Income Tax (Appeals) XXV, New Delhi, VII, Mumbai and Ahmedabad; Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Delhi and Chennai; Staff Selection Commissions, New Delhi and Allahabad; Central Drugs Standards Control Organisations (North Zone) and National Biofertiliser Development Centre, both in Ghaziabad; National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Botanical Survey of India, National Sample Survey Organisation and Central Statistical Organisation, I.S. Wing, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistical Organisation, Office of the Jute Commissioner, India Government Mint, Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulator (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Central Reference Library, all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai, Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, National Tuberculosis Institute Bangalore, all in Bangalore; Regional Evaluation Offices, Chennai, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Lucknow, Hyderabad and Jaipur; Project Evaluation Offices, Guwahati, Thiruvananthapuram, Bhopal, Shimla, Bangalore, Bhubaneswar, Patna, Ahmedabad and Chandigarh; Research Designs and Standards Organisation and Commission of Railway Safety, both in Lucknow; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur, Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar, Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (Sambalpur) and Dhamrod (Surat), Indian Bureau of Mines, Nagpur Terminal Ballistics Research Laboratory, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest), both in Chandigarh, and Regional Office (Western Region) Bhopal; Junior Postmaster General, Varanasi; Offices of Chief Postmaster General, Ranchi, (Haryana Circle) Ambala, (U.P. Circle), Lucknow and (Vijayawada Region), Vijayawada; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Offices of the Commissioner of Customs, Chennai, Commissioner of Income Tax, Mumbai and Ludhiana; Chief Commissioner of Income Tax (Meerut), Ghaziabad, Kanpur, Dehradun, Nagpur, Additional Commissioner of Income Tax, (CIB)-11, Mumbai. Director of Income Tax, Bhubaneswar; Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad, Hubli Gulbarga, Nagpur, Central Excise, Belgaum; Assistant Commissioner of Central Excise, Kanpur; Offices of the Official Liquidator, Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts at Allahabad and Nainital and Welfare Commissioner Labour Welfare Organisation, both in Allahabad; Offices of the Regional Labour Commissioner (Central), Kochi, Ajmer and Chandigarh; Regional Vocational Training Institutes for Women, Bangalore, Hissar and Araimile (Tura); Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Foreman Training Institute, Jamshedpur, Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun, and Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.

5.5 Out of 56 Public Sector Undertakings Statutory Bodies etc. who have furnished information regarding sharing of space in National Archives of India, Regional Office Record Centres only one organisation i.e. Hindustan Latex limited, Thiruvananthapuram has showed its willingness to share

ने मिलजुल कर जगह का इस्तेमाल करने के बारे में सहमति दी है, जबकि मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल ने सूचित किया है कि बोर्ड इस बारे में बाद में निर्णय करेगा।

5.6 निम्नलिखित 33 सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निकाय आदि किसी न किसी कारण से अभिलेख भंडारण क्षमता में हिस्सेदारी को तैयार नहीं हैं। इनके नाम हैं : हिन्दुस्तान इनसेक्टसाइड्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन, इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन – सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और टेक्नोलाजी संस्थान चेन्नई; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान – दोनों कोलकाता में; मुंबई बंदरगाह न्यास, मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड और सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च – सभी मुंबई में; हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड अम्बलामुगल (एर्णाकुलम) और रसायनी (रायगढ़); फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उ.प्र.), राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रोपड़; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड न्येवेली; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड बंगलौर; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोट्टायम); इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स और भारत डायनामिक्स लिमिटेड – दोनों हैदराबाद में; प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद; नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर; मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी पुणे; विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास तूतीकोरिन; मर्मुगाओ बंदरगाह न्यास गोवा; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना।

5.7 5 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों की एक अन्य श्रेणी भी है जिन्होंने सूचित किया है कि स्थान की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है या उन्हें ऐसा नहीं करना है। इनके नाम हैं : राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण; प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड और मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड – सभी नयी दिल्ली में; शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड मुंबई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता।

5.8 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं होता उनके नाम हैं : जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) नई दिल्ली और मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई।

5.9 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई ने बताया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के दायरे में नहीं आते हैं।

5.10 इसके अलावा निम्नलिखित 13 सार्वजनिक उपक्रमों ने शून्य/अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किये हैं। ये हैं : स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड; इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण – सभी नई दिल्ली में; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड – दोनों मुंबई में; चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) – दोनों चेन्नई में; इंड्रू यूल्स एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सम्बलपुर; एच.एम.टी. चिनार वाचेज़ लिमिटेड श्रीनगर और मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मीकॉन) लिमिटेड रांची।

space while Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal has informed that a decision in this matter will be taken by its board in due course.

5.6 The following 33 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are unwilling to share records storage space for one reason or the other. These are:- Hindustan Insecticides Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCON International Limited, Council of Scientific and Industrial Research, and National Textile Corporation Limited, all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and Indian Statistical Institute, both in Kolkata; Mumbai Port Trust, Mumbai Railway Vikas Corporation Limited and Society of Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal (Ernakulam) and Rasyani (Raigad). The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Hindustan Newsprint Limited, Newsprintnagar (Kottayam); International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, and Bharat Dynamics Limited, both in Hyderabad; Praga Tools Limited, Secunderabad; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa; Narmada Control Authority, Indore; Brahmaputra Board, Guwahati and Ganga Flood Control Commission, Patna.

5.7 There is yet another category of 5 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have forwarded the information that the sharing of space is not necessary or not required by them. These are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation (PEC) Limited and Minerals and Metals Trading Corporation Limited, all in New Delhi; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata.

5.8 Public Sector Undertakings that have intimated that it is not applicable to them, are:- Tribal Co-operation Marketing Development Federation (TRIFED), New Delhi; and Mazagon Dock Limited, Mumbai.

5.9 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have expressed that they are not covered under the Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997.

5.10 Besides, the following 13 Public Sector Undertakings have sent NIL/ Vague replies:- State Farm Corporation of India Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited and Steel Authority of India Limited all in New Delhi; Bharat Petroleum Corporation Limited and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Chennai Petroleum Corporation Limited and Institute of Ocean Management, (Anna University), both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore; Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur; H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar and Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

अर्ध प्रचलित अभिलेखों का अंकन, पुनरीक्षण व विनष्टीकरण

सरकारी और अर्ध सरकारी एजेंसियों को सौंपे गये विभिन्न कार्यों को करते हुए एक विशेष उद्देश्य से अभिलेखों का सृजन होता है। कोई फाइल तब तक चालू रहती है जब तक इससे संबंधित मूल मसले प्रासंगिक होते हैं। जब ये मसले निपटा लिये जाते हैं तो फाइल बंद कर दी जाती है। जिन अभिलेखों की उपयोगिता समाप्त हो गयी है उनका सही तरीके से विनष्टीकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित समय पर अभिलेखों के अंकन/पुनरीक्षण/विनष्टीकरण के लिए कदम उठाने जरूरी हैं। इस महत्वपूर्ण पक्ष पर लगातार निगरानी रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार इन संगठनों से समय पर अर्ध-वार्षिक विवरण भेजने का अनुरोध करता आ रहा है।

6.1 परिपत्र सं. एफ.16-4ए/2004-आर.एम. दिनांक 17 मार्च, 2004 के उत्तर में अभिलेखों के अंकन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण में हुई प्रगति के बारे में अर्ध-वार्षिक विवरण **अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

6.2 एक अन्य सामान्य परिपत्र सं. एफ.16-12/2004-आर.एम. दिनांक 17 मार्च, 2004 के उत्तर में 200 मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों ने सूचनाएं प्रेषित की हैं। इनमें से 144 सरकारी विभाग हैं जबकि 56 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। जहां तक सरकारी संगठनों का सवाल है, 87 उनके द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार यह कार्य कर रहे हैं जबकि 43 ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी हैं। एक ने अस्पष्ट उत्तर भेजा है। 4 ने सूचित किया है कि यह उनपर लागू नहीं होता जबकि 6 ने उत्तर दिया है—उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी।

6.3 जो महत्वपूर्ण संगठन यह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं उनके नाम हैं: नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन, बिजली और जल संसाधन मंत्रालय; रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, उर्वरक, वाणिज्य (आपूर्ति प्रभाग), सूचना टेक्नोलॉजी, व्यय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, आपूर्ति और निपटान, विदेश व्यापार विभाग; अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, एमजीओ शाखा, क्यूएमजी शाखा, एमएस शाखा, ई-इन-सी शाखा, एजी शाखा, सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय का समन्वित मुख्यालय (नौ सेना), रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, विकास आयुक्त, आयकर निपटान आयोग, विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली; तम्बाकू विकास चेन्नई, विपणन और निरीक्षण गुवाहाटी; बाजरा विकास जयपुर, कम्प्यूटर केन्द्र, क्षेत्रीय अभियान प्रभाग, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधविज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, आंचलिक परिषद सचिवालय — सभी नई दिल्ली में; सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र — दोनों चेन्नई में; वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, भारत सरकार टकसाल, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (आई.एस. खंड), राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, पटसन आयुक्त का कार्यालय — सभी कोलकाता में; महाप्रबंधक कार्यालय, मध्य रेलवे, अतिरिक्त आयकर आयुक्त (सीआईबी)-2 —दोनों

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

Records are created for a specific purpose in the transaction of various functions allotted to Government, Semi Government Agencies. A file remains active so long as basic issues dealt within it are alive and is required to be closed as soon as issues discussed in it are settled. In order to ensure that records which have outlived their utility are weeded out; timely recording/ reviewing/ weeding of records are essential steps. In order to keep a regular watch on this vital aspect, National Archives of India has been requesting these organizations to forward half-yearly returns in time.

6.1 Half-yearly returns on the progress made in Recording/ Reviewing/ Weeding of records in response to Circular letter No.F.16-4A/ 2004-R.M. dated 17 March 2004 may be seen in **Annexure II**.

6.2 In response to another general circular letter No.F.16-12/ 2004-R.M. dated 17 March 2004, 200 Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings have sent information. 144 are Government Departments and 56 are Public Sector Undertakings. As regards Government Organisations 87 are attending the job as per information supplied by them 43 have supplied NIL reports. One has sent vague reply. 4 informed that it is not applicable to them while 6 have replied that action will be taken due course.

6.3 The organizations who are attending this important work are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Labour, Non-Conventional Energy Sources, Railways (Railway Board), Shipping, Statistics and Programme Implementation, Power, and Water Resources; Departments of Chemicals and Petrochemicals, Fertilizers, Commerce (Supply Division), Information Technology, Expenditure, Personnel and Training; President's Secretariat, Secretariat of Vice President of India, Prime Ministers Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Offices of the Director General of Civil Aviation, Supply and Disposals, Foreign Trade; Additional Directorate General (Administration and Coord), Army Headquarters, MGO Branch, QMG Branch, MS Branch, E-in-C Branch, AG Branch, Armed Forces Film and Photo Division, Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Navy), Office of the Controller General of Defence Accounts and Development Commissioner, Income Tax Settlement Commission, Directorates of Extension, New Delhi, Tobacco Development, Chennai, Marketing and Inspection, Guwahati, Millet Development Jaipur, Computer Centre, Field Operation Division, Directorates General Central Reserve Police Force, Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped both in Chennai; Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, India Government Mint, Central Reference Library, National Atlas Thematic Mapping Organisation, Central Statistical Organisation (I.S. Wing), National Sample Survey Organisation, Office of the Jute

मुंबई में; अंतरिक्ष विभाग, क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान – सभी बंगलौर में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोद (जिला सूरत), रेल सुरक्षा आयोग, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन – दोनों लखनऊ में; भारतीय खान ब्यूरो नागपुर; मुख्य महाडाकपाल उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ, उड़ीसा परिमंडल भुवनेश्वर, कनिष्ठ डाकपाल वाराणसी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय), चंडीगढ़; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय नागपुर, (मेरठ मंडल) गाजियाबाद; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बेलगांव, बेल्लारी और हुबली; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बेलगांव, केन्द्रीय यउत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त नागपुर और औरंगाबाद; नमक आयुक्त जयपुर; शासकीय परिसमापक कार्यालय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल – इलाहाबाद; केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी अंचल) गाजियाबाद; उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रानिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन देहरादून; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य) अजमेर, चंडीगढ़ और कोच्चि; कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन) इलाहाबाद; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय बंगलौर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद और लखनऊ।

6.5 निम्नलिखित 43 संगठनों ने शून्य रिपोर्टें भेजी हैं: महिला और बाल विकास विभाग, प्रकाशन विभाग; सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग – सभी नई दिल्ली में; कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली और इलाहाबाद; आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद; तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि तथा मनस्त्रभावी द्रव्य अधिनियम, 1985 और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण – दोनों कोलकाता में; कपास विकास निदेशालय मुंबई; दीपस्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय नोएडा; गेहूं विकास और राष्ट्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र – दोनों गाजियाबाद में; क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर, मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, हरियाणा परिमंडल अम्बाला; महा डाकपाल विजयवाड़ा क्षेत्र विजयवाड़ा; सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.); पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भोपाल; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कानपुर; केन्द्रीय मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय देहरादून और कानपुर; आयकर आयुक्त मुंबई और लुधियाना; आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) भुवनेश्वर और अहमदाबाद; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय हैदराबाद; महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा, मेघालय) ओर हिसार; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय गुवाहाटी, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, शिमला और तिरुअनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, कोलकाता और जयपुर।

6.5 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद ने अस्पष्ट-सा उत्तर दिया है।

6.6 आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क गुलबर्गा; टर्मिनल बैलास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़; दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर, पशु प्रजनन

Commissioner all in Kolkata; General Manager Office, Central Railway, Office of the Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, both in Mumbai; Department of Space, Regional Vocational Training Institute, National Tuberculosis Institute, Central Institute of Coastal and Engineering for Fishery, all in Bangalore; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat), Commission of Railway Safety, Research Design and Standards Organisation, both in Lucknow; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Offices of the Chief Postmaster General (U.P. Circle) Lucknow, (Orissa Circle) Bhubaneswar, Junior Postmaster Varanasi, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest), Chandigarh, Offices of Chief Commissioner of Income Tax Nagpur (Meerut Division) Ghaziabad; Assistant Commissioners of Central Excise, Belgaum, Bellary and Hubli; Commissioner of Central Excise, Belgaum; Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur and Aurangabad; Salt Commissioner, Jaipur, Office of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Allahabad; Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Advanced Training Institute Electronics and Process Instrumentation, Dehradun, Foreman Training Institute, Jamshedpur, Offices of Regional Labour Commissioner (Central) Ajmer, Chandigarh and Kochi; Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation) Allahabad; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Project Evaluation Office, Bangalore; Regional Evaluation Offices, Mumbai, Chandigarh, Hyderabad and Lucknow.

6.4 The following 43 organisations have forwarded NIL reports:-Departments of Women and Child Development and Publication; Services Sports Control Board Armed Forces, Central Pension Accounting Office, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Data Processing Division, all in New Delhi; Staff Selection Commissions, New Delhi and Allahabad, Offices of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Delhi, Mumbai and Ahmedabad; Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and Botanical Survey of India, both in Kolkata; Directorate of Cotton Development, Mumbai; Directorate General of Lighthouses and Lighthships, Noida; Directorate of Wheat Development and National Biofertilisers Development Centre, both in Ghaziabad; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Office of the Chief Postmaster General (Haryana Circle), Ambala; Postmaster General (Vijayawada Region), Vijayawada, Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Western Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Central Excise Commissionerate, Kanpur; Offices of the Chief Commissioner of Income Tax, Dehradun and Kanpur; Commissioners of Income Tax, Mumbai, and Ludhiana; Director Generals of Income Tax (Investigation), Bhubaneswar and Ahmedabad; National Film Archive of India, Pune, Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Vocational Training Institutes for Women, Araimile (Tura, Meghalaya) and Hissar; Project Evaluation Offices, Guwahati, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneswar, Patna, Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices Chennai, Kolkata and Jaipur.

6.5 Regional Evaluation Office, Ahmedabad has sent vague reply.

6.6 Departments of Economic Affairs, New Delhi, Office of the Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Gulbarga, Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Southern Region Farms Machinery Training and Testing Institute, Anantpur, Central Cattle Breeding

फार्म, चिपलिमा (जिला संबलपुर); और मुख्य महा डाकपाल रांची ने सूचित किया है कि कार्य प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है।

6.7 संगठनों की एक अन्य श्रेणी ऐसी है जिनका कहना है कि यह उनपर लागू नहीं होता। ये हैं: महानियंत्रक रक्षा लेखा कार्यालय नई दिल्ली; भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक मुंबई; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क हुबली और मुख्य महा डाकपाल (उत्तरांचल परिमंडल) देहरादून।

6.8 56 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी है जिनमें से 27 ने बताया है कि वे यह कार्य कर रहे हैं। इनके नाम हैं: हिन्दुस्तान इनसेक्टसाइड्स लिमिटेड, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड – सभी नई दिल्ली स्थित; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान – सभी कोलकाता में; मुंबई बंदरगाह न्यास, मजगांव डाक लिमिटेड, और शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया – सभी मुंबई में; राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रोपड़; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड न्येवेली; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोट्टायम); भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल – दोनों हैदराबाद में; मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल; नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी पुणे; विशाखापत्तनम बन्दरगाह न्यास विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास तूतीकोरिन; मर्मुगाओ बंदरगाह न्यास गोवा; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना।

6.9 प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उत्तर प्रदेश) और द फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि ने सूचित किया है कि वे कम्पनी अधिनियम के अनुसार अर्ध प्रचलित अभिलेख का अंकन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण कर रहे हैं।

6.10 मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर ने सूचित किया है कि अर्ध प्रचलित रिकार्ड के अंकन, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

6.11 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 10 उपक्रम/सांविधिक निकाय आदि ने सूचित किया है कि वे यह कार्य नहीं कर रहे हैं। इनके नाम हैं : राष्ट्रीय औषधिक मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड और जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन (ट्राइफेड) – सभी नई दिल्ली में; सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई; हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड अंबालामुगल (एर्णाकुलम) और रसायनी (रायगढ़); मसाला व्यापार निगम लिमिटेड बंगलौर; हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम; प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद।

6.12 इंडियन रेलवे क्रेटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम) नई दिल्ली और रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि उनकी स्थापना 2001 और 1999 में (क्रमशः) हुई और फिलहाल उन्होंने इस कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया है।

6.13 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के दायरे में नहीं आते हैं।

Farm, Chiplima (District Sambalpur); Chief Postmaster General, Ranchi have informed that the work is under process.

6.7 Another category of organizations feel that it is not applicable to them. These are:- Offices of the Controller General of Defence Accounts, New Delhi; Custodian of Enemy Property for India, Mumbai; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Hubli and Chief Postmaster General (Uttaranchal Circle) Dehradun.

6.8 In all 56 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information out of which 27 have reported that they are attending the job. These are:- Hindustan Insecticides Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Council of Scientific and Industrial Research, National Textile Corporation Limited, all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, and Indian Statistical Institute, all in Kolkata; Mumbai Port Trust, Mazagon Dock Limited and Shipping Corporation of India, all in Mumbai; National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Hindustan Newsprint Limited, Newsprintnagar (Kottayam); Bharat Dynamics Limited and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Material, both in Hyderabad; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa; Narmada Control Authority, Indore; Brahmaputra Board, Guwahati and Ganga Flood Control Commission, Patna.

6.9 Project Equipment Corporation Limited, New Delhi; National Fertilizers Limited Noida (U.P.) and The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; have informed that they are doing recording, reviewing and weeding out of semi-current records as per the Companies Act.

6.10 Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur has informed that the steps are being taken-up for recording, reviewing and weeding of semi-current records.

6.11 The following 10 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have informed that they are not doing the job these are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, IRCON International Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited and Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED), all in New Delhi; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamagal (Ernakulam) and Rasyani (Raigad); Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad.

6.12 Indian Railway Catering and Tourism Corporation, New Delhi and Railway Vikas Corporation Limited Mumbai have informed that they could not attend the job as they were established during 2001 and 1999 respectively.

6.13 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai has informed that they are not covered under the Public Records Act 1993 and The Public Records Rule 1997.

6.14 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 10 उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने बड़े अस्पष्ट से उत्तर दिये हैं। ये हैं : स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इंडिया और भारतीय इस्पात प्राधिकरण – दोनों नई दिल्ली स्थित; राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड – दोनों मुंबई में; इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड – दोनों चेन्नई में; एंज़्यू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड कोलकाता; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सम्बलपुर; मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मीकॉन) लिमिटेड रांची।

6.15 एच.एम.टी. चिनार वाचेज़ लिमिटेड, श्रीनगर ने निल रिपोर्ट भेजी है।

6.14 The following 10 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have forwarded vague replies the State Farms Corporation of India and Steel Authority of India Limited, both in New Delhi; National Film Development Corporation Limited and Bharat Petroleum Corporation Limited, both in Mumbai; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore; Mahanadi Coal Fields Limited, Sambalpur; Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

6.15 H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar has sent nil report.

अध्याय 7

अभिलेखों का सूचीकरण

अप्रचलित अभिलेखों को इसलिए रखा और सम्पोषित किया जाता है ताकि उनमें निहित प्रमाणों का प्रशासन और ऐतिहासिक अनुसंधान में उपयोग किया जा सके। उपयोगी अभिलेखों का यह लगातार बढ़ता भंडार तबतक आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी मतलब का नहीं होगा जबतक उनकी मदद के लिए कोई ऐसा संदर्भ माध्यम न हो जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी खास विषय पर अभिलेख कहां मिल सकता है। अभिलेख सूची ऐसा ही एक माध्यम है जिससे इस तरह की सूचना प्राप्त होती है और इसलिए यह जरूरी है कि स्थायी रूप से प्रतिधारण के लिए अभिलेखों का सूचीकरण किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए 17 मार्च, 2004 को एक परिपत्र सं. एफ.16-12/2004 1887 अभिलेख सर्जक एजेंसियों को सूचनाएं संकलित करने के लिए जारी किया गया। इस संबंध में जो उत्तर प्राप्त हुए वे उत्साहजनक नहीं कहे जा सकते क्योंकि बहुत कम संगठन अभिलेख प्रबंधन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की ओर ध्यान दे रहे हैं।

7.1 इस संबंध में प्राप्त हुई सूचना के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल मिला कर 200 संगठन जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं (133 मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय और 56 सार्वजनिक उपक्रम) ने ही सूचना प्रेषित की है। सात ने सूचित किया है कि वे सूचियां तैयार कर रहे हैं, पांच ने 'शून्य' सूचना भेजी है, दो ने बताया है कि वे प्रयोजन मूलक फाइलिंग प्रणाली अपना रहे हैं। 67 संगठन यह कार्य नहीं कर रहे हैं, नौ का कहना है कि यह उनपर लागू नहीं होता, तीन ने सूचित किया है कि इस बारे में उनके मुख्यालयों से संपर्क किया जाए और तीन अपनी ही प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। प्राप्त उत्तरों का ब्यौरा इस प्रकार है।

7.2 जो सात संगठन यह कार्य कर रहे हैं उनके नाम हैं: मंत्रिमंडल सचिवालय दिल्ली; राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन – दोनों कोलकाता में; रेल सुरक्षा आयुक्त लखनऊ; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद; नमक आयुक्त जयपुर और मुख्य महा डाकपाल भुवनेश्वर।

7.3 शून्य सूचना भेजने वाले 51 संगठन हैं : रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, प्रकाशन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय; आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद; अतिरिक्त महा निदेशक (प्रशासन और समन्वय), एमजीओ शाखा, क्यूएमजी शाखा, एमएस शाखा, ई-इन-सी शाखा और एजी शाखा; सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग – सभी नई दिल्ली में; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र दिल्ली और चेन्नई; सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय चेन्नई, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय; भारत सरकार टकसाल; तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 का कार्यालय और स्वापक औषधि तथा मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय; पटसन आयुक्त का कार्यालय – सभी कोलकाता में; अतिरिक्त आयकर आयुक्त कार्यालय, आयकर आयुक्त कार्यालय और महा प्रबंधक मध्यम रेलवे – सभी मुंबई में; गेहूं विकास निदेशालय, मुख्य महा डाकपाल का कार्यालय (हरियाणा परिमंडल) और महाडाकपाल हरियाणा परिमंडल – दोनों अम्बाला में; महाडाकपाल (विजयवाड़ा मंडल) विजयवाड़ा; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय और मुख्य आयकर आयुक्त – दोनों कानपुर, नागपुर, देहरादून

INDEXING OF RECORDS

Records that have ceased to be current are kept and maintained so that the evidence contained in them may be utilized for purposes of administration use and historical Research. This ever-increasing bulk of useful records will not be utilized for the posterity for any purpose unless there exist some reference media to help where the records on a particular subject could be found. An Index is an instrument that provides such a information and thus it is necessary that records meant for permanent retention should be indexed. Keeping this aspect in view, accordingly a circular letter No. F.16-12/ 2004 dated 17 March, 2004 was issued to 1887 Records Creating Agencies for collecting information. The response received is not encouraging as very few organisations are attending to this vital job of records management.

7.1 The analysis of the information received in this regard reveals that in all 200 organisations including Public Sector Undertakings (to be more precise 144 Ministries/ Departments/ Attached offices and 56 Public Sector Undertakings) have forwarded information. 7 have informed that they are preparing indices, 5 have furnished nil information, 2 informed that they are following functional filing system. 67 are not doing it, 9 felt it is not applicable to them, 3 informed that their Headquarters may be contacted. 3 are following their own system. Details of replies received are as below.

7.2 The following 7 who are attending the jobs are:- Cabinet Secretariat, Delhi, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, National Sample Survey Organisations, both in Kolkata; Commissioner of Railways Safety, Lucknow, Offices of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad and Salt Commissioner, Jaipur, Chief Postmaster General, Bhubaneswar.

7.3 The 51 Organisations who have furnished NIL information are:- Ministries of Railways and Labour; Departments of Publication and Women and Child Development; President Secretariat, Commissioner of Income Tax (Appeals), Delhi, Mumbai, Ahmedabad; Additional Directorate General (Admn & Coord), MGO Branch, QMG Branch, MS Branch, E-in-C Branch and AG Branch; Armed Forces Film and Photo Division, Service Sports Control Board, Staff Selection Commission, all in New Delhi; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped Delhi and Chennai; Office of the Commissioner of Customs, Chennai, Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, India Government Mint, Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulations (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Central Reference Library, Office of the Jute Commissioner, all in Kolkata; Offices of the Additional Commissioner of Income Tax, Commissioner of Income Tax and General Manager, Central Railway, all in Mumbai; Directorate of Wheat Development, Offices of Chief Postmaster General (Haryana Circle) and Postmaster General (Haryana Circle), both in Ambala; Postmaster General (Vijayawada Region), Vijayawada; Central Excise Commissionerate, Chief Commissioner of Income Tax, both in Kanpur,

और लुधियाना में; आयकर महानिदेशक अहमदाबाद, आयकर निदेशक (अन्वेषण) भुवनेश्वर; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क गुलबर्गा और हुबली; शासकीय परिसमापक उत्तर प्रदेश उच्च न्यायलय इलाहाबाद और उत्तरांचल उच्च न्यायलय नैनीताल — इलाहाबाद; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय अजमेर; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय हैदराबाद; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान अरइमिले (तुरा मेघालय); लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी; अनुसंधान, डिजायन और मानक संगठन लखनऊ; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद, भुवनेश्वर और पटना; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद।

7.4 अभिलेख सर्जक 2 एजेंसियों ने सूचित किया है कि चूंकि वे प्रयोजन मूलक फाइलिंग प्रणाली पर अमल कर रहे हैं इसलिए वे सूचीकरण नहीं करते। ये हैं: नागर विमानन और पोत परिवहन मंत्रालय।

7.5 जिन तीन संगठनों ने अपने मुख्यालयों से संपर्क करने का अनुरोध किया है वे हैं : परियोजना मूल्यांकन कार्यालय बंगलौर और भोपाल तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय जयपुर।

7.6 निम्नलिखित 67 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अभिलेखों का सूचीकरण नहीं कर रहे हैं। ये हैं: रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, बिजली, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय; रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक, वाणिज्य (आपूर्ति), सूचना टेक्नोलॉजी, आर्थिक कार्य, व्यय और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग; भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, महानिदेशक कार्यालय नागर विमानन, विदेश व्यापार और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल; रक्षा मंत्रालय समन्वित मुख्यालय (नौ सेना), केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, आंचलिक सचिवालय, विकास आयुक्त का कार्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग, क्षेत्रीय अभियान प्रभाग — सभी नई दिल्ली में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय कोलकाता, मुंबई और लखनऊ; तम्बाकू विकास निदेशालय चेन्नई, कपास विकास निदेशालय मुंबई, विपणन और निरीक्षण निदेशालय गुवाहाटी; भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता; केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (आई.एस. खंड) कोलकाता; अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान — सभी बंगलौर में; राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र और मुख्य आयुक्त आयुक्त (मेरठ), गाजियाबाद और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तर अंचल) — सभी गाजियाबाद में; राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे; उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय चंडीगढ़ और कोच्चि; कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन) इलाहाबाद; क्षेत्रीय महिला व्यावयिक प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर और हिसार; दीपस्तंभ और दीप पोत महानिदेशालय नोएडा; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय गुवाहाटी और शिमला; पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भोपाल; टर्मिनल बैलास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय), क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय — सभी चंडीगढ़ में; क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.), केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चिपलिमा (जिला सम्बलपुर), क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर; दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर

(आंध्र प्रदेश); भारतीय खान ब्यूरो नागपुर; मुख्य महा डाकपाल रांची और देहरादून; वरिष्ठ डाकपाल वाराणसी; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कार्यालय नागपुर।

7.7 इनके अलावा कुछ और संगठन भी हैं जिन्होंने सूचित किया है कि यह उनपर लागू नहीं होता। ये हैं: रक्षा लेखा महा नियंत्रक, विस्तार निदेशालय – दोनों नई दिल्ली में; और बाजरा विकास जयपुर, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई और हैदराबाद, मुख्य महा डाकपाल उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ और हरियाणा परिमंडल अम्बाला; कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) इलाहाबाद; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुअनंतपुरम; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोद (जिला सूरत); सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, हुबली।

7.8 निम्नलिखित कार्यालय अपनी ही प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं: सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय बेलगांव और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय बेल्लारी।

7.9 कुल मिलाकर 56 सार्वजनिक उपक्रमों/समितियों/निगमों आदि ने इस विभाग के परिपत्र का उत्तर दिया। इनमें से केवल एक अभिलेख सर्जक एजेंसी, यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वह कार्य कर रही है।

7.10 नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद; भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद और मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड नागपुर ने सूचित किया है कि कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

7.11 गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना ने सूचित किया है कि कर्मचारियों/स्थान की कमी से कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

7.12 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्यरेंस कम्पनी लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के दायरे में नहीं आते हैं।

7.13 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित 31 उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे इस तरह का कार्य नहीं कर रहे हैं। इनके नाम हैं: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण; प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) – सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कोलकाता; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड – दोनों कोलकाता में; मजगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई बंदरगाह न्यास और सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड – सभी मुंबई में; स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड बंगलौर; मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल; हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़); फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उ.प्र.); राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रोपड़; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड न्येवेली; हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम; प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकंदराबाद; नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर; इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल हैदराबाद; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलॉजी पुणे; विशाखापत्तनम बंदरगाह

Indian Bureau of Mines, Nagpur; Chief Postmasters General, Ranchi and Dehradun; Senior Postmaster, Varanasi; Office of the Central Excise and Customs Nagpur.

7.7 There is yet another category of organizations who have informed that this is not applicable to them. Office of the Controller General of Defence Accounts, Directorate of Extension, both in New Delhi; and Millets Development Jaipur, Regional Evaluation Offices Chennai and Hyderabad, Offices of the Chief Postmaster General (U.P. Circle), Lucknow, (Haryana Circle), Ambala, Staff Selection Commission (Central Region), Allahabad, Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram, Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat); Assistant Commissioner of Central Excise, Hubli.

7.8 The following offices are following their own procedure:- Offices of the Assistant Commissioner of Central Excise and Commissioner of Central Excise, both in Belgaum and Bellary.

7.9 In all 56 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. have responded to the Circular letter of this Department. Out of which only one creating agency i.e. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi has informed that they are doing the job.

7.10 National Textile Corporation Limited, New Delhi; Bharat Cooking Coal, Limited, Dhanbad; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad and Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur have informed that the job will be taken-up soon.

7.11 Ganga Flood Control Commission, Patna has informed that due to shortage of staff/ space the work could not be attended to.

7.12 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that they are not covered under the Public Records Act 1993 and the Public Records Rule 1997.

7.13 The following 31 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have informed that they are not doing their job these are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, IRCON International Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED), all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, both in Kolkata; Mazagon Dock Limited, Mumbai Port Trust and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasyani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Material, Hyderabad; Indian Institute of Tropical

विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास तूतीकोरिन; मर्मूगाओ बंदरगाह न्यास गोवा; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर और ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी।

7.14 निम्नलिखित चार संगठनों ने सूचित किया है कि यह उन पर लागू नहीं होता : हिन्दुस्तान इनसेक्टसाइड्स लिमिटेड नई दिल्ली; भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता; मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई और हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड अंबलामुगल (कोच्चि)।

7.15 निम्नलिखित दो सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने 'शून्य' सूचना दी है : केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और टेक्नोलाजी संस्थान चेन्नई और एच.एम.टी. चिनार वाचेज़ लिमिटेड श्रीनगर।

7.16 निम्नलिखित 11 संगठनों ने अस्पष्ट-सी रिपोर्ट भेजी हैं : स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड - दोनों नई दिल्ली में; इस्टीमेट्स आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड - दोनों चेन्नई में; एंज़्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड - दोनों मुंबई में; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर; महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम और मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मीकॉन) लिमिटेड रांची।

Metrology, Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa; Narmada Control Authority, Indore and Brahmaputra Board, Guwahati.

7.14 The following 4 Organisations have informed that it is not applicable to them:- Hindustan Insecticides Limited, New Delhi, Indian Statistical Institute, Kolkata Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai; and Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal (Kochi).

7.15 The following 2 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished 'NIL' reports:- Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai and H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar.

7.16 The following 11 organisations have sent vague reports these are:- State Farms Corporation of India, Steel Authority of India Limited, both in New Delhi; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Petroleum Corporation Limited and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Bharat Earth Movers Limited Bangalore, Mahanandi Coal Fields Limited, Sambalpur; Hindustan Newsprint Limited, Kottayam and Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का संकलन

स्थायी किस्म के अभिलेखों और अस्थायी अभिलेखों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा प्रतिधारण समय-सूची बनाना बेहद जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ड.) में सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अभिलेखों की प्रतिधारण सूची तैयार करने और राष्ट्रीय अभिलेखागार से इसकी पुनरीक्षा कराने का प्रावधान किया गया है। चूंकि सरकारी कामकाज में बार-बार बदलाव होते रहते हैं और इनका विस्तार होता रहता है, इसलिए यह भी जरूरी है कि इस तरह की प्रतिधारण सूचियों का राष्ट्रीय अभिलेखागार की सहायता से पांच वर्षों में एक बार संशोधन किया जाए।

8.1 परिपत्र सं. 16-12/2004-आर.एम. दिनांक 17 मार्च, 2004 के प्रत्युत्तर में 144 सरकारी संगठनों ने सूचना भेजी है।

8.2 44 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने अभिलेख के बारे में प्रतिधारण सूची तैयार कर ली है। इनके नाम हैं: नागर विमानन मंत्रालय, रक्षा, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, रेलवे (रेलवे बोर्ड), पोत परिवहन और जल संसाधन मंत्रालय; रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक, वाणिज्य, सूचना टेक्नोलॉजी, आर्थिक कार्य, व्यय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग; प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, विदेश व्यापार महानिदेशालय, आपूर्ति और निपटान, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, क्यू.एम.जी., एमजीओ, और ई-इन-सी शाखा; केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (आईएस स्कंध), राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन - दोनों कोलकाता में, अंतरिक्ष विभाग और राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान - दोनों बंगलौर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय बेलगाव; टर्मिनल बैलास्टिक लैबोरेटरी चंडीगढ़; उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स ओर प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन देहरादून; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोद (जिला सूरत); केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी अंचल), गाजियाबाद; विपणन और निरीक्षण निदेशालय गुवाहाटी; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय हैदराबाद; नमक आयुक्त जयपुर का कार्यालय; रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ; भारतीय खान ब्यूरो नागपुर और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे।

8.3 83 कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है। इनके नाम हैं: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), प्रकाशन विभाग, महिला और बाल विकास विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय; भारत के उप राष्ट्रपति का सचिवालय; विस्तार निदेशालय, अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय एमएस शाखा, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना मुख्यालय, सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय समन्वित मुख्यालय (नौ सेना), रक्षा लेखा महा नियंत्रक कार्यालय, विकास आयुक्त, कर्मचारी चयन आयोग, आयकर निपटान आयुक्त, आयकर आयुक्त (अपील), डेटा

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

In order to maintain equilibrium between records of permanent nature and those which are of temporary nature it is absolutely essential that all Records Creating Agencies should compile their Retention Schedules. Keeping this in view, Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993 lays down that all records creating agencies should frame a Retention Schedule for substantive functions and get it vetted by the National Archives of India. As Government functions are frequently changing/ expanding it is further desirable that such Retention Schedules should be revised once in five years in collaboration with the National Archives of India.

8.1 In response to Circular No. 16-12/ 2004-R.M. dated 17 March 2004, 144 Government Organisations have responded.

8.2 44 offices have informed that they have compiled Retention Schedules for their records. These are:- Ministries of Civil Aviation, Defence, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Labour, Non-Conventional Energy Sources, Railways (Railway Board), Shipping and Water Resources; Departments of Chemicals and Petrochemicals, Fertilizers, Commerce, Information Technology, Economic Affairs, Expenditure, and Personnel and Training, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Directorates General of Foreign Trade, Supplies and Disposals, Office of the Director General of Civil Aviation, Additional Directorates General (Administration & Coord), Army Headquarters, QMG, MGO and E-in-C Branch; Central Pension Accounting Office, Field Operation Division and Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Central Statistical Organisation (I.S. Wing), and National Atlas and Thematic Mapping Organisation, both in Kolkata; Department of Space and National Tuberculosis Institute, both in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat); Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Directorate of Marketing and Inspection, Guwahati; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Indian Bureau of Mines, Nagpur and National Film Archive of India, Pune.

8.3 There are 87 Offices which have forwarded NIL information. These are:- Ministry of Statistics and Programme Implementation, Departments of Commerce, (Supply Division), Publication and Women and Child Development; President Secretariat, Secretariat of Vice President of India, Directorate of Extension, Additional Directorate General (Administration and Coord), Army Headquarters MS Branch, Service Sports Control Board, Armed Forces Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Navy), Offices of the Controller General of Defence Account, Development Commissioner, Staff Selection Commission, Income Tax Settlement

प्रोसेसिंग डिवीजन और विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र – सभी नई दिल्ली में; तम्बाकू विकास निदेशालय और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय – दोनों चेन्नई में; वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 कार्यालय और स्वापक औषधि और मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 कार्यालय; पटसन आयुक्त, भारत सरकार टकसाल, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन – सभी कोलकाता में; कपास विकास निदेशालय, भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त और अतिरिक्त आयकर आयुक्त (सीआईबी)-2, मध्य रेलवे – सभी मुंबई में; शासकीय परिसमापक उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल; कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन) और कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र) – सभी इलाहाबाद में; दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर (आंध्र प्रदेश); क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान – दोनों बंगलौर में; पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भोपाल और उत्तरी क्षेत्र कार्यालय चंडीगढ़; गेहूं विकास निदेशालय गाजियाबाद और बाजरा विकास जयपुर; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चिपलिमा (जिला संबलपुर); क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र और मुख्य आयकर आयुक्त – दोनों गाजियाबाद; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय कानपुर, देहरादून और लुधियाना; आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय और महानिदेशक आयकर – दोनों अहमदाबाद में; आयकर निदेशक (अन्वेषण), भुवनेश्वर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त बेलगांव, बेल्लारी और हुबली; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क हुबली और गुलबर्गा; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कानपुर; श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य) अजमेर और कोच्चि; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हिसार और अरइमिले (तुरा मेघालय); फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय अम्बाला और देहरादून और महा डाकपाल विजयवाड़ा; मुख्य महा डाकपाल रांची और वरिष्ठ डाकपाल वाराणसी; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और हैदराबाद; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, शिमला और तिरुअनंतपुरम; क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.); लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी और दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय नोएडा।

8.4 निम्नलिखित चार कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी अभिलेख प्रतिधारण समय-सारणियों का अनुपालन कर रहे हैं। ये हैं: ऊर्जा मंत्रालय, अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, एजी शाखा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान – सभी नई दिल्ली में; और विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चेन्नई।

8.5 मुख्य महा डाकपाल कार्यालय भुवनेश्वर और लखनऊ अपनी विभागीय प्रतिधारण समय-सूची का पालन कर रहे हैं।

8.6 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय नई दिल्ली ने बताया है कि वे गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मैनुअल का अनुपालन कर रहे हैं।

Commission, Commissioner of Income Tax (Appeals), Data Processing Division and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, all in New Delhi; Directorate of Tobacco Development and Office of the Commissioner of Customs, both in Chennai; Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Offices of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 Jute Commissioner, India Government Mint, Botanical Survey of India, Central Reference Library, National Sample Survey Organisation, all in Kolkata; Directorate of Cotton Development, Offices of the Custodian of Enemy Property for India, Commissioner of Income Tax (Appeals), Commissioner of Income Tax and Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, Central Railway, all in Mumbai; Offices of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Welfare Commissioner (Labour Welfare Organization) and Staff Selection Commission (Central Region), all in Allahabad; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Regional Vocational Training Institute for Women and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, both in Bangalore; Western Region Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal and Northern Regions Office, Chandigarh; Directorate of Wheat Development, Ghaziabad and Millet Development, Jaipur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur); Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar, National Biofertiliser Development Centre and Chief Commissioner of Income Tax, both in Ghaziabad; Offices of the Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur; Dehradun and Ludhiana; Offices of the Commissioner of Income Tax (Appeal), and Director General of Income Tax, both in Ahmedabad and Director of Income Tax (Investigation), Bhubaneswar; Commissioners of Central Excise and Custom, Aurangabad and Nagpur; Assistant Commissioners of Central Excise, Belgaum, Bellary and Hubli; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Hubli and Gulbarga; Central Excise Commissionerate, Kanpur; Offices of Labour Commissioner (Central) Ajmer and Kochi; Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar and Araimile (Tura, Meghalaya) Foreman Training Institute, Jamshedpur; Offices of the Chief Postmaster General, Ambala; Dehradun; and Postmaster General, Vijayawada; Chief Postmaster General, Ranchi and Senior Postmaster, Varanasi; Regional Evaluation Offices, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Chandigarh, Lucknow and Hyderabad; Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Guwahati, Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie and Directorate General of Lighthouses and Lighthships, Noida.

8.4 The following 4 offices have informed that they are following Record Retention Schedules issued by Department of Administrative Reforms and Public Grievances. These are:- Ministry of Power, Additional Directorate General (Administration and Coord), Army Headquarters, AG Branch, Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, all in New Delhi and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai.

8.5 Offices of the Chief Postmaster General, Bhubaneswar and Lucknow are following their own Departmental Retention Schedule.

8.6 Directorate General of Central Reserve Police Force, New Delhi has stated that they are following manual of Central Reserve Police Force which is approved by Ministry of Home Affairs.

8.7 अनुसंधान, डिजायन और मानक संगठन लखनऊ ने सूचित किया है कि अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जा चुकी है और इसका पालन किया जा रहा है जबकि मुख्य आयकर आयुक्त नागपुर कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल का पालन कर रहा है।

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, जयपुर और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद ने बताया है कि प्रतिधारण समय-सूची का रखरखाव मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

8.8 जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि का सवाल है इस सिलसिले में सूचना भेजने वाले 56 संगठनों में से 10 ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेखों की प्रतिधारण सूची तैयार कर ली है। इनके नाम हैं: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल टैक्सलाइल कार्पोरेशन लिमिटेड – दोनों नई दिल्ली स्थित; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कोलकाता; हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड अम्बलामुगल और रासयानी (रायगढ़); द फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उ.प्र.); हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोटायम); विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन।

8.9 निम्नलिखित 8 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची तैयार करने के लिए कदम उठाये हैं: हिन्दुस्तान इनसेक्टसाइड्स लिमिटेड, मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और ट्राइबल कोआपरेशन मार्केटिंग डिवेलपमेंट फंडरेशन (ट्राइफेड) – सभी नई दिल्ली स्थित; शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड मुंबई; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद; मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना।

8.10 इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड नई दिल्ली; गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता; स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड बंगलौर और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर ने सूचित किया है कि वे कंपनी अधिनियम के अनुसार अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का पालन कर रहे हैं।

8.11 नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर; मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन नागपुर; भारत डायनामिक्स लिमिटेड और इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स हैदराबाद ने बताया है कि अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची बनाने के लिए शीघ्र की कार्यवाई शुरू की जाएगी।

8.12 निम्नलिखित उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अस्पष्ट-से उत्तर प्रेषित किये हैं। स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड – दोनों नई दिल्ली स्थित; इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड – दोनों चेन्नई; एंड्रयू यूल्स एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड – दोनों मुंबई स्थित; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सम्बलपुर; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर; मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन (इंडिया)ड्ड (मीकॉन) लिमिटेड रांची।

8.13 16 संगठनों ने सूचित किया है कि उनकी कोई अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची नहीं है। इनके नाम हैं : राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड – सभी नयी दिल्ली स्थित; मुंबई बंदरगाह न्यास और मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई; सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड

8.7 Research Designs and Standards Organisation, Lucknow have informed that Records Retention Schedule has been notified in Railway Board and same is being followed whereas Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur are following manual of Central Excise.

Regional Evaluation Offices, Chennai, Jaipur and Project Evaluation Office, Ahmedabad have stated that Retention Schedule is maintained by Headquarter.

8.8 As regards Pubic Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc are concerned out of 56 Organisations who have furnished information in this regard 10 have informed that they have prepared Retention Schedule for records. These are:- Council of Scientific and Industrial Research and National Textile Corporation Limited, both in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal and Rasyani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (UP); Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar (Kottayam); Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

8.9 The following 8 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have informed that they have initiated the action for compilation of records retention schedule. Hindustan Insecticides Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited and Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED), all in New Delhi; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; Ganga Flood Control Commission, Patna.

8.10 IRCON International Limited, New Delhi; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore and Narmada Control Authority, Indore have informed that they are following the Records Retention Schedule as per Companies Act.

8.11 National Aluminium Company, Bhubaneswar; Mineral Exploration Corporation, Nagpur; Bharat Dynamics Limited and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad have informed that the action towards the compilation of Records Retention Schedule will be taken-up soon.

8.12 The following 10 Undertakings/ Statutory Bodies etc. have sent vague reply:- State Farms Corporation of India Limited and Steel Authority of India Limited, both in New Delhi; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Petroleum Corporation Limited and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Mahanandi Coalfields Limited Sambalpur; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore; Metallurgical and Engineering Construction (India) (MECON) Limited, Ranchi.

8.13 16 Organisations have reported that they have no records retention schedule. These are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, all in New Delhi; Mumbai Port Trust and Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research, all in Mumbai; Central Institute of Plastics

रिसर्च – सभी मुंबई में; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और टेक्नोलाजी संस्थान चेन्नई; राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रोपड़; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड न्येवेली; हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम; प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकन्दराबाद; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रोपिकल मेट्रोलाजी पुणे; मर्मुगाओ बंदरगाह न्यास गोवा; ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी; एचएमटी चिनार वाचेज़ लिमिटेड श्रीनगर।

8.14 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता और मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि वे अपनी स्वयं की अभिलेख प्रतिधारण समय-सूची का पालन कर रहे हैं।

8.15 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नयी दिल्ली और न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियमावली 1997 के अंतर्गत नहीं आते।

Engineering and Technology, Chennai; National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Roopar; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune; Mormugao Port Trust, Goa; Brahmaputra Board, Guwahati; H.M.T. Chinara Watches Limited, Srinagar.

8.14 Indian Statistical Institute, Kolkata and Mazagon Dock Limited, Mumbai have informed that they are following their own Records Retention Schedules.

8.15 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that they are not covered under the Public Record Act 1993 and the Public Records Rules 1997.

अध्याय 9

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

अधिकतर अभिलेख सर्जक एजेंसियों/सरकारी विभागों में कुछ ऐसे अभिलेख भी होते हैं जो संवेदनशील किस्म के होते हैं और जनहित में उन्हें अनधिकृत व्यक्ति को दिखाने की मनाही होती है क्योंकि इसको दिखाने से राष्ट्र की अखंडता के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अभिलेख सर्जक एजेंसियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही फाइल का सुरक्षा-वर्गीकरण किया जाये। लोक अभिलेख नियमावली 1997 के अनुच्छेद 7 के साथ पठित लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (च) के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि पांच साल में एक बार अभिलेख का विवर्गीकरण करें/दर्जा घटाएं और सामान्य श्रृंखला के साथ उनका सामेलन कर दें। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और अभिलेखीय सहकार बोर्ड की बैठकों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से बार-बार अनुरोध करता रहा है कि वे इस कार्य को पूरी ईमानदारी से पूरा करें।

इसी संबंध में एक परिवत्र सं. एफ.16-12/2002-आर.एम. दिनांक 17 मार्च, 2004 सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को भेजा गया था। 17 मार्च 2004 को ही एक और परिपत्र सं. एफ.16-4/2004-आर.एम. भी भेजा गया और अभिलेख सर्जक एजेंसियों से अनुरोध किया गया कि वे अभिलेख के विवर्गीकरण के बारे में अपनी अर्ध वार्षिक रिपोर्ट भेजें। जिन संगठनों ने अपनी रिपोर्टें भेज दी हैं उनका ब्यौरा अनुलग्नक-3 में देखा जा सकता है।

कुल मिलाकर 200 एजेंसियों ने जिनमें से 144 प्रमुख मंत्रालय/विभाग और 56 सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं, अपनी सूचनाएं प्रेषित कर दी हैं। इनका आलोचनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है:

9.1 निम्नलिखित 36 संगठनों ने सूचित किया है कि वे काम पूरा करने में लगे हैं। ये हैं: पर्यावरण और वन मंत्रालय, श्रम, रेल (रेलवे बोर्ड) मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, (आपूर्ति प्रभाग), सूचना टेक्नोलॉजी, आर्थिक कार्य विभाग; अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, क्यूएमजी शाखा, एमएस शाखा -सभी नई दिल्ली स्थित; भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत सरकार टकसाल - दोनों कोलकाता; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय कोच्चि; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरीद्व अंतरिक्ष विभाग बंगलौर, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर; उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) चंडीगढ़।

9.2 नयी दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि कार्य चल रहा है; कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अभिलेखों के विवर्गीकरण के लिए प्रयास कर रहा है; रक्षा मंत्रालय ने उन्हें विभागीय अभिलेख कक्ष में रखा है।

9.3 जो संगठन वर्गीकृत अभिलेख का विवर्गीकरण नहीं कर रहे वे हैं: नागर विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय; प्रकाशन विभाग, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक और वाणिज्य विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय), सेना मुख्यालय, एमजीओ शाखा, ई-इन-सी शाखा, एजी शाखा,

DECLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

Most of the Records Creating Agencies/ Government Department do create some records which are of sensitive nature and not to be shown to unauthorized person in public interest as their disclosure may cause problem to integrity of Nation Keeping this in view, it is imperative on the part of Records Creating Agencies that the file should be given security classification only when it is absolutely necessary. Section 6(1) (f) of Public Records Act 1993 to be read with 7 of Public Records Rule 1997 has made it mandatory to downgrade/ declassify records once in five years and amalgamate them in regular series. National Archives of India has been repeatedly urging the Ministries/ Departments/ Public Sector Undertakings through its various meetings held with Department of Personnel and Administrative Reforms and also Archival Advisory Board meetings to take up this work the right earnest.

A Circular letter No. F.16-12/2002-R.M. dated 17 March 2004 was sent to all Records Creating Agencies and again another Circular letter No. F.16-4/ 2004-R.M dated 17 March 2004 was also issued requesting the Records Creating Agencies to send their half-yearly reports on declassification of records. The details of organizations who have sent their reports can be seen in **Annexure III**.

In all 200 Agencies 144 Main Ministries/ Departments, and 56 Public Sector Undertakings have furnished information. The Critical Analysis is as follows:-

9.1 The following 36 Organisations have informed that they are doing the work:-These are:- Ministries of Environment and Forest, Labour, Railways (Railway Board) Departments of Commerce (Supply of Division), Information Technology, Economic Affairs, Additional Directorate General of Administration and Coord, Army Headquarters, QMG Branch, MS Branch, all in New Delhi; Botanical Survey of India and India Government Mint, both in Kolkata; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) Kochi; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Department of Space, Bangalore; Indian Bureau of Mines, Nagpur Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest) Chandigarh.

9.2 Prime Minister's Office, New Delhi has informed that the work is in progress; Department of Personnel and Training is doing efforts in declassifying the records; Ministry of Defence has kept them in Departmental Records Room.

9.3 The organizations who are not doing declassification of classified records are:- Ministries of Civil Aviation, Health and Family Welfare; Power, Water Resources, Departments of Publications, Chemicals and Petrochemicals, Fertilizers, Commerce, President Secretariat, Secretariat of Vice President of India, Cabinet Secretariat, Additional Directorate General of Administration and Coord, Army Headquarters, MGO Branch, E-in-C Branch, AG Branch, Integrated Headquarters of Ministry

रक्षा मंत्रालय का समन्वित मुख्यालय, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना मुख्यालय, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के कार्यालय, विदेश व्यापार — सभी दिल्ली में; राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, पटसन आयुक्त का कार्यालय, वाणिज्यिक आसूचा और सांख्यिकी महानिदेशालय — सभी कोलकाता में; मुंबई स्थित शत्रु संपत्ति अभिरक्षक; रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय रांची; महा डाकपाल (उ.प्र. परिमंडल) लखनऊ, (हरियाणा परिमंडल) अम्बाला; (उड़ीसा परिमंडल) भुवनेश्वर; (उत्तरांचल परिमंडल) देरादून और (विजयवाड़ा परिमंडल) विजयवाड़ा; टर्मिनल बैलास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी चंडीगढ़; क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.); पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भोपाल; केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन) गाजियाबाद; राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बंगलौर।

9.4 फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान जमशेदपुर ने सूचित किया है कि कार्वाई मुख्यालय द्वारा की जानी है।

9.5 सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख को विवर्गीकृत नहीं किया जा सकता।

9.6 बाकी 85 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई वर्गीकृत रिकार्ड नहीं है इसलिए सूचना को शून्य समझा जाए। ये हैं: अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; व्यय विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, आयकर निपटान आयुक्त, महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान; आंचलिक परिषद सचिवालय, कम्प्यूटर केन्द्र, डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग, क्षेत्रीय अभियान प्रभाग, विस्तार निदेशालय — सभी नयी दिल्ली में; तम्बाकू निदेशालय चेन्नई; विपणन निरीक्षण निदेशालय गुवाहाटी और कपास विकास मुंबई; बाजरा विकास जयपुर, गेहूं विकास गाजियाबाद, आयकर आयुक्त (अपील) दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद; कर्मचारी चयन आयोग नयी दिल्ली और मध्य क्षेत्र इलाहाबाद; योजना आयोग, विकास आयुक्त का कार्यालय — सभी नई दिल्ली में; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र दिल्ली और चेन्नई; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम 1976 और स्वापक औषधि औ मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 — सभी कोलकाता में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म धमरोद (जिला सूरत) और चिपलिमा (जिला संबलपुर), केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान बंगलौर; राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र गाजियाबाद; चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र गांधीनगर; दक्षिण क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर (आ.प्र.); केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय कानपुर; अतिरिक्त आयकर आयुक्त कार्यालय (सीआईबी)—2, मुंबई; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क गुलबर्गा और हुबली; सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बेलगांव, बेल्लारी और हुबली; मुख्य आयकर आयुक्त गाजियाबाद, देहरादून, कानपुर और नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त नागपुर और औरंगाबाद; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बेलगांव; आयकर आयुक्त मुंबई और लुधियाना; आयकर महानिदेशक अहमदाबाद; निदेशक आय कर महानिदेशक अहमदाबाद; निदेशक आयकर (अन्वेषण) भुवनेश्वर; शासकीय परिसमापक कार्यालय उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उत्तरांचल उच्च न्यायालय नैनीताल और कल्याण आयुक्त

of Defence (Navy), Office of the Director General of Civil Aviation, Services Sports Control Board, Armed Forces Headquarters Offices of the Directorate Generals of Supplies and Disposal, Foreign Trade, all in New Delhi; National Atlas Thematic Mapping Organisation and Office of the Jute Commissioner and Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, all in Kolkata; Custodian of Enemy Property, Mumbai; Commission of Railway Safety, Lucknow; Offices of the Chief Postmaster, Ranchi; Postmaster Generals (U.P. Circle), Lucknow; (Haryana Circle), Ambala; (Orissa Circle), Bhubaneswar; (Uttaranchal Circle), Dehradun and (Vijayawada Region), Vijayawada; Terminal Ballistic Research Laboratory, Chandigarh Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Western Region Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; National Tuberculosis Institute Bangalore.

9.4 Foreman Training Institute, Jamshedpur has informed that the action is to be taken by Headquarters.

9.5 Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi has informed that their records cannot be declassified.

9.6 The remaining 85 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they have no classified records hence the information is NIL. These are:- Ministries of Non-Conventional Energy Sources, Shipping and Statistics and Programme Implementation; Departments of Expenditure, Women and Child Development, Central Pension Accounting Office, Income Tax Settlement Commission, Directorate General of Central Reserve Police Force, Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Zonal Council Secretariat, Computer Centre, Data Processing Division, Field Operation Division, Directorate of Extension, all in New Delhi; Directorate of Tobacco, Chennai; Directorates Marketing Inspection, Guwahati and Cotton Development, Mumbai; Millets Development Jaipur, Wheat Development Ghaziabad; Commissioners of Income Tax (Appeals) Delhi, Mumbai and Ahmedabad; Staff Selection Commission, New Delhi and (Central Region), Allahabad; Planning Commission, Office of the Development Commissioner, all in New Delhi; Vocational Rehabilitation Centers for Handicapped, Delhi and Chennai; Central Reference Library, Central Statistical Organisation and Offices of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, all in Kolkata; Central Cattle Breeding Farms Dhamrod (District Surat) and Chiplima (District Sambalpur), Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore; National Biofertiliser Development Centre Ghaziabad; Regional Station for Forage Production and Demonstration Gandhinagar; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.); Central Excise Commissionerate, Kanpur; Offices of the Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, Mumbai; Assistant Commissioners of Central Excise and Customs, Gulbarga and Hubli; Assistant Commissioners of Central Excise, Belgaum, Bellary and Hubli; Chief Commissioners of Income Tax, Ghaziabad, Dehradun, Kanpur and Nagpur; Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur and Aurangabad; Commissioners of Central Excise, Belgaum; Commissioners of Income Tax Mumbai and Ludhiana; Director General of Income Tax, Ahmedabad; Director Income Tax (Investigation), Bhubaneswar; Office of Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad

(श्रम कल्याण संगठन) — दोनों इलाहाबाद में; नमक आयुक्त जयपुर; भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे; एडवांस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रानिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन देहरादून; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य) अजमेर और चंडीगढ़; क्षेत्रीय निदेशालय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हैदराबाद; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान अरझमिले (तुरा, मेघालय), बंगलौर और हिसार; अनुसंधान, डिजायन और मानक संगठन लखनऊ; दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय नोएडा; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, पटना, शिमला और तिरुअनंतपुरम; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और इलाहाबाद।

9.7 56 सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 8 संगठनों ने फाइलों के विवर्गीकरण का कार्य प्रारंभ करने की जानकारी दी है। 2 ने सूचित किया है कि वे अपनी ही प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। 10 ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं। 5 ने उत्तर दिया है कि यह उनपर लागू नहीं होता जबकि 25 संगठनों ने शून्य/नहीं सूचना भेजी है। 2 का कहना है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियमावली 1997 के दायरे में नहीं आते।

9.8 निम्नलिखित 8 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके पास वर्गीकृत रिकार्ड हैं और वे विवर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं। ये संगठन हैं : नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली; न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड न्येवेली; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंटनगर (कोट्टायम); इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी पुणे; विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास, विशाखापत्तनम; तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन; मर्मुगाओ बंदरगाह न्यास, गोवा; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर।

9.9 मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल और भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने सूचित किया है कि वर्गीकृत फाइलों के विवर्गीकरण का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

9.10 निम्नलिखित 2 संगठनों ने सूचित किया है कि वे अपनी ही प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं। ये हैं: मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता।

9.11 निम्नलिखित 10 संगठनों ने बड़े अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं : स्टेट फार्मर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण — दोनों नई दिल्ली स्थित; चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय) — दोनों चेन्नई में; एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड — दोनों मुंबई में; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड सम्बलपुर; भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर; मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मीकॉन) लि. रांची।

9.12 6 अन्य संगठन ऐसे हैं जो महसूस करते हैं कि ये उनपर लागू नहीं होता है। ये हैं : हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड और भारती हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड — दोनों नई दिल्ली में; इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता; मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड मुंबई; हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड अम्बलमुगल और रसायनी।

9.13 निम्नलिखित 26 संगठनों ने 'निल' रिपोर्टें भेजी हैं : राष्ट्रीय औषधिक मूल्यनिर्धारण प्राधिकरण; प्रोजेक्ट इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टैरिज्म

and Nainital and Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), both in Allahabad; Salt Commissioner, Jaipur; National Film Archive of India Pune; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Offices of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer and Chandigarh; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Regional Vocational Training Institutes for Women, Aizawl (Tura, Meghalaya), Bangalore and Hissar; Research Designs and Standards Organisation, Lucknow; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida; Project Evaluation Offices, Guwahati, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Patna, Shimla and Thiruvananthapuram; Regional Evaluation Offices Chennai, Kolkata, Mumbai, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Lucknow and Ahmedabad.

9.7 The analysis of information received from 56 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. in this regards is as follows. In all 8 Organisations have intimated that they are doing the de-classification of files, 2 have informed that the work will be taken up soon, 2 have informed that they are following their own system, 10 have sent vague reply, 2 have replies that they are following their own system and 5 have reported that it is not applicable to them whereas NIL/ No information has been forwarded by 25 organisations while 2 have informed that they are not covered under the Public Records Act 1993 and the Public Records Rules 1997.

9.8 The following 8 Organisations have informed that they are having classified records and doing the job of de-classification:- National Textile Corporation Limited, New Delhi; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Hindustan Newsprint Limited, Newsprintnagar (Kottayam); Indian Institute of Tropical Metrology, Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa; Narmada Control Authority, Indore.

9.9 Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal and Bharat Dynamics Limited, Hyderabad have informed that the job of de-classification of classified files will be taken up soon.

9.10 The following 2 Organisations have informed that they are following their own system:- Mazagon Dock Limited, Mumbai and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata.

9.11 The following 10 Organisations have forwarded vague reply:- State Farms Corporation of India Limited and Steel Authority of India, both in New Delhi; Chennai Petroleum Corporation Limited and Institute of Ocean Management (Anna University) both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Petroleum Corporation Limited and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Mahanandi Coalfields Limited, Sambalpur; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore; Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

9.12 The other category of 6 Organisations who feel that it is not applicable to them are:- Hindustan Insecticides Limited and Bharat Heavy Electricals Limited, both in New Delhi; Indian Statistical Institute, Kolkata; Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal and Rasyani;

9.13 The following 26 organisations have forwarded 'NIL' reports:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation Limited, Mineral and Metals Trading Corporation Limited,

कार्पोरेशन, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ट्राइबल कोआपरेशन मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन (ट्राइफेड) सभी नई दिल्ली में; सेंट्रन इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी चेन्नई; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कोलकाता; मुंबई बंदरगाह न्यास, सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च और शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड – सभी मुंबई में; स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड बंगलौर; फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड नोएडा (उत्तर प्रदेश); राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रोपड़; भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद; हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड तिरुअनंतपुरम; प्रागा टूल्स लिमिटेड सिकंदराबाद; एच.एम.टी. चिनार वाचेज लिमिटेड श्रीनगर; नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर; इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स हैदराबाद; मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड गुवाहाटी; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना।

9.14 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड मुंबई ने सूचित किया है कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के दायरे में नहीं आते हैं।

Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCON International Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, Council of Scientific and Industrial Research, Tribal Co-operation Marketing Development Federation (TRIFED), all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, Kolkata; Mumbai Port Trust, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER) and Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Roopar; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad; H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Brahmaputra Board, Guwahati; Ganga Flood Control Commission, Patna.

9.14 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that they are not covered under the Public Records Act 1993 and the Public Records Rules 1997.

अध्याय-10

निष्क्रिय आयोग/समितियां

विशेष प्रयोजन के लिए गठित किए जाने वाले आयोग/समितियों के पास महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जो प्रशासकों के लिए और काफी समय बीत जाने पर इतिहासकारों के लिए भी उपयोगी होती है। चूंकि इस तरह की जानकारी अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकती, इसलिए भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख सर्जक एजेंसियों के साथ संपर्क रखते हुए उसे संरक्षित करने के प्रयास करता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 500 प्रतिष्ठानों सहित 1,887 अभिलेख सर्जक एजेंसियों को 17 मार्च, 2004 को परिपत्र संख्या एफ 16-12/2004 आर एम भेजा गया। एक अन्य परिपत्र संख्या 16-10/2004 आर एम, दिनांक 17 जून, 2004, 84 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों को जारी किया गया।

10.1 रक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर सूचित किया है कि दो निष्क्रिय निकायों, यानी निर्यात वर्गीकरण समिति और विशेष अधिशेष भंडार निपटान समिति के अभिलेख उनकी अभिरक्षा में हैं और इन अभिलेखों को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में लाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

10.2 कपास विकास निदेशालय, मुंबई ने भी सूचित किया कि उनके पास भारतीय विकास परिषद के अभिलेख हैं।

10.3 विदेश व्यापार निदेशालय, नई दिल्ली, ने हमसे अनुरोध किया कि हम उनके मुख्यालय से संपर्क करें, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा कि वह स्थिति का पता लगाएगा।

10.4 निम्नांकित कार्यालयों ने इस बारे में 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है। ये हैं :- नागर विमानन, पर्यावरण और वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, अपरंपरागत ऊर्जा, बिजली, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा जल संसाधन मंत्रालय; रसायन और पेट्रो-रसायन, उर्वरक, वाणिज्य, (आपूर्ति प्रभाग), आर्थिक कार्य, व्यय, कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रकाशन और महिला एवं बाल विकास विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, और विस्तार निदेशालय, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, आपूर्ति और निपटान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन एवं समन्वय), सेना मुख्यालय, क्यूएमजी ब्रांच, एमजीओ ब्रांच, एमएस ब्रांच, ई-इन-सी ब्रांच और एजी ब्रांच, सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (नौसेना); रक्षा महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर निबटारा आयोग, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, आंचलिक परिषद सचिवालय, कर्मचारी चयन आयोग, विकास आयुक्त का कार्यालय, क्षेत्र परिचालन प्रभाग, कम्प्यूटर केंद्र, डाटा प्रोसेसिंग डिविजन और योजना आयोग, सभी दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, चेन्नई; कपास विकास विभाग, मुंबई; गेहूं विकास विभाग, गाजियाबाद, बाजरा विकास विभाग, जयपुर और विपणन एवं निरीक्षण विभाग, गुवाहाटी; प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तम्भ महानिदेशालय, नोएडा; और वाणिज्यिक एवं गुप्तचर और सांख्यिकी विभाग, कोलकाता; आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद; सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली और चेन्नई; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर और चण्डीगढ़;

DEFUNCT/ COMMITTEES COMMISSIONS

Commissions/ Committees which are set up for a specific purpose do contain important information that is useful for administrators and after considerable lapse of time for historians as well. As this type of information will not be available elsewhere, the National Archives of India has been making efforts to preserve it by contacting Records Creating Agencies. To achieve the target, a Circular letter No. F. 16-12/ 2004-R.M. dated 17 March 2004 was issued to 1,887 Records Creating Agencies, including 500 Public Sector Undertakings. Another Circular letter No. F. 16-10/2004-R.M. dated 17 June 2004 was issued to 84 main Ministries/ Departments.

10.1 Ministry of Defence has again informed that they have records of two defunct bodies in their custody i.e. Export Classification Committee, and Special Surplus Store Disposal Committee and every effort is being made to bring these records from the Ministry to National Archives of India.

10.2 Directorate of Cotton Development Mumbai has also informed that they have records of Indian Development Council.

10.3 Directorate General of Foreign Trade, New Delhi has requested us to contact Headquarters, whereas Department of Information Technology will be ascertaining the position.

10.4 The following offices have sent NIL report. These are:- Ministries of Civil Aviation, Environment and Forests, Health and Family Welfare, Labour, Non-Conventional Energy, Power, Railways (Railway Board) Shipping, Statistics and Programme Implementation and Water Resources; Departments of Chemicals and Petrochemicals, Fertilizers, Commerce, (Supply Division), Economic Affairs, Expenditure, Personnel and Training, Publications and Women and Child Development; President Secretariat, Secretariat Vice President of India, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, and Directorate of Extension, Office of the Director General Civil Aviation, Supplies and Disposals, Central Reserve Police Force, Additional Directorate Generals (Administration and Coordination), Army Headquarters, QMG Branch, MGO Branch, MS Branch, E-in-C Branch and AG Branch, Service Sports Control Board, Armed Forces Film and Photo Division, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy); Office of the Controller General Defence Accounts, Central Pension Accounting Office, Income Tax Settlement Commission, Loknayan Jaiparkash Narayan Institute of Criminology and Forensic Science, Zonal Council Secretariat, Staff Selection Commission, Office of the Development Commissioner, Field Operation Division, Computer Centre, Data Processing Division and Planning Commission all in New Delhi; Directorates of Tobacco Development, Chennai, Cotton Development Mumbai, Wheat Development, Ghaziabad, Millet Development, Jaipur and Marketing and Inspection, Guwahati; Lighthouses and Lighthships, Noida and Commercial and Intelligence and Statistics, Kolkata; Commissioners of Income Tax (Appeals), New Delhi, Mumbai and Ahmedabad; Office of the Commissioner of Customs, Chennai, Vocational Rehabilitation Centres for Handicapped, Delhi and

परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, शिमला, बंगलौर, भुवनेश्वर, पटना, और अहमदाबाद; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मानचित्रण संगठन, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (आई.एस. विंग), पटसन आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार टकसाल, तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और एन.डी.पी.एस अधिनियम, 1985 कार्यालय, सभी कोलकाता में; महाप्रबंधक का कार्यालय, मध्य रेलवे और भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, दोनों मुंबई में; राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन), दोनों गाजियाबाद में; अंतरिक्ष विभाग, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी संस्थान, सभी बंगलौर में ; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) ; क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केंद्र, गांधीनगर ; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चिपलीमा और धामरोड़; रेलवे सुरक्षा आयोग और अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन, दोनों लखनऊ में; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला और उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), दोनों चंडीगढ़ में; पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल; क्षेत्रीय सेना उड़न योग्यता केंद्र, जिला सुलतान पुर; नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल उच्च न्यायालयों के शासकीय परिसमापक कार्यालय, इलाहाबाद और नैनीताल; कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन) और कर्मचारी चयन आयोग, सभी इलाहाबाद में; भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; अग्रवती प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रोनिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; वरिष्ठ पोस्ट मास्टर, वाराणसी; मुख्य महापोस्टमास्टर, रांची; मुख्य महापोस्टमास्टर, के कार्यालय (उड़ीसा सर्कल) भुवनेश्वर, (हरियाणा सर्कल) अम्बाला, (उत्तरांचल सर्कल) देहरादून (उत्तर प्रदेश सर्कल) लखनऊ, और (विजयवाड़ा क्षेत्र) विजयवाड़ा; आयकर आयुक्त के कार्यालय, अतिरिक्त आयकर आयुक्त के कार्यालय (सीआईबी)-II, दोनों मुंबई में; मुख्य आयकर आयुक्त (मेरठ), गाजियाबाद, कानपुर, नागपुर, देहरादून और लुधियाना; आयकर महानिदेशक के कार्यालय, अहमदाबाद, (अन्वेषण), भुवनेश्वर; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद, हुबली, गुलबर्ग और नागपुर केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त , बेलगाम, हुबली और बेल्लारी; केन्द्रीय उत्पाद कमिशनरात, कानपुर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय (केन्द्रीय), कोच्चि, अजमेर, चंडीगढ़; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, हिसार और अराइमिले (तुरा, मेघालय)।

10.5 इस संबंध में 56 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/निगमों आदि ने उत्तर दिया। इनमें से 37 ने शून्य सूचना दी, 10 ने अस्पष्ट उत्तर दिए, जबकि 7 संगठनों सूचित किया यह उन पर लागू नहीं होता। 2 संगठनों ने सूचित किया कि वे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम 1997 के अधीन नहीं आते। प्राप्त सूचना का विस्तृत विश्लेषण निम्नलिखित है :-

10.6 निम्नलिखित 37 संगठनों ने शून्य सूचना प्रेषित की - हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, परियोजना उपकरण निगम लिमिटेड, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं

Chennai; Regional Evaluation Offices, Chennai, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Lucknow, Hyderabad, Jaipur and Chandigarh; Project Evaluation Offices, Guwahati, Thiruvananthapuram, Bhopal, Shimla, Bangalore, Bhubaneswar, Patna and Ahmedabad; Central Reference Library, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Botanical Survey of India, National Sample Survey Organisation, Central Statistics Organisation (I.S. Wing), Office of the Jute Commissioner, India Government Mint, Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, all in Kolkata; Offices of the General Manager, Central Railway and Custodian of Enemy Property for India, both in Mumbai; National Biofertiliser Development Centre and Central Drugs Standard Control Organisation (North Zone), both in Ghaziabad; Department of Space, National Tuberculosis Institute, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantpur (A.P.); Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Central Cattle Breeding Farms, Chiplima and Dhamrod; Commission of Railway Safety and Research Designs and Standards Organisation, both in Lucknow, Indian Bureau of Mines, Nagpur; Terminal Ballistics Research Laboratory and Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest), both in Chandigarh; Western Regional Office, Bhopal; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur; Office of the Salt Commissioner, Jaipur, Offices of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation) and Staff Selection Commission, all in Allahabad; National Film Archive of India, Pune; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad, Foremen Training Institute, Jamshedpur; Advanced Training Institute Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Senior Postmaster, Varanasi; Chief Postmaster General, Ranchi; Offices of the Chief Postmaster General (Orissa Circle) Bhubaneswar, (Haryana Circle) Ambala, (Uttaranchal Circle) Dehradun (U.P. Circle) Lucknow, and (Vijayawada region) Vijayawada; Offices of the Commissioner of Income Tax, Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, both in Mumbai; Chief Commissioners of Income Tax (Meerut), Ghaziabad, Kanpur, Nagpur, Dehradun and Ludhiana; Offices of the Director General of Income Tax, Ahmedabad, (Investigation), Bhubaneswar; Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad, Hubli, Gulbarga and Nagpur; Commissioner of Central Excise, Belgaum, Hubli and Bellary; Central Excise Commissionerate, Kanpur; Offices of the Regional Labour Commissioner (Central), Kochi, Ajmer, Chandigarh, Regional Vocational Training Institutes for Women, Bangalore, Hissar and Aizawl (Tura, Meghalaya).

10.5 In all 56 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. responded in this regard. Out of which 37 have furnished NIL information 10 have sent vague reply, whereas 7 Organisations have intimated that it is not applicable to them while 2 organizations have informed that they are not covered under the Public Records Act 1993 and the Public Records Rule 1997. The analysis of the information is detailed as under.

10.6 The following 37 Organisations have furnished NIL information:- Hindustan Insecticides Limited, Project Equipment Corporation Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Indian Railway Catering and Tourism Corporation, IRCON International Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, Council of Scientific and Industrial

प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), चेन्नई; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, दोनों कोलकाता में; सोसायटी फोर माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, सभी मुंबई में; हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, अम्बालामुगल और रसायनी (रायगढ़); उर्वरक एवं रसायन त्रावणपूर लिमिटेड, कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश); नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नेवेली; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर; हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोट्टायम); भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; हिंदुस्तान लेटिक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम; प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद; एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, श्रीनगर; मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल; राष्ट्रीय अलुमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर; इंटरनेशनल ऐडवान्सड रिसर्च सेंटर फोर पाउडर मेटालर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी; गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना।

10.7 निम्नांकित 10 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर दिए :- स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दोनों नई दिल्ली में; इन्स्टिट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट यानी समुद्र प्रबंधन संस्थान (अन्ना यूनिवर्सिटी) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, दोनों चेन्नई में; एन्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, दोनों मुंबई में; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर; भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (एमईसीओएन) लिमिटेड, रांची।

10.8 सात संगठनों ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता। ये हैं- राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड), दोनों नई दिल्ली में; भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता; मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई; राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), रोपड़; भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।

10.9 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई ने सूचित किया कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियम, 1997 के अंतर्गत नहीं आते।

Research, National Textile Corporation Limited, all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, both in Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mazagon Dock Limited, Mumbai Port Trust, Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal and Rasyani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Hindustan Newsprint Limited, Newsprintnagar (Kottayam); Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad; H.M.T. Chinara Watches Limited, Srinagar; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Narmada Control Authority, Indore; Brahmaputra Board, Guwahati; Ganga Flood Control Commission, Patna.

10.7 The following 10 Organisations have forwarded vague replies:- State Farms Corporation of India Limited and Steel Authority of India, both in New Delhi; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Petroleum Corporation Limited and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore and Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

10.8 7 Organisations have informed that it is not applicable to them. These are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED), both in New Delhi; Indian Statistical Institute, Kolkata; Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai; National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune and Mormugao Port Trust, Goa.

10.9 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that they are not covered under the Public Records Act 1993 and the Public Records Rules, 1997.

अध्याय 11

अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा की गयी कार्रवाई

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (i) (ग) के अनुबंधों के मुताबिक राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाना एक सांविधिक आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से क्षणिक महत्व के अभिलेखों की छंटाई करके बहुमूल्य भंडारण स्थान की बचत होती है, जिसका इस्तेमाल अभिलेखों की नई संभूति के लिए किया जा सकता है। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि स्थायी महत्व के अभिलेख नियमित रूप से अभिलेखीय भंडार में स्थानांतरित किए जायें ताकि उन्हें स्थायी रूप से संरक्षित किया जा सके और सभी इच्छुक व्यक्ति उनका इस्तेमाल कर सकें। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों को 17 मार्च, 2004 को परिपत्र संख्या 16-12/2004-आर एम जारी किया गया, जिसमें उनसे इस बारे में शुरू की गयी कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया, इस परिपत्र के जवाब में 144 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने जानकारी भेजी। प्राप्त जानकारी के विश्लेषण का ब्योरा नीचे दिया गया है।

11.1 20 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि वे भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अपने अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन करा रहे हैं। ये हैं:- रक्षा, पर्यावरण और वन, रेलवे, जहाजरानी और जल संसाधन मंत्रालय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्थिक मामले, व्यय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, पूर्ति और निपटान महानिदेशक, तथा विदेश व्यापार विभाग; और क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग, सभी नई दिल्ली में; महाप्रबंधक मध्य रेलवे का कार्यालय, मुंबई; मुख्य महापोस्टमास्टर, भुवनेश्वर, नमक आयुक्त, जयपुर और राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बंगलौर।

11.2 निम्नांकित 99 संगठनों ने 'शून्य' रिपोर्ट भेजी है:- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, बिजली, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; उर्वरक, वाणिज्य (आपूर्ति प्रभाग), प्रकाशन और महिला एवं बाल विकास विभाग; उपराष्ट्रपति सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, कर्मचारी चयन आयोग, नागर विमानन महानिदेशक का कार्यालय, विकास आयुक्त और रक्षा लेखा महानियंत्रक, प्रशासन एवं समन्वय अतिरिक्त महानिदेशालय, (सेना मुख्यालय), एमजीओ ब्रांच, ई-इन-सी ब्रांच; सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (नौसेना), केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर निबटारा आयोग, आयकर आयुक्त (अपील), कम्प्यूटर सेंटर, डाटा प्रोसेसिंग डिविजन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र और आंचलिक परिषद मुख्यालय, सभी नई दिल्ली में; सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय और विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, दोनों चेन्नई में; वाणिज्यिक गुप्तचर और सांख्यिकीय महानिदेशालय, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 कार्यालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय वनस्पति

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Section 6(1) (C) of the Public Records Act, 1993 stipulates that the appraisal of non-current records of the Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings in collaboration with the National Archives of India is a statutory requirement. It helps in saving precious shelf space by eliminating records of ephemeral value, which can then be utilized for fresh accrual of records. It also ensures that the records of permanent nature are regularly transferred to the Archival repository for permanent preservation and use by all interested. Keeping in view the said provision, a Circular letter No. 16-12/ 2004-R.M. dated 17 March 2004 was issued to all records creating agencies to ascertain the action initiated by them in this regard. In response to the said Circular 144 Ministries/ Departments/ Offices have furnished information. The analysis of information received is detailed below.

11.1 20 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are conducting the appraisal of their non-current records in consultation with National Archives of India. These are:- Ministries of Defence, Environment and Forests, Railways, Shipping and Water Resources; Departments of Commerce, Information Technology, Economic Affairs, Expenditure and Personnel and Training; President's Secretariat, Prime Minister's Office, Planning Commission, Directorates General of Supplies and Disposals and Foreign Trade; and Field Operation Division, all in New Delhi; Offices of the General Manager Central Railway, Mumbai; Chief Postmaster General, Bhubaneswar; Salt Commissioner, Jaipur and National Tuberculosis Institute, Bangalore.

11.2 The following 99 Organisation have sent 'NIL' reports. These are:- Ministries of Health and Family Welfare, Labour, Non-Conventional Energy Sources, Power, Statistics and Programme Implementation; Departments of Fertilizers, Commerce (Supply Division), Publication and Women and Child Development; Secretariat of the Vice-President of India, Cabinet Secretariat, Staff Selection Commission, Offices of the Director General of Civil Aviation, Development Commissioner and Controller General of Defence Account; Additional Directorate General of Admn. & Coord, (Army Headquarters), MGO Branch, E-in-C Branch; Services Sports Control Board, Directorate General, Central Reserve Police Force, Armed Forces Film and Photo Division, Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), Central Pension Accounting Office, Income Tax Settlement Commission, Commissioner of Income Tax (Appeals), Computer Centre, Data Processing Division, Lok Nayak Jaiparkash Narayan Institute of Criminology and Forensic Science, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Zonal Council Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs and Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, both in Chennai; Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Central Reference Library, Central Statistical Organisation,

सर्वेक्षण, राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मैपिंग संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सभी कोलकाता में; कपास विकास निदेशालय, भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त और आयकर अतिरिक्त आयुक्त (सीआईबी)II, सभी मुंबई में; अंतरिक्ष विभाग, केंद्रीय तटीय इंजीनियरी संस्थान, दोनों बंगलौर में; पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) भोपाल; उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) तथा सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, दोनों चंडीगढ़ में; आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील) और आयकर महानिदेशालय, दोनों अहमदाबाद में; मुख्य आयुक्त आयकर (के) कार्यालय, गाजियाबाद, देहरादून, कानपुर, लुधियाना और नागपुर; आयकर निदेशक (अन्वेषण) कार्यालय, भुवनेश्वर; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद और नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त, दोनों बेलगाम में; केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त, हुबली; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, गुलबर्ग; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क आयुक्त, नागपुर; केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त, कानपुर; गेहूं विकास निदेशालय और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन, दोनों गाजियाबाद में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा; क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केंद्र, गांधीनगर; सेना उड़न योग्यता क्षेत्रीय केंद्र, जिला सुल्तानपुर, (उ0प्र0); मुख्य महापोस्टमास्टर (के) कार्यालय, अम्बाला और रांची; महापोस्टमास्टर, विजयवाड़ा; वरिष्ठ पोस्टमास्टर वाराणसी; क्षेत्रीय श्रम-आयुक्त के कार्यालय, चंडीगढ़ और कोच्चि; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर, हिंसार और अराइमिले (तूरा, मेघालय) ; कल्याण आयुक्त का कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग, दोनों इलाहाबाद में; अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; रेलवे सुरक्षा आयोग आयोग और अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन, दोनों लखनऊ में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और हैदराबाद; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और शिमला; लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तम्भ, महानिदेशालय, नोएडा और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे।

11.3 निम्नांकित 13 कार्यालयों ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता— रसायन और पैट्रो रसायन विभाग, विस्तार निदेशालय, अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन एवं समन्वय) सेना मुख्यालय, क्यूएमजी ब्रांच और एजी ब्रांच, सभी नई दिल्ली में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड; मुख्य महापोस्टमास्टर, देहरादून और लखनऊ; केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त का कार्यालय, बेल्लारी; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, हुबली; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, अजमेर; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुवनंतपुरम।

11.4 नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि अप्रचलित अभिलेखों की पहचान करने और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से उनकी छंटाई करने का काम नये सिरे से शुरू किया जाएगा। तंबाकू विकास निदेशालय, चेन्नई ने बताया कि उनके पास अप्रचलित अभिलेखों की 350 से अधिक फाइलें हैं, जिनका मूल्यांकन राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से किया जाना है।

Botanical Survey of India, National Atlas and Thematic Mapping Organisation and National Sample Survey Organisations, all in Kolkata; Directorate of Cotton Development, Offices of Custodian of Enemy Property for India, Commissioner of Income Tax (Appeals), Commissioner of Income Tax and Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, all in Mumbai; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering, both in Bangalore; Western Regional Office (Ministry of Environment and Forest) Bhopal; Northern Region Office (Ministry of Environment and Forest) and Terminal Ballistics Research Laboratory, both in Chandigarh; Offices of the Commissioner of Income Tax (Appeals) and Director General of Income Tax, both in Ahmedabad; Offices of the Chief Commissioner of Income Tax, Ghaziabad, Dehradun, Kanpur, Ludhiana and Nagpur; Offices of the Director of Income Tax (Investigation), Bhubaneswar; Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad and Nagpur; Commissioner of Central Excise and Assistant Commissioner of Central Excise, both in Belgaum, Assistant Commissioner of Central Excise Hubli; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Gulbarga; Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Central Excise Commissionerate, Kanpur; Directorate of Wheat Development and Central Drug Standard Control Organisation, both in Ghaziabad; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Offices of the Chief Postmaster General, Ambala and Ranchi; Postmaster General, Vijayawada; Senior Postmaster, Varanasi; Offices of the Regional Labour Commissioner, Chandigarh and Kochi; Regional Vocational Training Institutes for Women, Bangalore, Hissar and Aizawl (Tura, Meghalaya); Office of the Welfare Commissioner, and Staff Selection Commission, both in Allahabad; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Commission of Railway Safety and Research Designs and Standards Organisation, both in Lucknow; Regional Evaluation Offices, Chennai, Kolkata, Mumbai, Ahmedabad, Chandigarh, Lucknow, and Hyderabad; Project Evaluation of Offices Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneswar, Guwahati and Shimla; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida and National Film Archive of India, Pune.

11.3 The following 13 Offices have informed that this aspect is not applicable to them. Department of Chemicals and Petrochemicals, Directorate of Extension, Additional Directorate Generals (Administration and Coord) Army Headquarters, QMG Branch and AG Branch, all in New Delhi; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod; Offices of the Chief Postmaster General, Dehradun and Lucknow; Offices of the Assistant Commissioner of Central Excise, Bellary; Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Hubli; Regional Labour Commissioner, Ajmer; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad and Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram.

11.4 Ministry of Civil Aviation has informed that action will be initiated afresh for identifying the non-current records and getting them appraised in consultation with National Archives of India, whereas Directorate of Tobacco Development, Chennai has stated that they have more than 350 files of non-current records to be appraised in consultation with National Archives of India.

11.5 बाजरा विकास विभाग, जयपुर और विपणन एवं निरीक्षण विभाग, गुवाहाटी तथा राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, गाजियाबाद ने सूचित किया कि अप्रचलित अभिलेखों का पता लगाने के उपाय किए जायेंगे और उपयुक्त समय पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी।

11.6 अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन एवं समन्वय) सेना मुख्यालय, एमएस ब्रांच, नई दिल्ली; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर; और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलौर तथा पटना ने सूचित किया कि इस बारे में उनके मुख्यालयों से संपर्क किया जाना चाहिए।

11.7 निम्नलिखित संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है— पटसन आयुक्त का कार्यालय और भारत सरकार टकसाल, दोनों कोलकाता में, शासकीय परिसमापक का कार्यालय उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और नैनीताल, इलाहाबाद।

11.8 कुल मिलाकर 56 सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/वैधानिक निकायों ने सूचना भेजी, जिनमें से 6 संगठनों ने अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में सकारात्मक जानकारी दी। ये हैं :- खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, दोनों नई दिल्ली में; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद; भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे; विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम।

11.9 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नांकित 31 संगठनों ने 'शून्य' सूचना भेजी है - राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण, हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, परियोजना उपकरण निगम लिमिटेड; भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, सभी नयी दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), चेन्नई; गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दोनों कोलकाता में; सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड, सभी मुंबई में; नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, अम्बालामुगल और रसायनी (रायगढ़); उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा; नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नेवेली; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर; हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, न्यूज प्रिंट नगर (कोट्टायम); हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम; प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; एच.एम.टी. चिनार लिमिटेड, श्रीनगर; मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना।

11.10 निम्नांकित 6 संगठनों ने बताया कि उनका अस्तित्व कायम हुए अभी 25 वर्ष भी नहीं हुए हैं, इसलिए अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता। ये हैं :- भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, और जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड), सभी नई दिल्ली में; मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुंबई; अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद, और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), रोपड़।

11.5 Directorates of Millets Development, Jaipur, and Marketing and Inspection, Guwahati and National Biofertiliser Development Centre, Ghaziabad have informed that step will be taken to identify the non-current records and information will be submitted in due course.

11.6 Additional Directorate General (Administration and Coord) Army Headquarters, MS Branch, New Delhi; Regional Evaluation Office, Jaipur; and Project Evaluation Offices, Bangalore and Patna have informed that their Headquarters may be contacted in this regard.

11.7 Office of the Jute Commissioner and India Government Mint, both in Kolkata have given vague reply. Office of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Allahabad.

11.8 In all 56 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have furnished the information out of which 6 Organisations have furnished positive information about appraisal of non-current records. These are:- Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Council of Scientific and Industrial Research, both in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Bharat Dynamics Limited, Hyderabad; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

11.9 The following 31 Public Sector Undertakings have sent 'NIL' information:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Hindustan Insecticides Limited, Project Equipment Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, IRCON International Limited and National Textile Corporation Limited, all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited and Indian Statistical Institute, both in Kolkata; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mazagon Dock Limited, Mumbai Port Trust and Shipping Corporation of India Limited, all in Mumbai; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal and Rasyani (Raigad); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; National Fertilizers Limited, Noida; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar (Kottayam); Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad; H.M.T. Chinari Limited, Srinagar; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa; Narmada Control authority, Indore; Brahmaputra Board, Guwahati and Ganga Flood Control Commission, Patna.

11.10 The following 6 Organisations have reported that they are not 25 years old yet, therefore, the provision of appraisal of non-current records is not applicable to them:- Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, and Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED), all in New Delhi; Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad and National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar.

11.11 निम्नांकित दस संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर दिए :- स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दोनों नई दिल्ली में; चेन्नई पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और समुद्र प्रबंधन संस्थान(अन्ना विश्वविद्यालय), दोनों चेन्नई में; एन्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय फिल्म विकास लिमिटेड, दोनों मुंबई में; महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, सम्बलपुर; भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और मैटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मिकोन) लिमिटेड, रांची।

11.12 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई ने सूचित किया कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियम, 1997 के अंतर्गत नहीं आते।

अध्याय 12

संगठनात्मक इतिहास

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग आदि के संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना अत्यंत अनिवार्य होता है, क्योंकि इससे सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों में होने वाले परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (झ) में अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक अभिलेख सर्जक एजेंसी को अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित करना पड़ता है, और उसका वार्षिक अनुपूरक भी निकालना पड़ता है। उनके विवरण में संगठन की स्थापना, उसके कार्य विभिन्न स्कन्धों, प्रभागों आदि के विकास का ब्योरा होना चाहिए। इस प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दिनांक 17 मार्च, 2004 और 4 जून, 2004 को कमश परिपत्र संख्या 16-12/2004-आरएम और परिपत्र संख्या 16-1ए/2004-आरएम जारी किये, ताकि तत्संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सके।

12.1 निम्नांकित 60 कार्यालयों ने सूचित किया कि वे पहले ही अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर चुके हैं। ये हैं:- कृषि, नागर विमानन, रसायन और उर्वरक, रक्षा, पर्यावरण और वन, श्रम, रेलवे, जहाजरानी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन तथा जल संसाधन मंत्रालय; कृषि और सहकारिता, वाणिज्य, रसायन और पेट्रोरसायन, आर्थिक मामले, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यय, उर्वरक, सूचना प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, प्रकाशन और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग; उपराष्ट्रपति सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और नागर विमानन महानिदेशालय; अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन एवं समन्वय), सेना मुख्यालय, क्यूएमजी ब्रांच और एमजीओ ब्रांच; सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, आयकर निबटारा आयोग, डाटा प्रोसेसिंग डिविजन (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय), राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय) और अंचल परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, चेन्नई; पटसन आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, राष्ट्रीय एटलस और थीमैटिक मैपिंग संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, सभी कोलकाता में; केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, मुंबई, दक्षिण क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर; अंतरिक्ष विभाग, केन्द्रीय तटीय मत्स्य इंजीनियरी संस्थान, राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान और क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, यादृच्छिक प्रतिदर्श कुक्कुट पालन कार्यनिष्पादन एवं शिक्षण संस्थान, सभी बंगलौर में; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) और सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, दोनों चंडीगढ़ में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा; केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, गाजियाबाद; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; बाजरा विकास निदेशालय और नमक आयुक्त का कार्यालय, दोनों जयपुर में; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; भारतीय खान ब्यूरो और आयकर मुख्य आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के कार्यालय, सभी नागपुर में और भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे।

ORGANISATIONAL HISTORY

It is absolutely essential to compile Organisational history of each Ministry/ Department etc. as it helps in having better appreciation of the various changes which have taken place in all records creating Agencies. As per the provisions stipulated under Section 6(1) (i) of the Public Records Act, 1993 each records creating agency is required to compile its Organisational History as well as prepare its annual supplements. The write up should include information about the setting up of the organization, its functions, growth of its different wings, divisions etc. In pursuance of this provision, the National Archives of India issued Circular letters F.No. 16-12/ 2004-RM. dated 17 March 2004 and F.No.16-1A/ 2004-RM dated 4 June 2004 and seeking information in this regard.

12.1 The following 60 offices have informed that they have already compiled Organisational histories:- Ministries of Agriculture, Civil Aviation, Chemical and Fertilizer, Defence, Environment and Forests, Labour, Railways, Shipping, Statistics and Programme Implementation, Urban Development and Poverty Alleviation and Water Resources; Departments of Agriculture and Co-operation, Commerce, Chemicals and Petrochemicals, Economic Affairs, Electronics, Expenditure, Fertilizers, Information Technology, Heavy Industries, Publication and Personnel and Training; Secretariat of the Vice President of India, Cabinet Secretariat, Directorates General of Supplies and Disposals, Central Reserve Police Force and Civil Aviation; Additional Directorates General (Administration and Coord), Army Headquarters, QMG Branch and MGO Branch; Armed Forces Film and Photo Division, Income Tax Settlement Commission, Data Processing Division (Ministry of Statistics and Programme Implementation), National Building Organisation (Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation) and Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai; Office of the Jute Commissioner, Central Reference Library, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, National Sample Survey Organisation and Regional Evaluation office, all in Kolkata; Central Board of Film Censors, Mumbai, Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur; Department of Space, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, National Tuberculosis Institute and Regional Vocational Training Institute for Women, Random Sample Poultry Performance Testing Centre, all in Bangalore; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Terminal Ballistics Research Laboratory, both in Chandigarh; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima; Central Drugs Standard Control Organisation, Ghaziabad; Commission of Railway Safety, Lucknow; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner, both in Jaipur; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Commission of Railway Safety, Lucknow; Indian Bureau of Mines and Offices of the Chief Commissioner of Income Tax and Central Excise and Customs, all in Nagpur and Indian Institute of Tropical Metrology, Pune.

12.2 वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली ने बताया है कि विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के संगठनात्मक इतिहास का प्रारूप तैयार किया गया है और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतिम प्रारूप भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजा जाएगा।

12.3 विदेश व्यापार महानिदेशालय, योजना आयोग और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान संस्थान, सभी नई दिल्ली में; और कपास विकास निदेशालय, मुंबई ने सूचना दी है कि उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य प्रगति पर है।

12.4 रक्षा मंत्रालय (नौसेना) का एकीकृत मुख्यालय, नई दिल्ली; विपणन और निरीक्षण निदेशालय, गुवाहाटी; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, शिमला, बंगलौर, भुवनेश्वर और पटना ने हमसे कहा है कि इस बारे में उनके मुख्यालयों से संपर्क किया जाना चाहिए।

12.5 वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली और अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन, लखनऊ ने कहा है कि उनका संगठनात्मक इतिहास उनके प्रशासनिक विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल है।

12.6 निम्नांकित 85 कार्यालयों ने अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित नहीं किया है :- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अपरांगत ऊर्जा स्रोत और बिजली मंत्रालय; महिला और बाल विकास तथा प्रकाशन विभाग; राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विस्तार निदेशालय, अतिरिक्त महानिदेशालय (प्रशासन और समन्वय) सेना मुख्यालय, ई-इन-सी ब्रांच और एजी ब्रांच; सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (सशस्त्र सेना मुख्यालय), रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर आयुक्त (अपील), विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, क्षेत्र परिचालन प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का कम्प्यूटर केंद्र, सभी नई दिल्ली में; तंबाकू विकास निदेशालय, चेन्नई और गेहूं विकास विभाग, गाजियाबाद; वाणिज्यिक गुप्तचर और सांख्यिकी महानिदेशालय, भारत सरकार टकसाल, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और एन.डी.पी.एस अधिनियम, 1985, कार्यालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण और केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (आई.एस. विंग), सभी कोलकाता में; भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय और प्रबंधक, केन्द्रीय रेलवे कार्यालय, दोनों मुंबई में; कर्मचारी चयन आयोग और शासकीय परिसमापक का कार्यालय, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और नैनीताल; कल्याण आयुक्त का कार्यालय (श्रम कल्याण संगठन), सभी इलाहाबाद में; केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय औरंगाबाद; पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण और वन), भोपाल; केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त के कार्यालय, दोनों बेलगाम में; केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलीमा (जिला संबलपुर), और धामरोड; राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद; क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर; मुख्य महापोस्टमास्टर के कार्यालय, अंबाला, भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ और रांची; महापोस्टमास्टर, विजयवाड़ा; और वरिष्ठ महापोस्टमास्टर जनरल, वाराणसी; आयकर आयुक्त (अपील) का कार्यालय, मुंबई; आयकर आयुक्त के कार्यालय, मुंबई, अहमदाबाद, गाजियाबाद, देहरादून, कानपुर और लुधियाना; अतिरिक्त आयकर आयुक्त (सीआईबी)- II, मुंबई; आयकर महानिदेशक, अहमदाबाद और आयकर निदेशक, भुवनेश्वर; केन्द्रीय उत्पाद सहायक आयुक्त का कार्यालय और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क कार्यालय, दोनों हुबली, बेल्लारी और गुलबर्गा में, और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर;

12.2 Department of Commerce, New Delhi has stated that the organisational history of the Departments/ Attached/ Subordinate Offices/ Autonomous bodies/ Public Sector Undertakings have been drafted and is being finalized. The same will be sent to National Archives of India.

12.3 Directorate General of Foreign Trade, Planning Commission and Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, all in New Delhi; and Directorate of Cotton Development, Mumbai, have informed that compilation of their Organisational histories is in progress.

12.4 Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), New Delhi; Directorate of Marketing and Inspection, Guwahati; Regional Evaluation Office of Jaipur and Project Evaluation Offices Shimla, Bangalore, Bhubaneswar and Patna have asked us to contact their Headquarters in this regard.

12.5 Department of Commerce (Supply Division), New Delhi and Research Designs and Standards Organization, Lucknow have stated that their Organisational history has been incorporated in the Annual Reports of their Administrative Departments.

12.7 The following 85 Offices, who have not compiled their Organisational histories are:- Ministries of Health and Family Welfare, Non-Conventional Energy Sources and Power; Departments of Women and Child Development and Publication; President Secretariat, Prime Minister's Office, Directorate of Extension, Additional Directorate General (Administration and Coord) Army Headquarters, E-in-C Branch and AG Branch; Services Sports Control Board (Armed Forces Headquarters), Office of the Controller General of Defence Accounts, Central Pension Accounting Office, Commissioner of Income Tax (Appeals), Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Staff Selection Commission, Office of the Development Commissioner, Field Operation Division, Computer Centre of Ministry of Statistics and Programme Implementation, all in New Delhi; Directorates of Tobacco Development, Chennai and Wheat Development, Ghaziabad; Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, India Government Mint, Office of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Botanical Survey of India and Central Statistical Organisation (I.S. Wing), all in Kolkata; Office of the Custodian of Enemy Property for India and Office of the Manager, Central Railway, both in Mumbai; Staff Selection Commission and Office of the Official Liquidator, Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organisation), all in Allahabad, Office of the Commissioner of Central Excise and Customs Aurangabad; Western Region Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Offices of the Commissioner of Central Excise and Assistant Commissioner of Central Excise, both in Belgaum; Central Cattle Breeding Farms, Chiplima (Dist. Sambalpur), and Dhamrod; National Biofertiliser Development Centre, Ghaziabad; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar; Offices of the Chief Postmaster General, Ambala, Bhubaneswar, Dehradun, Lucknow and Ranchi; Postmaster General, Vijayawada; and Senior Postmaster General, Varanasi; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Mumbai; Offices of the Commissioner of Income Tax, Mumbai, Ahmedabad, Ghaziabad, Dehradun, Kanpur and Ludhiana; Offices of the Additional Commissioner of Income Tax (CIB)-II, Mumbai; Director General of Income Tax, Ahmedabad and Director of Income Tax, Bhubaneswar; Offices of the Assistant Commissioner of Central Excise and Central Excise and Customs, both in

केन्द्रीय उत्पाद कमिशनरात, कानपुर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के कार्यालय, अजमेर, चंडीगढ़ और कोच्चि; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार और अराइमिले (तूरा, मेघालय); अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद; फोनमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ और हैदराबाद; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद, गुवाहाटी, भोपाल और तिरुवनंतपुरम; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे; प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तम्भ, महानिदेशालय, नोएडा और सेना उड़न योग्यता क्षेत्रीय केंद्र, सुल्तानपुर।

12.7 सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित सात उपक्रमों/समितियों/निगमों/वैधानिक निकायों आदि ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियां भेजी :- भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, दोनों नई दिल्ली में; गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर; भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा।

12.8 11 संगठनों ने सूचित किया उन्होंने अपना संगठनात्मक इतिहास संकलित किया है:- हिंदुस्तान इन्सेविटसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली; केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दोनों कोलकाता में; जहाजरानी निगम लिमिटेड, मुंबई; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर; राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नोएडा (उ०प्र०) ; रर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेवेली; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना।

12.9 मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई ने सूचित किया कि उनका संगठनात्मक इतिहास तैयार किया जा रहा है और जल्दी ही उसे भेज दिया जाएगा।

12.10 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली; राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, (एनआईपीआईआर), रोपड़ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद ने सूचित किया कि उनके संगठनात्मक इतिहास संकलित करने का प्रगति पर है।

12.11 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि संगठनात्मक इतिहास संकलित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।

12.12 जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड), नई दिल्ली और मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुंबई ने सूचित किया है कि यह प्रावधान उन पर लागू नहीं होता।

12.13 21 संगठनों के एक अन्य समूह ने भी अपने संगठनात्मक इतिहास के संकलन के बारे में 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं:- राष्ट्रीय औषधीय मूल्य प्राधिकरण, परियोजना मूल्यांकन निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; सोसायटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) और

Hubli, Bellary and Gulbarga, and Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur; Central Excise Commissionerate, Kanpur; Offices of the Regional Labour Commissioner, Ajmer, Chandigarh and Kochi; Regional Vocational Training Institutes for Women, Hissar and Aramkole (Tura, Meghalaya); Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Foreman Training Institute, Jamshedpur; Regional Evaluation Offices Chennai, Mumbai, Ahmedabad, Chandigarh, Lucknow, and Hyderabad; Project Evaluation Offices of Ahmedabad, Guwahati, Bhopal, and Thiruvananthapuram; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; National Film Archive of India, Pune; Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida and Regional Centre for Military Airworthiness Sultanpur.

12.8 The following 7 Public Sector Undertakings Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc. have furnished copies of their Organisational histories:- Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, and National Buildings Construction Corporation Limited, both in New Delhi; Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata; Narmada Control Authority, Indore; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara;

12.9 There are 11 Organisations who have informed that they have compiled their Organisational histories:- Hindustan Insecticides Limited, New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, and Indian Statistical Institute, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; National Fertilizers Limited, Noida (U.P.); The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur and Ganga Flood Control Commission, Patna.

12.10 Mumbai Port Trust, Mumbai has informed that their Organisational history has been prepared and will be sent shortly.

12.11 Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi; National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar and Bharat Dynamics Limited, Hyderabad have informed that the compilation of their Organisational history is in progress.

12.12 National Textile Corporations Limited, New Delhi has informed that the action will be taken up to compile the Organisational history.

12.13 Tribal Cooperation Marketing Development Federation (TRIFED), New Delhi and Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai have intimated that this provision is not applicable to them.

12.14 There is yet another group of 21 Organisations who have sent 'NIL' information regarding compilation of their organizational histories. These are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, IRCON International Limited, Indian Railway Finance Corporation Limited, all in New Delhi; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research

मझगांव लिमिटेड, दोनों मुंबई में; हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, अम्बालामुगल और रसायनी (रायगढ़); भारत कूकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम; पराग टूल्स लिमिटेड, सिकंदराबाद; एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, श्रीनगर; मौलाना आजाद नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, भोपाल; नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद; विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापटनम; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा और ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी।

12.14 निम्नांकित दस संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर दिए। ये हैं :—स्टेट फार्मर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया और भारतीय इस्पात प्राधिकरण, दोनों नई दिल्ली में; समुद्र प्रबंधन संस्थान (अन्ना विश्वविद्यालय) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, दोनों चेन्नई में; एन्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, दोनों मुंबई में; महानदी कोल फील्डस लिमिटेड, संबलपुर; भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और मैटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मिकोन) लिमिटेड, रांची।

12.15 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई ने सूचित किया कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियम, 1997 के अंतर्गत नहीं आते।

(SAMEER) and Mazagon Dock Limited, both in Mumbai; Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal and Rasyani (Raigad); Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Praga Tools Limited, Secunderabad; H.M.T. Chinara Watches Limited, Srinagar; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Mormugao Port Trust, Goa and Brahmaputra Board, Guwahati.

12.15 The following 10 organisations have sent vague replies. These are:- State Farms Corporation of India and Steel Authority of India, both in New Delhi; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Bharat Petroleum Corporation Limited, and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Mahanadi Coalfields Limited, Sambalpur; Bharat Earth Movers Limited, Bangalore and Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.

12.16 Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai have informed that they are not covered under the Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997.

अध्याय 13

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों का माइक्रोफिल्म निर्माण

राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक एजेंसियों के पास उपलब्ध ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास जारी रखे। अभिलेखागार ने दिनांक 3 अगस्त, 2004 को भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को एक परिपत्र संख्या 16-9/2004-आर.एम. जारी किया जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने नियंत्रण में कार्यरत संबद्ध/अधीनस्थ/कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नजर में इस मामले को लायें ताकि वे इस विभाग को अपेक्षित सूचना प्रेषित कर सकें। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कुल मिलाकर 21 संगठनों ने सूचना भेजी, जिसका ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है :-

13.1 प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ने सूचित किया कि उनके पास ‘क’ श्रेणी की 115 फाइलें हैं, जिनमें से 108 फाइलें गुप्त सूची की हैं। इसलिए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने उनसे अनुरोध किया कि इन अभिलेखों को गुप्त सूची से उतारा जाए, ताकि उनकी माइक्रो फिल्म बनाने का काम शुरू किया जा सके।

13.2 बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, कोलकाता ने सूचित किया है कि उनके पास ‘क’ श्रेणी के 140 अभिलेख हैं। इनमें (i) बोर्ड बैठकों की कार्यवाही का सारांश (1980-2003) और (ii) वार्षिक आम बैठकों की कार्यवाही का सारांश (1980-2003) है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे माइक्रो फिल्म तैयार किए जाने वाले अभिलेखों के कुल पृष्ठों की संख्या बताएं।

13.3 भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद, दोनों मुंबई में और भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद, कोच्चि ने हमसे अनुरोध किया कि उन्हें ‘क’ के अभिलेखों के स्वरूप के बारे में दिशा निर्देश दिए जायें। तदनुरूप अपेक्षित निर्देश उन्हें भेजे गए।

13.4 निम्नांकित 11 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में ‘शून्य’ सूचना भेजी है:- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; पशुपालन और डेयरी, वाणिज्य (अभिलेख सेल), वाणिज्य (बजट एवं लेखा अनुभाग), व्यय और उर्वरक विभाग; योजना आयोग, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, सभी नई दिल्ली में; और मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन, विशेष आर्थिक जोन, चेन्नई विकास आयुक्त का कार्यालय, विशेष आर्थिक जोन, कोच्चि और कांडला विशेष आर्थिक जोन, गांधीधाम कच्छ।

13.5 निम्नांकित 12 सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों/वैधानिक निकायों ने ‘शून्य’ जानकारी दी है:- राष्ट्रीय औषधीय मूल्य प्राधिकरण, परियोजना उपकरण निगम लिमिटेड, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद और खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड, सभी नई दिल्ली में; चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई; भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर; राष्ट्रीय ऐल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; मसाला बोर्ड, कोच्चि, भारतीय काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद, कोच्चि, रबड़ बोर्ड, कोट्टायम; और राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान (एनआईपीआईआर), (रोपड़)।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

The National Archives of India continued its efforts in seeking information in respect of records of 'A' Category lying with the records creating agencies. It issued a Circular letter No. 16-9/ 2004-R.M. dated 3 August 2004 to all the Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to direct various Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control to furnish the requisite information to this Department. During the period under report in all 28 Organisations have furnished information, details of which are as under:-

13.1 Prime Minister's Office, New Delhi has informed that they have 115 files of 'A' Category, out of which 108 files are of classified nature. Therefore, the National Archives of India requested them to declassify these records so that the work of microfilming could be taken up.

13.2 Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata has informed that they have 140 records of 'A' Category, viz. (i) Minutes of Board Meeting (1980-2003) (ii) Minutes of Annual General Meeting (1980-2003). They were requested them to furnish the total pages of records to be microfilmed.

13.3 Office of the Custodian of Enemy Property for India and The Gem and Jewellery Export, Promotion Council, both in Mumbai and Cashew Export Promotion Council for India, Kochi have requested us to supply the guidelines about the nature of 'A' Category records and the same were supplied to them.

13.4 The following 11 Ministries/ Departments/ Offices have furnished 'NIL' information:- Ministry of Health and Family Welfare; Departments of Animal Husbandry and Dairying, Commerce (Record Cell), Commerce (Budget and Accounts Section), Expenditure and Fertilizers; Planning Commission, Directorate General of Employment and Training, all in New Delhi and Madras Export Processing Zone, Special Economic Zone, Chennai, Offices of the Development Commissioner, Special Economic Zone, Cochin and Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, Kutch.

13.5 The following 12 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have also furnished 'NIL' information. National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation Limited, Export Inspection Council of India and Minerals and Metals Trading Corporation Limited all in New Delhi; Council for Leather Export, Chennai; Indian Institute of Packaging, Mumbai; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Spices Board, Cochin, Cashew Export Promotion Council of India, Kochi, Rubber Board, Kottayam; and National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), (Ropar).

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

अभिलेखों के मूल्यांकन को आमतौर पर अभिलेखों की मात्रा निर्धारण की प्रक्रिया समझा जाता है। यह निर्धारण उनके मौजूदा प्रशासनिक, कानूनी और राजकोषीय इस्तेमाल और साक्ष्य एवं सूचना विषयक महत्व के अनुसार किया जाता है। लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 5 के साथ पठित लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा-3 (2) (ख) के तहत अभिलेख महानिदेशक अभिलेख सर्जक एजेंसियों को लोक अभिलेखों के मूल्यांकन का कार्य संपन्न करवाने में मदद पहुंचाते हैं। इसी प्रकार, लोक अभिलेख अधिनियम की धारा-6(1) (ग) के तहत विभागीय अभिलेख अधिकारी को 25 वर्षों से अधिक पुराने अभिलेखों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी बनाया गया है ताकि सिर्फ स्थायी महत्व के अभिलेखों का प्रतिधारण किया जाए। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित रहेगा कि अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन तथा अस्थायी प्रकृति के अभिलेखों का विनष्टीकरण जहां एक ओर भारत सरकार के विभिन्न अभिलेख कक्षों के मूल्यवान भंडारण-स्थान और उसके रखरखाव में आने वाली लागत की बचत करता है, वहीं दूसरी ओर वह स्थायी मूल्य के अभिलेखों को अभिचिन्हित किए जाने में भी मदद पहुंचाता है, ताकि उन्हें वैज्ञानिक प्ररिलक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार प्रेषित किया जा सके।

14.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 21,540 अप्रचलित फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 8,499 फाइलों के स्थायी प्रतिधारण और 13,041 अभिलेखों के विनष्टीकरण की मंजूरी दी गयी। इस प्रकार इन अभिलेखों के रखरखाव पर हर वर्ष किए जाने वाले 1,30,041 (लगभग एक लाख तीस हजार) रुपये की बचत की गयी।

14.2 वे संगठन जिनके अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मूल्यांकन किया गया, इस प्रकार हैं:—प्रधानमंत्री कार्यालय (1947–1966); सड़क परिवहन और राजमार्ग (1947–1979); जल संसाधन मंत्रालय (1941–1978); दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय, (1953–1978); योजना आयोग, नई दिल्ली (1952–1978); व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (व्यय सुधार आयोग, एक अप्रचलित निकाय, के अभिलेखों सहित) (1961–2002); श्रम मंत्रालय, सभी नई दिल्ली में (1946–1979); एन्ड्रू यूले एंड कंपनी, कोलकाता (1846–1972); भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (1964–1979); और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (1941–1974), दोनों पुणे में; विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापटनम (1950–1978) और वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून (1966–1973)।

14.3 रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र बलों के अभिलेख : i) गढ़वाल राइफल्स, लैंसडाउन, उत्तरांचल (1929–1951); ii) ईएमई सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश, (1936–1969); iii) बाम्बे इंजीनियर ग्रुप, किर्की (पुणे) महाराष्ट्र (1901–1953); एड्जुटेंट जनरल्स ब्रांच, सेना मुख्यालय (नई दिल्ली) (1847–1979) और राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून (1911–1978)।

14.4 इसके अलावा अभिलेख केन्द्र (पूर्वी अंचल), भुवनेश्वर ने भी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्द्वी (1972–1979); जनगणना कार्य निदेशालय, भुवनेश्वर (1960–1979) और खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद (1902–1943) की 7,943 फाइलों/अभिलेखों का मूल्यांकन किया। इनमें से 2,035 फाइलों और खंडों को स्थायी प्रतिधारण के लिए और 5,908 फाइलों और खंडों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया।

14.5 इसी प्रकार अभिलेख केन्द्र (दक्षिणी अंचल), पांडिचेरी ने भी भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, विशाखापटनम (1959–1978) की 1,076 फाइलों का मूल्यांकन किया जिनमें से 68 फाइलों को स्थाई प्रतिधारण और 61 फाइलों को विनष्टीकरण के लिए चिन्हित किया गया।

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of records has generally been described as the process of determining the volume of records based upon their current administrative, legal and fiscal use as well as their evidential and informational value. Under the provisions of Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 read with Rule 5 of the Public Record Rules, 1997, the Director General of Archives assists the Records Creating Agencies in conducting the appraisal of public records. Similarly, under Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 the Departmental Records Officer has been made responsible for the appraisal of public records which are more than 25 years old in consultation with the National Archives of India with a view to retaining only records of permanent value. It may be mentioned here that, on the one hand, the appraisal of non-current records and weeding out of the records of ephemeral nature results in saving valuable shelf-space and maintenance cost of records housed in various record rooms of the Government of India and on the other, help in identifying the records of permanent value for subsequent transfer to National Archives for scientific preservation.

14.1 During the period under report the National Archives of India appraised 21,540 non-current files, out of these 8,499 files were recommended for permanent retention and 13,041 for destruction. Thus, resulting in saving Rs.1,30,041/- (One Lakh Thirty Thousand approx.) per annum on the upkeep of records.

14.2 The Organisations whose records were appraised by the officers of National Archives of India are:- Prime Minister's Office (1947-1966); Ministry of Road Transport and Highways, (1947-1979); Ministry of Water Resources, (1941-1978); Department of Telecommunications, Ministry of Telecommunications, (1953-1978); Planning Commission, New Delhi (1952-1978); Department of Expenditure, Ministry of Finance, (including records of Expenditure Reforms Commission, a defunct body) (1961-2002); Ministry of Labour, all in New Delhi (1946-1979); Andrew Yule and Company, Kolkata (1846-1972); National Film Archive of India (1964-1979) and Indian Meteorological Department (1941-1974), both in Pune; Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam (1950-1978) and Forest Research Institute, Dehradun (1966-1973).

14.3 The records of the Ministry of Defence State Forces:-i) Garhwal Rifles, Lansdowne, Uttaranchal (1929-1951); ii) EME Secunderabad, Andhra Pradesh, (1936-1969); iii) Bombay Engineer Group, Kirkee (Pune) Maharashtra (1901-1953); Adjutant General's Branch, Army Headquarters, (New Delhi) (1847-1979) and Rashtriya Indian Military College, Dehradun (1911-1978).

14.4 Further, Record Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar had also appraised 7,943 files/ volumes of the Hindustan Fertilizers Corporation Limited, Haldia (1972-79); Directorate of Census Operations, Bhubaneswar (1960-79) and Directorate General of Mine Safety, Dhanbad (1902-43). Out of these 2,035 files and volumes were marked for permanent retention and 5,908 Files and Volumes for destruction.

14.5 Similarly, Records Centre (Southern Zone) Pondicherry also appraised 1,076 files of the Fishery Survey of India, Visakhapatnam (1959-1978), out of which 68 files were marked for retention and 1,008 files for destruction.

संदर्भ माध्यम

अभिलेख किसी संगठन की स्मृति के रूप में काम करते हैं, जिनमें अतीत की बुद्धिमता सन्निहित होती है और जो किसी संगठन को निर्णय करने और सुचारु कार्यप्रणाली के लिए भावी नीतियां तय करने में मदद पहुंचाते हैं। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ड) में यह अनुबंधित है कि लोक अभिलेखों की सूची, अनुक्रमणिका, कैटलॉग और अन्य संदर्भ माध्यम तैयार किए जायें ताकि उसके प्रयोगताओं को सूचना की प्राप्ति त्वरित हो सके। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि अभिलेख किसी भी संगठन की स्मरण शक्ति होते हैं जिसके भीतर उसके अतीत का विवेक छिपा होता है। इससे न सिर्फ किसी भी संगठन के सुचारु संचालन में मदद मिलती है बल्कि भविष्य की नीतियां निर्धारित करने में भी मदद मिलती है। इसलिए संदर्भ माध्यम का निर्माण एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है जिसे हरेक संगठन को उठाना चाहिए।

तदनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेखों के लिए उचित संदर्भ माध्यम तैयार करने के अपने प्रयास जारी रखे। इस संबंध में हुई प्रगति का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है —:

15.1 'गाइड टू द सोर्सज ऑफ एशियन हिस्ट्री' परियोजना के अंतर्गत खण्ड 3.5 प्रकाशित कर दिया गया है, और इस खण्ड के प्रकाशन के साथ 6 खण्डों के प्रकाशन की समूची शृंखला पूरी हो गयी है।

15.2 गृह विभाग, चिकित्सा शाखा (1873-1911) की विषय सूची के 4 खंड तैयार किए गए।

15.3 'अभिलेखों के संदर्भ माध्यम के कम्प्यूटरीकरण' कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध गृह विभाग (1949-1970); संचार मंत्रालय (1950-1962) और दूर संचार मंत्रालय (1956-1963) की 8,779 फाइलों की डाटा एंट्री का कार्य पूरा किया गया।

15.4 अभिलेखों के सत्यापन के क्षेत्र में आनलाइन जांच के जरिए विदेश विभाग और विदेश राजनीति विभाग (1862-1942) की 1,21,892 फाइलों/अभिलेखों के सत्यापन का काम पूरा किया गया।

15.5 बुंदेलखंड, भोपावर, भोपाल, बघेलखंड, बगदाद रेजिडेंसी/एजेंसियों (1845-1947) की अभिलेख शृंखला से 5,02,449 फाइलों/अभिलेखों के अतिरिक्त एक निजी फर्म की सहायता से विदेश मंत्रालय/विदेश मामले/विदेश विभाग (1867-1947) की डाटा एंट्री का कार्य भी एक निजी फर्म की सहायता पूरा किया गया।

15.6 ओरिएंटल अभिलेख (ओआर) प्रभाग ने फारसी में किए गए पत्राचार की संवीक्षा, अनुवाद और विवरणात्मक सूची तैयार की। इसके अतिरिक्त फारसी दस्तावेज की विवरणात्मक सूची (डीएलपीसी), खंड-VI (1804) की 919 प्रवृष्टियों की जांच की गयी, और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। शब्दावली और अनुक्रमणिका तैयार किए जाने के साथ ही इस खंड का प्रारूप प्रकाशन के लिए तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त डीएलपीसी, खंड V (1805) के लिए 409 पत्रों और डीएलपीसी, खंड VI (1806) के लिए 90 पत्रों को भी सूचीबद्ध किया गया।

एक अन्य प्रकाशन शृंखला 'अर्जित दस्तावेज' की विवरणात्मक सूची, खंड V (1810-1830), खंड V (1831-1850) और खंड VII (1851-1870) के लिए 452 दस्तावेज की विवरणात्मक सूची भी तैयार की गयी। इसके अतिरिक्त अर्जित दस्तावेज के 1,130 कैटलॉग/संदर्भ कार्ड भी तैयार किए गए।

15.7 निजी अभिलेख (पी.ए) अनुभाग ने गुलजारी लाल नंदा कागजात (1954-1974) के 4,645 मदों की विषय सूची तैयार की।

REFERENCE MEDIA

Records serve as the memory of an organization which contain wisdom of the past and help in taking decisions and formulating future policies for the smooth functioning of an organization. Section 3(2) (e) of the Public Records Act 1993, stipulates the preparation of inventories, indices, catalogue and other reference media of public records so as to facilitate quick retrieval of information by their users. Needless, to mention here that records serve as the memory of an organization which contain wisdom of the past and help in taking decisions and formulating future policies for the smooth functioning of an organization. Hence, preparation of reference media is an important administrative tool which needs to be undertaken by each and every organization.

Accordingly, the National Archives of India continued its effort to prepare suitable reference media for the records. The details of the progress made in this regard are given below:

15.1 The project 'Guide to the Sources of Asian History', Volume 3.5 has been published and with the publication of this volume, the publication of the entire series comprising of 6 volumes has been completed.

15.2 Four volumes of the subject list of the Home Department, Medical Branch (1873-1911) was prepared.

15.3 Under the programme 'Computerization of Reference Media of Records' data entry of 8,779 files of the Ministry of Home Affairs (1949-1970); Ministry of Communication (1950-1962) and Ministry of Telecommunications (1956-1963) were completed.

15.4 As regards the validation of records, 1,21,892 files/ records of Foreign Department and Foreign Political Department (1862-1942) was completed by online checking.

15.5 In addition, data entry of 5,02,449 files/ records from the record series of Bundelkhand, Bhopawar, Bhopal, Baghelkhand, Baghdad Residency/ Agencies (1845-1947); Ministry of External Affairs/ Department of External Affairs/ Foreign Department (1867-1947) was also completed by engaging a private firm.

15.6 The Oriental Records (OR) Division scrutinized, translated and prepared Descriptive Lists of the Persian Correspondences. Besides, 919 entries of the Descriptive Lists of Persian Correspondence (DLPC), Vol. IV (1804) were checked and finalized. With the preparation of glossary and indices, the draft of this volume was readied for publication. In addition, 409 letters for DLPC, Vol. V (1805) and 90 letters for DLPC, Vol. VI (1806) were also listed.

The descriptive listing of 452 documents for another publication series 'Descriptive list of Acquired Documents, Vol. V (1810-1830), Vol. V (1831-1850) and Vol. VII (1851-1870) was completed. Besides, 1,130 catalogue/ reference cards of acquired documents were also prepared.

15.7 The Private Archives (PA) Section prepared subject list of 4,645 items of the Gulzarilal Nanda Papers (1954-1974).

अभिलेख अवाप्ति/अधिग्रहण

किसी संगठन को न केवल रोजमर्रा के प्रशासन के लिए अभिलेख संरक्षित रखने होते हैं, बल्कि भविष्य के संदर्भ के लिए भी उनका परिरक्षण आवश्यक होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिलेख किसी राष्ट्र की स्मृति के रूप में काम करने के साथ साथ व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायित्व तय करते हैं और सरकारी नीतियों के मूल्यांकन के मानदंड के रूप में काम करते हैं। इसलिए अभिलेख महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, जो अनुसंधान करने के लिए उत्कृष्ट स्रोत माने जाते हैं। सरकारी कार्यालयों के विभागीय अभिलेख कक्षों की अभिरक्षा में रखे 25 वर्ष से अधिक पुराने अप्रचलित अभिलेखों का राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा मूल्यांकन किए जाने और उन्हें स्थायी परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किए जाने से अनुसंधान कर्ताओं और प्रशासकों तथा जानकारी पाने के इच्छुक अन्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (6) और लोक अभिलेख अधिनियम 1997 के नियम 5 के तहत अभिलेख महानिदेशक को यह अधिकार दिया गया है कि वे अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा अभिलेख कक्ष में रखे गए 25 वर्षों से पुराने स्थायी प्रकृति के अभिलेखों को संग्रहण और संरक्षण के लिए प्राप्त करें। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा-11 (1) के अनुबंध के अनुसार राष्ट्रीय अभिलेखागार किसी भी निजी स्रोत से ऐतिहासिक एवं राष्ट्रीय महत्व के अभिलेख को उपहार कय या किसी अन्य पद्धति द्वारा प्राप्त कर सकता है। इन प्रावधानों के अनुपालन में राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिलेख-शृंखलाएं और निजी कागजात प्राप्त किए :-

16.1 लोक अभिलेखों की अवाप्ति के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार (मुख्यालय) ने 2003 के दौरान कुल 5,262 फाइलें प्राप्त कीं। इनमें :- 957 फाइलें कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण निदेशालय (1920-1977); 42 फाइलें नागर विमानन मंत्रालय (1952-1974); 133 फाइलें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (1947-1979); 71 फाइलें पर्यावरण और वन मंत्रालय (1959-1976); 36 फाइलें संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (1953-1978); 1,477 फाइलें रेलवे बोर्ड (रेलवे मंत्रालय) (1931-1971); 1,902 फाइलें डाक विभाग (संचार मंत्रालय) (1951-1976); 135 फाइलें आर्मी मेडिकल कोर स्टेट फोर्सिज, लखनऊ (1930-1950); 72 फाइलें रेमाउंट एंड वेटरिनरी कोर, मेरठ कैंट (1941-1951); 437 फाइलें रजापूत रेजिमेंट, फतेहगढ़ (उ०प्र०) (1940-1975)।

16.2 लोक अभिलेखों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निजी दस्तावेज और विदेश कार्यालय-371 शृंखला कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय मूल के अभिलेख प्राप्त करने का सिलसिला भी जारी रखा। निजी अभिलेखागार अनुभाग ने बाबा हरि सिंह उस्मान से संबंधित 12 वस्तुएं प्राप्त/अर्जित की, जिनमें दो पुस्तकें :- स्ट्रेंगल फार फ्री हिंदुस्तान-गदर डायरेक्टरी और बाबा हरि सिंह उस्मान (गुरुमुखी में), प्रेम सिंह बजाज द्वारा बाबा हरि सिंह उस्मान पर लिखा गया एक लेख; एक जीवनी; बाबा की एक डायरी शामिल है। बाबा हरि सिंह, श्री गुरुदयाल सिंह और विदेश एवं राष्ट्रमंडल संबंध मंत्री को लिखे 6 पत्र भी प्राप्त किए गए। इस अनुभाग ने अवध और लाहौर (1927-1929) के फैसलों की प्रतियां भी हासिल की।

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS OF RECORDS

An organization has to preserve records not only for running its day-to-day administration but also for future reference. In a democratic environment records besides serving as a memory of a nation also protect the right of individuals, fix accountability for each action and act as an yardstick to measure the Government policies. Records, therefore are an important instrument and the best source material for conducting research. Appraisal conducted by the National Archives of India of non-current records of more than 25 years old lying in the custody of the Departmental Records Rooms of Government offices and their subsequent transfer to the National Archives of India for permanent preservation make important information available for Researchers and Administration and others who seek such information. Section 3 (2) (6) of the Public Records Act 1993 and Rule 5 of the Public Records Rules, 1997 authorize the Director General of Archives to accept for deposit and preservation of public records of permanent nature which have been retained by the records creating agencies in their Records Rooms for the last 25 years or more. Similarly, Section 11(1) of the said Act also provides for the acceptance by the National Archives of India of any records of historical or national importance from any private source by way of gift; purchase or otherwise. In compliance, with the said provisions, the National Archives of India acquired the following records series and the private papers during the period under report.

16.1 As regards accessioning of the public records a total of 5,262 files were acquired by National Archives of India (Headquarters) during the 2003. These include:-957 files of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Directorate of Personnel and Training (1920-1977); 42 files of the Ministry of Civil Aviation (1952-1974); 133 files of Ministry of Road Transport and Highways (1947-1979); 71 files of Ministry of Environment and Forests (1959-1976); 36 files of Ministry of Communications and Information Technology (1953-1978); 1,477 files of the Railway Board (Ministry of Railway) (1931-1971), 1,902 files from the Department of Post (Ministry of Communications) (1951-1976); 135 files of Army Medical Corps State Forces, Lucknow (1930-1950); 72 files of the Remount and Veterinary Corps, Meerut Cantt (1941-1951); 437 files of Rajput Regiment, Fatehgarh (U.P.) (1940-1975).

16.2 Besides, the public records, National Archives of India continue to acquire private papers as well as records of Indian origin under the Foreign Office-371 series programme. The Private Archives Section received/ acquired 12 items relating to Baba Hari Singh Usman, which included two books namely:- *Struggle for Free Hindustan-Ghadr Directory* and *Baba Hari Singh Usman* (in Gurmukhi), an article on Baba Hari Singh Usman by Prem Singh Bajaj; an autobiography; a diary on the Baba. Six letters addressed to Baba Hari Singh, Shri Gurudial Singh and Minister of External Affairs and Commonwealth Relations. The section also acquired xerox copies of the judgment of Oudh and Lahore (1927-1929).

उपरोक्त के अतिरिक्त निजी दस्तावेज अनुभाग ने प्रोफेसर मालविन्दरजीत सिंह वैराइच संग्रह (1915-1929) भी हासिल किया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के 6 फोटोग्राफ हैं। ये हैं— दशहरा बम मामले में शहीद भगत सिंह को लाहौर पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत में ले जाते हुए, लाहौर, अक्टूबर 1926; बाबा केसर सिंह, लाला रामसरण दास, भाई रणधीर सिंह और शहीद केहर सिंह, ये सभी स्वाधीनता सेनानी लाहौर शङ्खेत्र मामले में अभियुक्त थे, और मांडले (बर्मा) शङ्खेत्र मामले में अभियुक्त शहीद रामरखा के फोटोग्राफ।

16.6 (क) निजी अभिलेखागार ने विदेश से भारतीय रूचि की माइक्रोफिल्में हासिल की। विदेश कार्यालय शृंखला के अंतर्गत हासिल की गयी 16 माइक्रोफिल्में—काबुल इन्टेलिजेंस, यू एन आर आर ए और भारत; चीन-भारत संबंध, भारत में चीनियों के लिए हवाई प्रशिक्षण सुविधाएं; भारत को प्रभावित करने वाली वाणिज्यिक संधियां और टिप्पणियां; हिंदू महासभा और नेपाल; सुभाष बोस : जीवन और गतिविधियां; भारतीय नागर विमानन; अफगान भारत संबंध; भारत में हालात; सत्ता हस्तांतरण की तैयारी, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्नाह की मृत्यु; पंडित नेहरू की अमरीका यात्रा आदि—लंदन स्थित लोक अभिलेख कार्यालय से प्राप्त की गयी।

(ख) निजी अभिलेखागार अनुभाग ने समितियों और आयोग अनुभाग के जरिए सिंगापुर के राष्ट्रीय अभिलेखागार से 14 माइक्रोफिल्म रोल (1800-1939) भी प्राप्त किए, जो सेक्रेटरी आफ स्टेट से प्राप्त डिस्पैचों; स्ट्रेट्स सेटलमेन्ट्स रिकार्ड्स; स्ट्रेट्स सेटलमेन्ट्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रखे गए दस्तावेज और रिपोर्ट आदि से संबद्ध हैं।

(ग) 'डाटा बेस आफ वेल्थूएबल लोटस सूत्र मैनुस्क्रिप्ट्स' शीर्षक सीडी में चार खंड तोकियो, जापान के इन्स्टिट्यूट फार द कमिप्रहेन्सिव स्टडी आफ लोटस सूत्र, राइशो यूनिवर्सिटी से हासिल किए गए।

16.3 उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रीय अभिलेखागार के भुवनेश्वर अभिलेख केंद्र ने हिंदुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया (1972-1978) की 912 फाइलें; केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग भुवनेश्वर प्रभाग-1 (1959-78) की 200 फाइलें और बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड, कोलकाता (1901-1977) के 87 खंड भी प्राप्त किए। राष्ट्रीय अभिलेखागार के जयपुर अभिलेख केंद्र ने मौसम विज्ञान कार्यालय, नई दिल्ली से मौसम विज्ञान विभाग, पुणे (1947-1971) की 3 फाइलें अर्जित की।

16.4 लोक अभिलेख के अतिरिक्त राष्ट्रीय अभिलेखागार के भुवनेश्वर अभिलेख केंद्र ने निजी दस्तावेज भी प्राप्त किए। इनमें 1901 में प्रथम उत्कल यूनियन कांग्रेस की कार्यवाही संबंधी 74 पन्ने शामिल हैं।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के पांडिचेरी अभिलेख केंद्र ने मैसूर राजपत्र के 1927-1930 से संबद्ध 8 खण्ड हासिल किए, जो पांडिचेरी के श्री एन के कृष्णमूर्ति (लेखक और अरविन्दो आश्रम के सदस्य) द्वारा दान किए गए; इसके अतिरिक्त रेव्यू हिस्टोरिक के तेरह अंक और हिस्ट्री सोसायटी आफ पांडिचेरी द्वारा 1952-1993 की अवधि से संबंधित कुछ दुर्लभ पुस्तकें भी हासिल की, जो उक्त सोसायटी के अध्यक्ष डा० नेल्लम द्वारा दान की गयीं।

In addition, to the above the Private Papers Section acquired Professor Malwinderjit Singh Waraich Collection 1915-1929 which includes six photographs of freedom fighters:- Photographs of Shahid Bhagat Singh while he was taken into police custody by Lahore Police in connection with the Dushera Bomb case, Lahore, October 1926; Baba Kesar Singh, Lala Ram Saran Das, Bhai Randhir Singh and Shahid Kehar Singh all accused in Lahore Conspiracy case and Photographs of Shahid Ram Rakha accused in Mandalay (Burma) Conspiracy Case.

- 16.6 (a) The Private Archives received microfilms of Indian interest from abroad. 16 microfilm rolls of the Foreign Office series relating to Kabul Intelligence, UNRRA and India; Sino-Indian relations, Air Training facilities for Chinese in India; Commercial Treaties and notes affecting India; the Hindu Maha Sabha and Nepal; Subhas Bose :- Life and Activities; Indian Civil Aviation; Afghan Indian Relations; Situation in India; Preparation for Transfer of Power; Death of Mahatma Gandhi and Mohammad Ali Jinnah; Pandit Nehru's visit to U.S.A. etc. were received from Public Records Office, London.
- (b) Private Archives also received 14 microfilm rolls from the National Archives of Singapore (1800-1939) relating to Despatches from Secretary of State; Straits Settlements Records; Paper and Report laid before the Legislative Council of the Straits Settlement etc through the Committee and Commission Section.
- (c) 4 volumes in CD titled 'Database of Valuable Lotus Sutra Manuscripts' were received from the Institute for the Comprehensive Study of Lotus Sutra, Rissho University, Tokyo, Japan.

16.3 In addition to the above, the National Archives of India Record Centre, Bhubaneswar accessioned 912 files of Hindustan Fertilizer Corporation, Haldia (1972-78); 200 files of Central Public Works Department, Bhubaneswar Division I (1959-78) and 87 Volumes of Bengal Chemicals and Pharmaceutical Limited, Kolkata (1901-1977). National Archives of India Record Centre, Jaipur accessioned 3 files of the Meteorological Department, Pune (1947-1971) from the Meteorological Office, New Delhi.

16.4 Besides the public records, National Archives of India Records Centre, Bhubaneswar to acquired private papers. 74 pages, of the proceedings of first Utkal Union Congress of 1901.

National Archives of India Record Centre, Pondicherry accessioned 8 volumes of Mysore Gazetteer of 1927-1930 which was donated by the Shri N.K. Krishnamurthy (Writer and Member of Sri Aurobindo Ashram) Pondicherry; 13 issues of Revue Historique and some rare books covering the period 1952-1993 published by Historical Society of Pondicherry were received from Dr. Nallam, President of the said Society as donation.

अभिलेख प्रतिधारण-सूची की पुनरीक्षा

बेहतर अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम की एक पूर्व शर्त यह सुनिश्चित करना है कि अभिलेख न तो स्थायी रूप से नष्ट किए जायें और न ही लागत और कार्यकुशलता की कीमत पर अपेक्षित अवधि से अधिक समय तक उन्हें रखा जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न श्रेणियों के अभिलेखों की उचित प्रतिधारण क्षमता निर्धारित करने के लिए संबद्ध संगठन द्वारा अभिलेख प्रतिधारण सूची बनायी जानी चाहिए। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (ग) में यह अनुबंधित है कि विभागीय अभिलेख अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से लोक अभिलेखों की प्रतिधारण सूची के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। इन अभिलेख प्रतिधारण सूचियों में हर पांच वर्ष बाद संशोधन की भी आवश्यकता पड़ती है, ताकि इन वर्षों के दौरान संबंधित अभिलेख सर्जक एजेंसियों की गतिविधियों में आये परिवर्तन और विस्तार के कारण उत्पन्न नये विषय-शीर्षों को स्थान दिया जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 19 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल प्रकार्यों से संबंधित अभिलेख प्रतिधारण सूची की पुनरीक्षा की। विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है।

17.1 निम्नांकित संगठनों को पुनरीक्षित अभिलेख प्रतिधारण सूची के साथ अध्ययन रिपोर्ट प्रेषित की गयी :-

जल संसाधन मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) विभाग; पत्र सूचना कार्यालय, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, प्रसार भारती (आकाशवाणी) (सूचना और प्रसारण मंत्रालय); इंजीनियर भंडार (ई.एस), निर्माण, समन्वय और कार्मिक निदेशालय, इंजीनियरिंग-इन-चीफ (ई-इन-सी) ब्रांच सेना मुख्यालय (रक्षा मंत्रालय), सभी नई दिल्ली में।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस), क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आरईसीज़), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली और चेन्नई और सिल्वर स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय, इंजीनियर्स स्टोर्स (ईएसपी) और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरुचिरापल्ली; (मानव संसाधन मंत्रालय), हिंदुस्तान पेपर को-आपरेशन लिमिटेड, कोलकाता स्थित कार्पोरेट कार्यालय और उसके अनुषंगी संगठन/मिल्स (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम; राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (सूचना और प्रसारण मंत्रालय); राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापटनम (इस्पात मंत्रालय), निर्यात प्रोसेसिंग जोन, फाल्टा और नोएडा (उ०प्र०) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय); और बंगलौर स्थित अंतरिक्ष विभाग।

17.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार (मुख्यालय) और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, दोनों नई दिल्ली में और राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेख केंद्र, पांडिचेरी की अभिलेख प्रतिधारण सूची की स्थल पर जाकर पुनरीक्षा की गयी, और उनकी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिए जाने का काम विभिन्न चरणों में है।

VETTING OF RETENTION SCHEDULE FOR RECORDS

One of the prerequisites of good Records Management programme is to ensure that records are neither prematurely destroyed nor kept for periods longer than required at the cost of economy and efficiency. Thus, in order to prescribe judicious retention periods to different categories of records, a Records Retention Schedule needs to be drawn by the concerned organization. The Section 6(1) (c) of the Public Records Act, 1993 provides that the Departmental Records Officer shall be responsible for compilation of Records Retention Schedule for Public Records in consultation with the National Archives of India. These Records Retention Schedules are also required to be revised once in five years with a view to accommodating new subject heads which might have been added due to the changing and expanding activities of the concerned records creating agencies during the intervening years. National Archives of India has vetted Record Retention Schedules pertaining to substantive function of 19 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sectors Undertakings during the period under report. Detailed information is furnished below.

17.1 Study reports along with the vetted Record Retention Schedules were forwarded for implementation to the following organizations:-

Ministry of Water Resources, Department of Indian System of Medicine and Homeopathy (Ministry of Health and Family Welfare); Press Information Bureau, Reference and Training Division, Prasar Bharati (All India Radio) (Ministry of Information and Broadcasting); Directorates of Engineers Stores (ES), Works, Coordination and Personnel, Engineering-in-Chief (E-in-C) Branch Army HQs, (Ministry of Defence), all in New Delhi.

Common Records Retention Schedule for National Institute of Technology (NITS), Regional Engineering College (RECs), National Institute of Technology, at New Delhi and Regional Offices at Chennai and Silchar, Engineers Stores (ESP), and Regional Engineering College, Tiruchirapalli; (Ministry of Human Resources). Hindustan Paper Co-operation Ltd., Corporate Office in Kolkata and its subsidiaries/ Mills (Ministry of Commerce and Industry), Regional Offices of National Film Archive of India, Kolkata and Thiruvananthapuram; National Film and Television Institute of India, Pune (Ministry of Information and Broadcasting); Rashtriya Ispat Nigam Ltd., Visakhapatnam (Ministry of Steel), Export Processing Zones, Falta and Noida (U.P) (Ministry of Commerce and Industry); and Department of Space at Bangalore.

17.2 Spot Studies for vetting the Records Retention Schedule of National Archives of India (Headquarters) and Ministry of Tourism and Culture, both in New Delhi and National Archives of India Record Centre, Pondicherry were taken up, and their reports were under various stages of finalization during the period under report.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते राष्ट्रीय अभिलेखागार देश में लोक अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता है। इस प्रयोजन के लिए अभिलेखागार सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को अभिलेख प्रबंधन संबंधी मुद्दों के बारे में परामर्श देता है। लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा-3 (2) (झ) के तहत राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अभिलेखों के सृजन तथा निपटान एवं अभिलेख प्रबंधन के मानकों, तकनीकों के अनुप्रयोग एवं अर्द्धप्रचलित स्थिति में अभिलेखों के वैज्ञानिक परीक्षण के बारे में परामर्श देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के मामले में विभिन्न अभिलेख सर्जक एजेंसियों को परामर्श देने का अपना प्रयास जारी रखा। अर्द्ध प्रचलित स्थिति में अभिलेखों के रखरखाव एवं परिरक्षण को अभिलेख प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण मानते हुए राष्ट्रीय अभिलेखागार ने मंत्रालयों/विभागों आदि के विभागीय अभिलेख कक्षों के निरीक्षण का आयोजन किया और उनकी मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए मौके पर जाकर परामर्श दिया।

18.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों ने 19 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया। ये हैं :- सूचना और प्रसारण, श्रम, जहाजरानी, जल संसाधन मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, वाणिज्य, कंपनी कार्य, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; भारी उद्योग; विदेश व्यापार महानिदेशक; पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय; योजना आयोग; वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद; कैबिनेट सचिवालय; भारत के जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ; सभी नई दिल्ली में; अंतरिक्ष विभाग और इसरो सेटलाइट दोनो बंगलौर में; और जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड), भुवनेश्वर।

18.2 इसके अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अनुरोध किए जाने पर अभिलेख सर्जक एजेंसियों को अभिलेख प्रबंधन के मामले में परामर्श देने का कार्य जारी रखा। इस प्रकार निम्नांकित विभागों को परामर्श दिया गया:- भारत तिब्बत सीमा पुलिस; जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड), सभी नई दिल्ली में; अंतरिक्ष विभाग और इसरो सेटलाइट, बंगलौर; और भारतीय लघु उद्योग के संयुक्त आयुक्त एवं उपनिदेशक हैदराबाद के श्री रेड्डी को भी उनकी ई-गवर्नेंस परियोजना के लिए परामर्श दिया गया।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के पांडिचेरी अभिलेख केंद्र ने जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान को उसके केन्द्रीय पुस्तकालय में रखी 15,000 पाठ्य पुस्तकों की छंटाई करने के बारे में भी परामर्श सेवा प्रदान की। श्री सुंदरावाड़ी वेलू, उपसचिव (प्रशासन एवं सुधार), पांडिचेरी सरकार को भी अभिलेख प्रबंधन के बारे में परामर्श सेवा दी गयी। इसी प्रकार राष्ट्रीय अभिलेखागार के भुवनेश्वर केंद्र ने हिंदुस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया और जनगणना कार्य निदेशालय, भुवनेश्वर को अभिलेख प्रबंधन कार्यों के बारे में परामर्श दिया गया।

ADVISORY WORK

As the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993, the National Archives of India constantly strives to improve the management of public records in the country. For this purpose it tenders advice on records management issues to government organizations and public sector undertakings. Under Section 3(2)(i) of Public Records Act 1993, the Director General of Archives is required to tender advice to all Ministries/ Departments, etc., on the creation, disposal of records and application of standards, techniques of records management and scientific preservation during their semi-current stage. Accordingly, National Archives of India continued its effect to advise various record creating agencies on matters relating to records management activities, considering the upkeep and preservation of semi-current records as one of the prime area of records management. National Archives conducted inspection of Departmental Records Room of Ministries/ Departments etc and provided on the spot advice and guidance for improvement in the existing conditions.

18.1 During the period under report, the Departmental Records Room of 19 organisations were inspected by the officers of National Archives of India. These are:- Ministries of Information and Broadcasting, Labour, Shipping, Water Resources, Railway Board, Departments of Commerce, Company Affairs, Personnel and Training; Heavy Industry; Director General of Foreign Trade; Directorate General of Supplies and Disposals; Planning Commission; Council of Scientific and Industrial Research; Cabinet Secretariat; Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, all in New Delhi; Department of Space and ISRO Satellite, both in Bangalore; and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED), Bhubaneswar.

18.2 Further, the National Archives of India continued to tender advice on the matters relating to records management to records creating agencies as and when such requests were received. Thus, advice was given to:- Indo-Tibetan Border Police Force; Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India (TRIFED), all in New Delhi; Department of Space and ISRO Satellite, Bangalore; and Joint Commissioner and Deputy Director of Small Scale Industries India. Advice was also rendered to Shri Reddy of Hyderabad for his project on E-Governance.

The National Archives of India Record Centre, Pondicherry rendered advisory service to Jawaharlal Nehru Institute of Post Graduate Medical Educational Research on weeding out of 15,000 text books kept in the Central Library. Advisory service on Records Management was also given to Shri Sundaravadi Velu, Deputy Secretary (Administration and Reforms), Government of Pondicherry. Similarly, National Archives of India Record Centre, Bhubaneswar rendered advice on Records Management matters to Hindustan Fertilizers Corporation, Haldia and Directorate of Census Operations, Bhubaneswar.

18.3 अभिलेख प्रबंधन कार्यों के बारे में परामर्श देने के अतिरिक्त राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्नलिखित संगठनों और व्यक्तियों को संरक्षण, व्यवस्थित परिरक्षण और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श और तकनीकी जानकारी भी प्रदान की :-

- (क) रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर।
- (ख) जेआरडी टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी, मुंबई।
- (ग) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।
- (घ) डाक्टर यू वी स्वामित अय्यर लाइब्रेरी, चेन्नई।
- (ङ) दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली।
- (च) श्री अजय शर्मा, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, पंजाब शहरी आयोजन और विकास प्राधिकरण, पटियाला।

18.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार की रिप्रोग्रैफी डिविजन द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों/संगठनों को विभिन्न रिप्रोग्रैफिक सेवाओं के बारे में तकनीकी जानकारी/परामर्श प्रदान किया गया :-

- (क) श्री तिरु एन. अंतिमोस्लम, विशेष आयुक्त अभिलेखागार एवं ऐतिहासिक अनुसंधान विभाग, तमिलनाडु अभिलेखागार, चेन्नई।
- (ख) श्री अनुराग कुमार, संग्रहपाल और पुस्तकालय प्रभारी, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली।
- (ग) डा० ए.वाई.रराविकार, सहायक परामर्श दाता, केन्द्रीय अभिलेख एवं प्रलेखन केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक, पुणे।
- (घ) श्री आर एस यादव, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, इन्स्टिट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली।
- (ङ) श्री पिया रोड्रिग्स , संग्रहपाल, गोआ सरकार, सेंट्रल लाइब्रेरी, पणजी, गोवा।
- (च) डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त, विश्व बंधु , रामयतन, एच-83, शास्त्री नगर, भाडाभेडा मार्ग, भोपाल।
- (छ) श्री मारियन हेम्ले, परियोजना अधिकारी, संरक्षण सेवायें, नेशनल लाइब्रेरी आफ आस्ट्रेलिया, कैनबरा, (आस्ट्रेलिया)।
- (ज) जापान दूतावास, नई दिल्ली।
- (झ) निदेशक, हरियाणा राज्य अभिलेखागार, पंचकुला।

18.3 In addition to advice regarding matters on Record Management National Archives of India also rendered expert advice and technical information to various organizations and individuals regarding conservation, systematic preservation and repair of records to the following:

- (a) Rampur Raza Library, Rampur,
- (b) JRD Tata Memorial Library, Mumbai.
- (c) Indian Institute of Science, Bangalore.
- (d) Dr. U.V. Swamitha Iyer Library, Chennai.
- (e) Delhi Police, New Delhi.
- (f) Shri Ajay Sharma, Additional Chief Administrator, Punjab Urban Planning and Development Authority, Patiala.

18.4 Technical information/ guidance on various reprographic services were given by the Reprography Division of the National Archives to the following individuals/ organizations:-

- (a) Shri Thiru N. Anthimoslam, Special Commissioner of Archives and Historical Research, Tamil Nadu Archives, Chennai
- (b) Shri Anaurag Kumar, Curator and Library incharge, National Science Centre, New Delhi.
- (c) Dr. A.Y. Raravikar, Assistant Advisor, Central Records and Documentation Centre, Reserve Bank of India, Pune.
- (d) Shri R.S. Yadava, Central Council for Research in Ayurveda and Sidha, Jawaharlal Nehru Bhartiya Chikitsa evam Homeopathy Anusandhan Bhawan, Institutional Area, Janakpuri New Delhi.
- (e) Shri Pia Rodrigues, Curator, Government of Goa, Central Library, Panaji, Goa
- (f) Dr. Laxminarayan Gupt, Visva Bandhu, Ramayatan, H-83, Shastri Nagar, Bhadabheda Marg, Bhopal.
- (g) Mr. Marian Hemley, Project Officer, Preservation Services, National Library of Australia, Canberra, (Australia).
- (h) Embassy of Japan, New Delhi.
- (i) Director, Haryana State Archives, Panchkula.

प्रशिक्षण

राष्ट्रीय अभिलेखागार के अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा पेशे से जुड़े अभिलेखा अधिकारियों और अभिलेख प्रबंधकों तथा अर्ध-व्यवसायियों के लिए अभिलेख प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन, परिरक्षण और रिप्रोग्रैफी पर कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें अभिलेखीय अध्ययन का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और प्रबंधन, अभिलेख प्रशासन, पुस्तकों, पांडुलिपियों और अभिलेखों के परिरक्षण एवं परिचर्या तथा रखरखाव पर लघु अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक निकाय के उपक्रम अपने स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजकर इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेख प्रबंधन की गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए विशेष रूप से अभिलेख प्रबंधन के पांच/तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

19.1 शैक्षिक वर्ष 2002-2003 में अभिलेखीय अध्ययन का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 31 अक्टूबर 2003 को संपन्न हुआ। इस शृंखला के अंतर्गत 11 विद्यार्थियों के बैच के साथ 2003-04 सत्र 3 नवंबर, 2003 को प्रारंभ हुआ। इनमें से एक उम्मीदवार राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रायोजित था। शेष निजी अभ्यर्थी थे।

19.2 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने 'पुस्तक, पांडुलिपि एवं अभिलेख उपचर्या एवं परिरक्षण' पाठ्यक्रम के दो सत्र आयोजित किए, जिनमें सात अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से तीन अभ्यर्थी वायु सेना अभिलेख कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित थे; एक अभ्यर्थी यूनियन बिब्लिकल सेमिनारी, बिब्लेवाड़ी (पुणे) से और एक अन्य दिल्ली इन्स्टिट्यूट आफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नई दिल्ली से था। दो निजी अभ्यर्थी थे।

19.3 अभिलेख प्रबंधन पाठ्यक्रम के दो सत्रों का आयोजन किया गया जिनमें 14 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से 8 अभ्यर्थी विभिन्न केन्द्रीय संगठनों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग; रसायन और पेट्रोरसायन विभाग; रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय; आर्थिक मामले विभाग; वित्त मंत्रालय, रक्षा वैज्ञानिक सूचना एवं प्रलेखन केंद्र (डीईएसआईडीओसी), सभी नई दिल्ली में स्थित; से प्रायोजित थे। चार उम्मीदवार यूनियन बिब्लिकल सेमिनारी, बिब्लेवाड़ी (पुणे); और ब्रांच लाइब्रेरी, वनूर (तमिलनाडु) द्वारा प्रायोजित किये गये थे, जबकि दो निजी उम्मीदवार थे।

19.4 अभिलेखीय अध्ययन पीठ ने 'अभिलेखीय प्रबंधन' में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के एक सत्र का भी आयोजन किया, जिसमें 11 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इनमें से 4 उम्मीदवार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय द्वारा और एक नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, दोनों नई दिल्ली में स्थित, द्वारा प्रायोजित थे। एक अन्य उम्मीदवार यूनियन बिब्लिकल सेमिनारी (पुणे) द्वारा प्रायोजित था, जबकि पांच निजी अभ्यर्थी थे।

19.5 'रिप्रोग्रैफी' पाठ्यक्रम के दो सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिनमें 18 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से 14 उम्मीदवार निम्नांकित संगठनों से प्रायोजित थे :- तीन उम्मीदवार गुजरात राज्य अभिलेखागार, गांधी नगर और एक-एक दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड; कंपनी कार्य विभाग ; संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो, लोक सभा

TRAINING

The School of Archival Studies of the National Archives of India conducts several courses relating to Records Management, Archives Administration, Conservation and Reprography to meet the needs of professional Archivists, Records Managers and sub professionals. These comprise the one year Diploma Course in Archival Studies, Short Term Certificate Course in Records Management, Archives Administration, Conservation of Books Manuscripts and Archives, Reprography and Servicing and Repair of Records Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings can avail of this facility by deputing their staff to undergo training in such courses. To strengthen the records management activities in accordance with the Public Records Act 1993, Five/ Three days Orientation Courses on Records Management is being conducted exclusively for the Departmental Records Officers.

19.1 One year Diploma Course in Archival Studies for the academic year 2002-2003 concluded on 31 October 2003. The 22nd Session 2003-2004 with a batch of 11 students commenced on 3 November 2003, Out of these one candidate was sponsored by the Rajasthan State Archives and the rest were private candidates.

19.2 The School of Archival Studies also conducted the two Sessions of the Certificate Course on 'Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives' which were attended by 7 candidates. Out of these, three were sponsored by the Air Force Record Office, New Delhi; One candidate was from Union Biblical Seminary, Bibvewadi (Pune) and one from the Delhi Institute of Heritage Research and Management, New Delhi. Two were private candidates.

19.3 Two sessions of the Certificate Course on Record Management was conducted which was attended by 14 candidates, 8 were sponsored by Central Government Organizations, viz. the National Security Guard, Central Record Office; Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission; Department of Chemicals and Petrochemicals; Ministry of Chemicals and Fertilizers; Department of Economic Affairs; Ministry of Finance Defence Scientific Information and Documentation Center (DESIDOC), all located in New Delhi; Union Biblical Seminary, Bibnewadi (Pune); Branch Library, Vanur (Tamil Nadu); and two were private candidates.

19.4 The School of Archival Studies also conducted one Certificate course on Archives Administration which was attended by 11 candidates, including four candidates sponsored by the National Security Guard, Central Record Office, and one from Nehru Memorial Museum and Library, both located in New Delhi. Another candidate was sponsored by the Union Biblical Seminary (Pune), while the remaining five were private candidates.

19.5 Two sessions of the Certificate Course on Reprography was conducted, 18 candidates attended it. Out of them 14 were sponsored by the following organizations:- three candidates from Gujarat State Archives, Gandhinagar and one each from Delhi Transco Limited; Department of Company

सचिवालय; पुलिस उपायुक्त कार्यालय, विशेष शाखा, दिल्ली पुलिस से और दो उम्मीदवार भारत के निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केंद्र, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सभी नई दिल्ली में; नेपाल राष्ट्रीय पुस्तकालय, शिक्षा और खेल मंत्रालय, शाही सरकार, नेपाल और असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, गुवाहाटी से संबद्ध थे।

19.6 अभिलेखीय अध्ययन पीठ द्वारा आयोजित 'अभिलेख परिचर्या और रखरखाव' पाठ्यक्रम के दो सत्रों में 26 उम्मीदवारों ने भाग लिया। इनमें से 11 निजी अभ्यर्थी थे और 15 को निम्नांकित संगठनों द्वारा प्रायोजित किया गया था :- नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; भारत के निर्वाचन आयोग; गुप्तचर ब्यूरो; गृह मंत्रालय; योजना आयोग; डीईएसआईडीओसी, अनुसंधान एवं विकास; व्यय विभाग, सभी नई दिल्ली में; गांधी संग्रहालय, पटना; अभिलेखागार विभाग, पुरातत्त्व-विज्ञान और संग्रहालय, श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर); राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज, देहरादून (उत्तरांचल)।

19.7 अभिलेखीय अध्ययन पीठ की प्रशिक्षण गतिविधियों के अलावा राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नामांकित विभागीय अभिलेख अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना भी जारी रखा। इस अवधि में अभिलेखीय प्रबंधन में पांच-पांच दिन की अवधि के 9 अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 94 विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने भाग लिया। 2003 के दौरान अभिविन्यास पाठ्यक्रम में हिस्सा लेने वाले विभागीय अभिलेख अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-4 में देखी जा सकती है।

19.8 निम्नलिखित 42 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा परिचालित विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की स्वीकृति प्रेषित की है—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्रम, रक्षा, बिजली, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जहाजरानी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा जल संसाधन; रसायन और पेट्रोरसायन एवं उर्वरक मंत्रालय; उपराष्ट्रपति सचिवालय; कैबिनेट सचिवालय; योजना आयोग; नागर विमानन महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और विदेश व्यापार; लोक नायक जय प्रकार नारायण राष्ट्रीय अपराध शास्त्र और विधि विज्ञान संस्थान; उपायुक्त और विकास आयुक्त के कार्यालय, सभी नई दिल्ली में स्थित; भारतीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक का कार्यालय, मुंबई; मुख्य महापोस्टमास्टर का कार्यालय (उ0प्र0 सर्कल) लखनऊ; मुख्य महापोस्टमास्टर का कार्यालय (उत्तरांचल सर्कल) देहरादून; वरिष्ठ पोस्ट मास्टर, वाराणसी; क्षेत्रीय सेना उड़न योग्यता केंद्र, जिला सुल्तान पुर (उ0प्र0); सीमावर्ती प्राक्षेपिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय) और क्षेत्रीय श्रम आयोग (केन्द्रीय) का कार्यालय, सभी चंडीगढ़ में स्थित; केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी क्षेत्र), गाजियाबाद; अग्रवर्ती प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रोनिक्स और प्रोसेस इन्स्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अंतरिक्ष विभाग, और केन्द्रीय तटीय मत्स्य अभियांत्रिकी, सभी बंगलौर में; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; अनुसंधान और डिजाइन मानक संगठन, लखनऊ; प्रकाश पोत एवं प्रकाश स्तम्भ, महानिदेशालय, नोएडा; पटसन आयुक्त का कार्यालय, कोलकाता; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई; बाजार विकास निदेशालय, जयपुर; राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, गाजियाबाद; दक्षिणी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)।

19.9 सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 56 उपक्रमों/समितियों/निगमों/वैधानिक निकायों आदि से प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ, उनमें से 17 ने सूचित किया कि उनके यहां पूर्णकालिक प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी हैं। यह संगठन इस प्रकार हैं

Affairs; Bureau of Parliamentary Studies and Training, Lok Sabha Secretariat; Office of the Deputy Commissioner of Police, Special Branch, Delhi Police, two candidates from Election Commission of India, Nirvachan Sadan, Defence Scientific Information and Documentation Centre, Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, all in New Delhi; Nepal National Library, Ministry of Education and Sports, His Majesty's Government, Nepal and Assam Higher Secondary Education Council, Guwahati.

19.6 Two sessions of the Certificate Course 'Servicing and Repair of Records' organized by School of Archival Studies were attended by 26 candidates. Out of these 11 were private candidates and the other 15 were sponsored by the following organizations:- Nehru Memorial Museum and Library; Election Commission of India; Intelligence Bureau; Ministry of Home Affairs; Planning Commission; DESIDOC, Research and Development; Department of Expenditure, all in New Delhi; Gandhi Sangrahalaya, Patna; Department of Archives, Archaeology and Museum, Srinagar (J&K); Rastriya Bhartiya Sainya College, Dehradun (Uttaranchal).

19.7 Apart from the training activities of the School of Archival Studies, the National Archives of India continued to impart practical training to the designated Departmental Records Officers during the period under report. 9 Five day Orientation Courses in Records Management were conducted where 94 Departmental Records Officers participated. A list of the Departmental Records Officers who attended the Orientation Course during 2003 may be seen at **Appendix IV**.

19.8 The following 42 Ministries/ Departments/ Offices have shown their willingness to depute their officers for various in- service training courses conducted by the National Archives of India These are:- Ministries of Health and Family Welfare, Labour, Defence, Power, Railway (Railway Board), Shipping, Statistics and Programme Implementation and Water Resources; Departments of Chemical and Petrochemicals and Fertilizers; Secretariat of the Vice President of India; Cabinet Secretariat; Planning Commission; Directorates General of Civil Aviation, Central Reserve Police Force and Foreign Trade; Lok Nayak Jaiprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Sciences; Offices of the Deputy Commissioner and Development Commissioner, all located in New Delhi; Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai; Office of the Chief Postmaster General (U.P. Circle) Lucknow; Office of the Chief Postmaster General (Uttaranchal Circle) Dehradun; Senior Postmaster, Varanasi; Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.); Terminal Ballistics Research Laboratory, Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forest) and Office of the Regional Labour Commission (Central), all located in Chandigarh; Central Drug Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Foreman Training Institute, Jamshedpur; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Regional Vocational Training Institute for Women, Department of Space, and Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, all in Bangalore; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Research and Designs and Standards Organisation, Lucknow; Directorate General of Lighthouses and Lighthships, Noida; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Project Evaluation Offices, Bhubaneswar, Hyderabad, Kolkata, Lucknow and Mumbai; Directorate of Millet Development, Jaipur; National Biofertiliser Development Centre, Ghaziabad; Southern Region Farm Machinery, Anantapur (A.P.).

Out of 56 replies received from Public Sector Undertakings / Committees/ Corporations/ Statuary Bodies etc, 17 organisations have intimated that they have full time trained Records Officers.

:-राष्ट्रीय औषधीय मूल्य प्राधिकरण, परियोजना उपकरण निगम लिमिटेड, खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) (जनजातीय कार्य मंत्रालय), सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी (सीआईपीईटी), चेन्नई; बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता; मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल; हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, अंबालामुगल और रसायनी (रायगढ़); नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड, नेवेली; नेशनल ऐल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; भारत डायनामिक्स लिमिटेड, और अंतर्राष्ट्रीय अग्रवर्ती चूर्ण धात्विकी तथा नव्य सामग्री अनुसंधान केंद्र, दोनों हैदराबाद में; भारतीय उष्ण कटिबंधी मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे और विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापटनम।

19.10 एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड, श्रीनगर ने 'शून्य' सूचना प्रेषित की है।

19.11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि की एक श्रेणी ऐसी है जिसने सूचित किया है कि लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और लोक अभिलेख नियम, 1997 के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते। ये संगठन हैं:- इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई।

19.12 राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके विभागीय अभिलेख अधिकारी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और नये विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा जाएगा।

19.13 स्टेट फार्मस कार्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, दोनों नई दिल्ली में; भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, दोनों मुंबई में; समुद्र प्रबंधन संस्थान (अन्ना यूनिवर्सिटी) और चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, दोनों चेन्नई में; एन्ड्रू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता; महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, संबलपुर; हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, न्यूज प्रिंट नगर (कोट्टायम); भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर और मैटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेशन (इंडिया) (मिकोन) लिमिटेड, रांची ने अस्पष्ट उत्तर दिया है।

19.14 हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड नई दिल्ली; राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआईआर) रोपड़; हिंदुस्तान लेटिक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम और मार्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट गोवा ने सूचित किया है कि वर्तमान में उनके यहां विभागीय अभिलेख अधिकारी नहीं हैं किंतु वे जल्दी ही इस पद पर नियुक्ति करेंगे।

19.15 सार्वजनिक क्षेत्र के 20 प्रतिष्ठानों ने सूचित किया है कि उनके यहां प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी नहीं हैं। ये हैं:- भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली; भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सभी नई दिल्ली में; मुंबई विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, सोसायटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर), भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड और मुंबई पोर्ट एंड मझगांव डॉक लिमिटेड, सभी मुंबई में; उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि; भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, दोनों कोलकाता में; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उ०प्र०); भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद; मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर; प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद; खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, नागपुर; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर; ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना।

These are:- National Pharmaceutical Pricing Authority, Project Equipment Corporation Limited, Minerals and Metals Trading Corporation Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, IRCON International Limited, Tribal Co-operation Marketing Development Federation (TRIFED) (Ministry of Tribal Affairs), all in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Chennai; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal; Hindustan Organic Chemicals Limited, Amalamugal and Rasyani (Raigad); Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Bharat Dynamics Limited, and International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, both in Hyderabad; Indian Institute of Tropical Metrology, Pune and Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

19.10 H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar has sent 'NIL' reply.

19.11 Another category of Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have informed that they are not covered under the Public Records Act, 1993 and the Public Records Rules, 1997, are; Engineers India Limited, New Delhi and New India Assurance Company Limited, Mumbai.

19.12 National Textile Corporation Limited, New Delhi has informed that their Departmental Records Officer has just retired and new Departmental Records Officer will be deputed for training after nomination.

19.13 State Farms Corporation Limited, and Steel Authority of India Limited, both in New Delhi; Bharat Petroleum Corporation Limited, and National Film Development Corporation Limited, both in Mumbai; Institute of Ocean Management (Anna University) and Chennai Petroleum Corporation Limited, both in Chennai; Andrew Yule and Company Limited, Kolkata; Mahanandi Coal Fields Limited, Sambalpur; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar (Kottayam); Bharat Earth Movers Limited, Bangalore and Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi have forwarded vague reply.

19.14 Hindustan Insecticides Limited New Delhi; National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Roper; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram and Mormugao Port Trust Goa have informed that presently they do not have a Departmental Records Officer but will be nominating soon.

19.15 20 Public Sector Undertakings have informed that they do not have trained Records Officer. These are:- Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi; Indian Railway Finance Corporation Limited, and Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Shipping Corporation of India Limited and Mumbai Port and Mazagon Dock Limited, all in Mumbai; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi; Indian Statistical Institute, and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, both in Kolkata; National Fertilizers Limited, NOIDA(U.P.); Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad; Spices Trading Corporation Limited, Bangalore; Praga Tools Limited, Secunderabad; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Narmada Control Authority, Indore; Brahmaputra Board, Guwahati and Ganga Flood Control Commission, Patna.

अध्याय 20

अभिलेखीय जागरूकता

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा-3 (2) (घ) के अनुबंध के अनुसार अभिलेख महानिदेशक को आम जनता में अभिलेखीय जागरूकता उत्पन्न करने के लिए लोक अभिलेखों पर आधारित प्रदर्शनियां आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने निम्न प्रदर्शनियों का आयोजन किया और अन्य गतिविधियां संचालित की :

20.1 महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, मुंबई के सहयोग से 29 अप्रैल से 4 मई 2003 और तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार, चेन्नई के सहयोग से 19-24 मई 2003 की अवधि में 'जयप्रकाश नारायण : क्रांतिकारी और लोकनायक' विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

20.2 सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर हिंदी में उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के आधार पर एक प्रदर्शनी 'हमारी धरोहर हिंदी' 5-9 जून 2003 की अवधि में पारिमारिबो, सुरीनाम में प्रदर्शित की गयी।

20.3 लोक अभिलेख और तत्कालीन पुरातत्वीय सामग्री के आधार पर जयप्रकाश नारायण के बारे में 'जयप्रकाश नारायण : क्रांतिकारी और लोकनायक' शीर्षक से एक स्थायी डिस्प्ले का आयोजन *सिताब्दियारे* (जयप्रकाश नगर) जय प्रकाश नारायण मेमोरियल और महिला चरखा समिति, पटना में आयोजित किया गया। यह स्थायी डिस्प्ले जय प्रकाश नारायण जन्म शताब्दी समारोहों का एक हिस्सा था। जय प्रकाश नारायण के बारे में प्रदर्शनी का उदघाटन माननीय उपराष्ट्रपति श्री भैरो सिंह शेखावत ने 11 अक्टूबर, 2003 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री जगमोहन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव, विदेश राज्य मंत्री, श्री दिग्विजय सिंह भारत सरकार में संस्कृति विभाग के सचिव श्री धनेन्द्र कुमार और राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक श्री एच.डी सिंह की मौजूदगी में किया गया।

20.4 आजाद हिंद फौज और नेता जी सुभाष चंद्रबोस के बारे में एक प्रदर्शनी 'चलो दिल्ली' का आयोजन 15 अगस्त 2003 को भारतीय राष्ट्रीय और सिंगापुर के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो सिंगापुर के एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम में 15 सितम्बर, 2003 तक लोगों के दर्शनार्थ खुली रही। अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया जिनमें श्री एस टी डावणे, पूर्व सचिव, विदेश मंत्रालय; श्री के पी वोंग, नई दिल्ली में सिंगापुर के पूर्व उच्चायुक्त; श्री कृष्ण भास्करण, आजाद हिंद फौज के लेफ्टिनेंट; श्री ई अशिवधम, आई एन ए के सैनिक और सिंगापुर में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे।

20.5 अभिलेखागार सप्ताह समारोहों के दौरान एक प्रदर्शनी : 'अभिलेखागार और भारतीय सजावट कला (1850-1950)' का आयोजन किया गया। इसका उदघाटन भारत सरकार में संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव श्री के जयकुमार ने 5 दिसम्बर, 2003 को किया और यह 6 फरवरी, 2004 तक चली। कालेज और स्कूली विद्यार्थियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। संग्रहालय सभी कार्यदिवसों को पूर्वाह्न

ARCHIVAL AWARENESS

As envisaged in Section 3(2) (d) of the Public Records Act 1993, the Director General of Archives in authorized to hold exhibitions of Public Records to create Archival Awareness among the common people. During the period under report, National Archives of India mounted the following exhibitions and also under look other activities as detailed below.

20.1 An exhibition entitled 'Jayaprakash Narayan:- Revolutionary and Loknayak' was displayed in associating with Maharashtra State Achieves, Mumbai from 29 April to 4 May 2003 and in the Tamil Nadu State Archives, Chennai from 19 – 24 May 2003.

20.2 On the occasion of the Seventh World Hindu Conference and exhibition entitled 'Hamari Dharohar Hindi' based on the Archival material in Hindi available in the department was organized at Paremaribo, Suriname from 5-9 June 2003.

20.3 A permanent display based on public records and contemporary archival material on Jayaprakash Narayan entitled 'Jayaprakash Narayan:- Revolutionary and Loknayak' was organized at Jayaprakash Narayan Memorial in Sitabdiare (Jayaprakash Nagar) and Mahila Charkha Samiti, Kadamkuan, Patna. This permanent display was part of the combustion of the birth centenary celebrations of Jayaprakash Narayan. The exhibition at Jayaprakash Narayan was inaugurated by Shri Bhairon Singh Shekhawat, Hon'ble Vice President of India on 11 October 2003 in the presence of Shri Jagmohan, Hon'ble Minister of Human Resource Development, Shri Maulayam Singh Yadav, Hon'ble Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Digvijay Singh, Hon'ble Minister of State for External Affairs, Shri Dhanendra Kumar, Secretary, Department of Culture, Government of India and Shri H.D. Singh, Director General of Archives.

20.4 An exhibition entitled 'Chalo Delhi' based on Indian National Army and Netaji Subhas Chandra Bose was jointly organized by National Archives of India and National Archives of Singapore from 15 August 2003 which remarried open for public view till 15 September 2003 at the Asian Civilization Museum, Singapore. It had a galaxy of visitors, viz. Shri S.T. Davane, Former Secretary, Ministry of External Affairs; Mr. K.P. Wong, Former High Commissioner of Singapore, New Delhi; Shri Krishna Bhaskaran, a Lieutenant of Indian National Army; Shri E. Ashiwadam, Soldier of INA and representatives of Indian Communities in Singapore also graced the functions.

20.5 The exhibition entitled 'Archives and the Indian Decorative Art (1850-1950)' was organised during Archives Week Celebrations. It was inaugurated by Shri K. Jayakumar, Joint Secretary, Department of Culture, Government of India on 5 December 2003 and remained open till 6 February 2004. The exhibition has been incurred by visitors from various sections of the society including college and school students. The museum remained open for public from 10.00 A.M. to 5.50 P.M. on

1000 बजे से सायं 0550 बजे तक खुला रहा। प्रलेखी विरासत के संरक्षण को दर्शाने वाले दो ट्रांस्लाइट बाक्स मुख्य (अभिलेखागार) भवन के प्रथम तल पर लगाये गए।

20.6 अभिलेखागार सप्ताह, यानी 10-16 दिसम्बर 2003, के दौरान 'जयप्रकाश नारायण : क्रांतिकारी और लोक नायक' का आयोजन राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल और अभिलेख केंद्र (दक्षिणी क्षेत्र) पांडिचेरी में किया गया। भोपाल में 250 भारतीय और विदेशी पर्यटकों और पांडिचेरी में करीब 400 लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया; प्रदर्शनी देखने वाले विशिष्ट लोगों में डा0 आर पद्मनाभन, आई ए एस, मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार, श्री वीरेमधुराकवि, संपादक, वाइस आफ पांडिचेरी, और श्री एस वी अय्यर, रिपोर्टर मिरर शामिल थे। इस प्रदर्शनी के अतिरिक्त अभिलेख केंद्र पांडिचेरी ने 10-16 दिसम्बर, 2003 तक अभिलेखागार सप्ताह मनाने के अवसर पर लोगों के लाभार्थ ओपन हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के जयपुर अभिलेख केंद्र ने 15-22 दिसम्बर, 2003 तक 'जयप्रकाश नारायण : लोक नायक और क्रांतिकारी' विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के भुवनेश्वर (पूर्वी जोन) अभिलेख केंद्र ने 28 नवम्बर-6 दिसम्बर 2003 तक ऐसी ही प्रदर्शनी आयोजित की। इसे 172 दर्शकों ने देखा और कई विशिष्ट लोगों ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए अपनी टिप्पणी दर्ज की। इनमें उड़ीसा सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री डा0 दामोदर राउत; उड़ीसा सरकार के आयुक्त-एवं-संस्कृति सचिव श्री आर बालाकृष्णन; उड़ीसा सरकार के पूर्व संस्कृति सचिव श्री ए एन तिवारी और बहरामपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एन. दास (सेवानिवृत्त) शामिल थे।

20.7 भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का 58वां अधिवेशन 25-26 अप्रैल 2003 को रायपुर में पंडित रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर आयोजित किया गया। इसका उदघाटन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम, श्री दिनेश नंदन सहाय ने किया। कुछ व्यस्तताओं के कारण केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री, और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के अध्यक्ष के उपस्थित न हो पाने को देखते हुए उनका भाषण भारत सरकार में संस्कृति विभाग के सचिव और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की स्थाई समिति के अध्यक्ष श्री धनेन्द्र कुमार द्वारा पढ़ा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री अजित जोगी और विधानसभा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला ने इस अवसर पर प्रतिनिधियों को संबोधित किया। देश में 2000-2002 की अवधि में प्रमुख अभिलेखीय गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट भारत सरकार के अभिलेखागार महानिदेशक और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के सचिव द्वारा प्रस्तुत की गयी।

स्वतंत्रता पूर्व काल में रेलवे की गतिविधियों के बारे में एक प्रदर्शनी का उदघाटन माननीय राज्यपाल ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अभिलेखागार और राज्यों के अभिलेखागारों से दिलचस्प दस्तावेज तथा फोटोग्राफ प्रदर्शित किए गए।

इस सत्र की कार्य व्यापार बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अभिलेखागार के पूर्व निदेशक डा0 एस एन प्रसाद ने की। बैठक में पिछले प्रस्तावों पर आयोग द्वारा की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी और सदस्यों से प्राप्त विभिन्न अभिलेखीय प्रस्तावों पर विचार किया गया। कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें अभिलेखागार के बारे में कानून, अभिलेखागार के प्रमुख के रूप में व्यवसायियों की नियुक्ति, अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रकाशनों का पुनर्मुद्रण, भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों तक पहुंच आसान बनाना और सुस्थापित एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकार्य अभिलेखीय सिद्धांतों के आधार पर छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के बीच अभिलेखीय परिसंपत्तियों का बंटवारा, जैसे विषयों से संबद्ध प्रस्ताव शामिल थे।

all working days. Two translite boxes depicting conservation of documentary heritage were put up in the corridor of the first floor of the main (Archives) building.

20.6 On the Occasion of Archives week from 10-16 December 2003 the exhibition entitled 'Jayaprakash Narayan:- Revolutionary and Loknayak' was organized in the National Archives of India, Regional Office at Bhopal and Record Centre (Southern Zone) Pondicherry. Bhopal had 250 visitors both Indian and Foreigners and in Pondicherry about 400 people witnessed this exhibition; Dr. R. Padmanabhan, I.A.S., Chief Secretary, Government of Pondicherry, Shri Veeremadhurakavi, Editor, Voice of Pondicherry, and Shri S.V. Iyer, Reporter, *Mirror* were among the distinguished visitors. Besides, this exhibition, Record Centre Pondicherry had an Open House programme to celebrate the Archives Week from 10-16 December 2003 for the benefit of the public.

National Archives of India Record Centre, Jaipur mounted the exhibition on 'Jayaprakash Narayan:- Loknayak and Revolutionary' from 15-22 December 2003.

National Archives of India Record Centre (Eastern Zone) Bhubaneswar held the same exhibition from 28 November-6 December 2003 it had an audience of 172 visitors and many distinguished guests wrote comments appreciating the exhibition. Among them were Dr. Damodar Rout, Hon'ble Minister of Culture, Government of Orissa; Shri R. Balakrishnan, Commissioner-Cum-Secretary Culture, Government of Orissa, Shri A.N. Tiwari, Ex Secretary, Culture, Government of Orissa and Professor G.N. Dash (Retd.) Behrampur University.

20.7 The 58th session of the Indian Historical Records Commission was held at Raipur on 25-26 April 2003 on the invitation of Pt. Ravi Shankar Shukla University. It was inaugurated by His Excellency, Shri Dinesh Nandan Sahaye, Governor of Chhattisgarh. In the absence of the Union Minister of Tourism and Culture, and President of the Indian Historical Records Commission due to certain agencies, his address was read out by Shri Dhanendra Kumar, Secretary Department of Culture, Government of India and Chairman of the Standing Committee of the Indian Historical Records Commission. Shri Ajit Jogi, Chief Minister of Chhattisgarh and Shri Rajendra Prasad Shukla, Speaker, Vidhan Sabha were the Guests of Honour who also addressed the delegates. A report on major Archival Developments in the country during 2000-2002 was presented by the Director General of Archives, Government of India and Secretary, Indian Historical Commission.

An Exhibition on the Development of Railways in the pre-independence period was inaugurated by the Hon'ble Governor in which interesting documents and photographs from the National Archives of India as well as State Archives were displayed.

The Business meeting of the session was chaired by Dr S.N. Prasad, Former Director, National Archives of India. The meeting reviewed the action taken by the commission on earlier resolutions and also discussed other resolution on various archival matter received from members. A total of 8 resolutions were adopted. These included subjects like Legislation on archive, Appointment of professionals as Head of the Archives, Computerization of records, Re-printing of Rare and important publications, Liberalization of access to the records of the Survey of India and Division of Archival Assets between Chhattisgarh and Madhya Pradesh as per well established and internationally accepted archival principles.

प्रोफेसर द्विजेन्द्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में वैचारिक सत्र के दौरान मूल स्रोतों के बारे में सात निबंधों पर विचार किया गया।

20.8 अभिलेखविदों की राष्ट्रीय समिति की 41वीं बैठक 5-6 दिसम्बर, 2003 को अभिलेखागार के महानिदेशक श्री एच डी सिंह की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में आयोजित की गयी। बैठक में पांच प्रस्ताव पारित किए गए और 'अभिलेखागारों और पुस्तकालयों में कीट प्रबंधन' और 'डिजिटल अभिलेखागार' विषयों पर दो निबंध प्रस्तुत किए गए और उन पर विचार किया गया।

5 दिसम्बर, 2003 को "नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइव्स : गोल्डन जुबली कोमेमोरेटिव वोल्यूम" नामक खंड का विमोचन किया गया।

20.9 आर्मीनिया, सेचिल्स, इज़राइल, जर्मनी, चीन, ईरान, इटली, घाना, गयाना, मारिशस के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों (2003-2005) को अंतिम रूप दिया गया। भारत-सिंगापुर समझौता ज्ञापन के हिस्से के रूप में आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में 15 अगस्त, 2003 से सिंगापुर में एक प्रदर्शनी लगायी गयी। अभिलेखागार के सहायक निदेशक डाक्टर प्रमोद मेहरा, और अभिलेखविद् श्री राजमणि को प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सिंगापुर भेजा गया। अभिलेखागार के महानिदेशक ने 15 और 16 अगस्त, 2003 को प्रदर्शनी के उदघाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ अभिलेख प्रबंधन अधिकारियों के साथ बातचीत भी की और सिंगापुर में रखे भारत की रुचि के अभिलेखों के माइक्रोफिल्मिंग कार्यक्रम की प्रगति पर विचार किया।

20.10 सिंगापुर के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभाग ने सिंगापुर के राष्ट्रीय अभिलेखागार को प्रलेखों की नेगेटिव माइक्रोफिल्म के 1,661 चित्र, 13 मानचित्रों और 2,544 प्रलेखों की फोटो प्रतियां भेजी।

चीन, मंगोलिया, कम्बोडिया, घाणा, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जर्मनी, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र, इथिओपिया, और मोरक्को के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर अमल संबंधी स्थिति की रिपोर्टें संस्कृति विभाग को भेजी गयीं।

20.11 समिति और सम्मेलन -

1. श्री एच डी सिंह महानिदेशक, अभिलेखागार को आई.सी.एच.आर. की प्रकाशन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया।
2. श्री एच डी सिंह महानिदेशक, अभिलेखागार ने 27 जून, 2003 को केन्द्रीय अभिलेख प्रलेखन केंद्र (भारतीय रिजर्व बैंक), पुणे का दौरा किया और अभिलेख प्रबंधन एवं परिरक्षण विषय पर भाषण दिया।
3. श्री एच डी सिंह महानिदेशक, अभिलेखागार ने 28 सितम्बर, 2003 को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद में सहायक निदेशक (अनुसंधान) के पद के चयन के लिए इंटरव्यू में हिस्सा लिया।

I श्री एच डी सिंह महानिदेशक, अभिलेखागार ने निम्नांकित बैठकों में हिस्सा लिया :

1. अभिलेखविद् और कैमिस्ट की भर्ती के लिए नई दिल्ली में 6-8 जनवरी 2003 तक भारतीय रिजर्व बैंक के चयन बोर्ड की बैठक

The academic session under the Chairmanship of Professor Dwijendra Tripathi discussed 7 papers based on original sources.

20.8 The 41st Meeting of the National Committee of the National Committee of Archivists was held on 5-6 December 2003 at National Archives of India under the Chairmanship of Shri H.D. Singh, Director General of Archives. Five Resolutions were passed at the meeting and two papers, viz. 'Pest Management in Archives and Libraries' and 'Digital Archives' were presented and discussed.

A volume entitled "National Committee of Archivists:- Golden Jubilee Commemorative Volume" was released on 5 December 2003.

20.9 The Cultural Exchange Programmes (CEP) were finalized with Armenia, Seychelles, Israel, Germany, China, Iran, Italy, Ghana, Guyana, Mauritius (2003-2005). As part of the Indo-Singapore Memorandum of Understanding (MOU), an exhibition on the Indian National Army and Subhas Chandra Bose was organized from 15 August 2003 at Singapore. Dr Pramod Mehra, Assistant Director of Archives and Shri Rajmani, Archivist were deputed to Singapore to mount the exhibition. The Director General of Archives attended the inaugural function of the Exhibition on 15 and 16 August 2003. He also delivered a talk on Records Management to the senior officials of the Government of Singapore and discussed the progress of the microfilming programme of records of Indian interest by the Singapore side.

20.10 As a part of Singapore Cultural Exchange Programme this Department forwarded to the National Archives of Singapore 1,661 exposures of negative microfilm of documents, xerox copies of 13 maps and 2,544 documents.

Status reports on the implementation of Cultural Exchange Programme with China, Mongolia, Cambodia, Ghana, South Africa, Italy, Germany, Sudan, Tunisia, Egypt, Ethiopia and Morocco were forwarded to the Department of Culture.

20.11 Committee and Conferences –

1. Shri H.D. Singh, Director General of Archives was nominated as Member on the Publication Committee of the I.C.H.R.
2. Shri H.D. Singh, Director General of Archives visited Central Records Documentation Centre (Reserve Bank of India), Pune on 27 June 2003 and delivered a lecture on Record Administration and Conservation.
3. Shri H.D. Singh, Director General of Archives attended the Interview for the selection of post of Assistant Director (research) at Indian Council of Historical Research on 28 September 2003.

II. Shri H.D. Singh, Director General of Archives attended the following meetings:

1. Meeting of the Selection Board of the Reserve Bank of India from 6-8 January 2003 in New Delhi for Recruitment of Archivist and Chemist.

2. 31 जनवरी 2003 को अपराह्न 3.30 बजे सचिव चैम्बर में माननीय राज्य मंत्री श्री विनोद खन्ना की विदाई पार्टी।
3. शोक चित्रों का संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 5 मार्च, 2003 को नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित की गयी बैठक।
4. महानिदेशक अभिलेखगार और सहायक निदेशक अभिलेखागार (आर ए एंड आरएस) ने 3 कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 6 मार्च, 2003 को पार्क होटल में आयोजित सेमिनार— 'नेटवर्क सुरक्षा—नई चुनौतियों का सामना'। में हिस्सा लिया।
5. अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में 24 मार्च, 2003 को सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड प्रबंधन संबंधी बैठक।
5. महानिदेशक अभिलेखगार और सहायक निदेशक अभिलेखागार (आर ए एंड आरएस) ने टीईआरआई, इंडिया हैबिटैट सेंटर, नई दिल्ली में 31 मार्च, 2003 को ई-गवर्नेंस के बारे में आयोजित वीडियो सम्मेलन में हिस्सा लिया।
6. 10 जून, 2003 को राष्ट्रीय कला संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान में आयोजित प्रबंधन बोर्ड की बैठक।
7. सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में 11 जुलाई, 2003 और 14 नवंबर, 2003 को नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय लाइब्रेरी में हुई पुस्तक चयन समिति की बैठकें।
8. विभिन्न देशों के साथ किए गए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 6 अगस्त, 2003 को डा0 (श्रीमती) सी टी मिश्रा, संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग के चेम्बर में आयोजित बैठक।
9. भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण स्मारकों, संग्रहालयों और कलादीर्घाओं की गतिविधियों को सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समन्वित रूप से दिखाए जाने के बारे में 11 अगस्त, 2003 को संस्कृति विभाग में सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में हुई बैठक।
10. भारत-चीन सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 21 अगस्त, 2003 को संस्कृति विभाग में सचिव (संस्कृति) की अध्यक्षता में हुई बैठक।
11. इटली, जर्मनी और धाना के साथ किए गए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 1 सितम्बर, 2003 को डा0 (श्रीमती) सी टी मिश्रा, संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग के चेम्बर में आयोजित बैठक।
12. नई दिल्ली में 23 जुलाई, 2003 और 6-7 तथा 13 सितम्बर, 2003 को हुई परिषद कार्यालय में हुई भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की प्रशासनिक सुधार समिति की बैठकें।
13. 26 सितम्बर, 2003 को केन्द्रीय सचिवालय लाइब्रेरी में 'सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और संरक्षण की रूपरेखा' तैयार करने के बारे में हुई बैठक।
14. सदस्य सचिव, आईसीएचआर के पद के लिए नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2003 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई जांच समिति और चयन समिति की बैठक।

2. Farewell of Hon'ble Minister of State, Shri Vinod Khanna in the Chamber of Secretary (C) at 3.30 P.M. on 31 January 2003.
3. Meeting taken by Secretary, Ministry of Information and Broadcasting to discuss the proposed for setting up a museum of Mourning Images on 5 March 2003 in the Committee Room of Ministry of Information and Broadcasting, Shastri Bhawan, New Delhi.
4. Director General of Archives and Assistant Director of Archives (RA & RS) attended Seminar on 'Network Security – Meeting New Challenges' on 6 March 2003 at the Park Hotel organized by 3 Com India Private Limited.
5. Meeting on Electronic Record Management under the Chairmanship of Additional Secretary, Department of Administrative Reforms in Sardar Patel Bhawan, New Delhi on 24 March 2003.
6. Director General of Archives and Assistant Director of Archives (RA & RS) attended Video Conference on E-Governance held on 31 March 2003 at TERI, India Habitat Centre, New Delhi.
7. Meeting of the Board of Management at National Institution of Art Conservation and Museology held on 10 June 2003.
8. Meeting of the Book Selection Committee at Central Secretariat Library, New Delhi held under the Chairmanship of Secretary (Culture) on 11 July, 2003 and another meeting held on 14 November 2003.
9. Meeting to review implementation of Cultural Exchange Programmes with various countries held in the Chamber of Dr. (Smt.) C.T. Mishra, Joint Secretary, Department of Culture on 6 August 2003.
10. Meeting regarding coordinated projection of development activities of A.S.I. Monuments, Museums and Art Galleries by the State owned electronic media on 11 August 2003 at Department of Culture under the Chairmanship of Secretary (Culture).
11. Meeting to review the implementation of Indo-China Cultural Exchange Programme (2003-2005) on 21 August 2003 at Department of Culture held under the Chairmanship of Secretary (Culture).
12. Meeting to review implementation of Cultural Exchange Programme with Italy, Germany and Ghana held in the Chamber of Dr.(Smt) C.T. Mishra, Joint Secretary, Department of Culture on 1 September 2003.
13. Meetings of the Administrative Committee of Indian Council of Historical Research at the Council in New Delhi on 23 July 2003 and on 6-7 and 13 September 2003, respectively.
14. Meeting on development of 'Blue print on Preservation and Conservation of Cultural Heritage' at Central Secretariat Library on 26 September 2003.

15. टीईआरआई, नई दिल्ली में 5 नवम्बर, 2003 को हुई डिजिटल पुस्तकालयों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2004 की संचालन समिति की बैठक।

16. नई दिल्ली में 14 नवम्बर, 2003 को हुई राष्ट्रीय अभिलेखागार के कला इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान के प्रबंधन बोर्ड की बैठक।

II राष्ट्रीय अभिलेखागार के उप निदेशकों डाक्टर शीतल प्रसाद और श्री आर मीणा ने 22-24 जनवरी, 2003 को एन.आई.सी., नई दिल्ली के 'आफिस ओटोमेशन टूल्स' के बारे में कम्प्यूटर कोर्स में हिस्सा लिया।

III राष्ट्रीय अभिलेखागार के उप निदेशक डाक्टर शीतल प्रसाद ने निम्नांकित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया :

1. 9 अक्टूबर, 2003 को नई दिल्ली में परिवहन भवन में हुई पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की साप्ताहिक बैठक।

2. 14 अक्टूबर, 2003 को नई दिल्ली में नैस्कोम द्वारा ई-गवर्नेंस के बारे में आयोजित सेमिनार।

IV श्रीमती सुनीता कालरा, सहायक निदेशक अभिलेखागार, ने 10 मई, 2003 को वृंदाबन, उत्तर प्रदेश में हुई वृंदाबन अनुसंधान संस्थान की कार्यकारी परिषद और आमसभा की बैठकों में हिस्सा लिया।

श्रीमती कालरा को 27-29 सितम्बर, 2003 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित कार्यशाला- 'संग्रहालय और आपदा, आयोजना, तैयारी और प्रबंधन' में हिस्सा लेने के लिए भी भेजा गया।

V राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहायक निदेशक श्री पी.एस.एम मोइदीन ने निम्नांकित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया:

1. 17 जनवरी, 2003 को पुणे में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की सलाहकार समिति की बैठक।

2. पुणे में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निर्माण के दूसरे चरण की योजना को अंतिम रूप देने के लिए एडलैक्स फिल्म लिमिटेड, मुंबई में 4 फरवरी, 2003 को हुई बैठक।

3. पुणे में राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के निर्माण के दूसरे चरण की निर्माण-योजना को अंतिम रूप देने के लिए मुंबई में 20 मार्च, 2003 को हुई बैठक।

4. अभिलेख प्रबंधन के बारे में इसरो के अधिकारियों के समक्ष भाषण देने के लिए 25 सितम्बर, 2003 को अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर भेजा गया।

5. ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआर आई), नई दिल्ली द्वारा 23 दिसम्बर, 2003 को आयोजित व्याख्यान 'इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स एंड कंसोर्टियम बेस्ड सब्सक्रिप्शन' देने के लिए भेजा गया।

VI राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज के अभिलेखागार की स्थापना और विकास के बारे में परामर्श देने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहायक निदेशक श्री संजय गर्ग को 8-9 मई, 2003 को राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज, देहरादून भेजा गया।

15. Meeting of the Screening Committee and Selection Committee for the post of Member Secretary, ICHR in the India International Centre, New Delhi on 15 October 2003.
16. Meeting of the Steering Committee for International Conference on Digital Libraries 2004 held at TERI, New Delhi on 5 November 2003.
17. Meeting of the Board of Management of the National Museum Institute of History of Arts, Conservation and Musicology, New Delhi on 14 November 2003.

II Dr. Shitla Prasad and Shri R. Meena, Deputy Directors of Archives attended the Computer Course on 'Office Automation Tools' at N.I.C., New Delhi from 22-24 January 2003.

III Dr. Shitla Prasad, Deputy Director of Archives attended-

1. Weekly Meeting of the Minister of Tourism and Culture held at Transport Bhawan, New Delhi on 9 October 2003
2. A Seminar of E-Governance organized by NASSCOM, New Delhi on 14 October 2003.

IV Smt. Sunita Kalra, Assistant Director of Archives attended the Meeting of the Governing Council and General Body of Vrindaban Research Institute on 10 May 2003 at Vrindaban, Uttar Pradesh.

She was also deputed to attend a workshop on 'Museum and Disaster – Planning Preparedness and Management' from 27-29 September 2003 at Thiruvananthapuram.

V Shri P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives attended the following meetings:

1. Advisory Committee Meeting of the National Film Archive of India, Pune on 17 January 2003.
2. Meeting regarding finalisation of plan pertaining to the construction of IIInd phase of National Film Archive of India building at Pune, held on 4 February 2003 at Adlabs Film Limited, Mumbai.
3. Meeting held in connection with the finalisation of drawings for the IIInd phase of National Film Archive of India building at Pune held at Mumbai on 20 March 2003.
4. Deputed to the Department of Space, Bangalore to deliver a lecture on Records Management to officers of ISRO on 25 September 2003.
5. Deputed to attend a lecture on 'Electronic Journals and Consortium based Subscription' organized by The Energy and Resources Institute (TERI), New Delhi on 23 December 2003.

VI Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives was deputed to Rashtriya Indian Military College, Dehradun on 8-9 May 2003 to advise on setting up and developing of Rashtriya Indian Military College Archives.

श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक अभिलेखागार, ने 23 दिसम्बर, 2003 को नोएडा में वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की एक बैठक में हिस्सा लिया।

VII श्री मीमांसक, हिंदी अधिकारी और श्री राजमणि, अभिलेखविद, को सुरीनाम ने सातवें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान 'हमारी धरोहर-हिंदी' नामक प्रदर्शनी आयोजित करने के सिलसिले में 5-9 जून 2003 की अवधि के लिए सुरीनाम भेजा गया।

VIII श्री डाक्टर यशोधरा जोशी, वैज्ञानिक अधिकारी ने 30 अगस्त, 2003 को वृंदाबन में वृंदाबन अनुसंधान संस्थान की आयोजन समिति की बैठक में हिस्सा लिया।

डा० जोशी ने 29 दिसम्बर से 1 दिसम्बर, 2003 तक वृंदाबन अनुसंधान संस्थान में 'प्रलेखी विरासत की देखभाल और संरक्षण' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में एक निबंध प्रस्तुत किया।

जन संपर्क

प्रशिक्षण / व्याख्यान / कार्यशाला

1. श्री एच डी सिंह, महानिदेशक अभिलेखागार ने राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार द्वारा 14-16 अक्टूबर 2003 की अवधि में "अभिलेखों का परिरक्षण और माइक्रोफिल्मिंग" विषय पर आयोजित 3 दिन की कार्यशाला के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। कार्यशाला का उद्घाटन मणिपुर के मुख्यमंत्री माननीय श्री एन नरसिंह द्वारा किया गया।
2. श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक, अभिलेखागार और श्रीमती गायत्री वशिष्ठ ने आईएसटीएम के प्रशिक्षार्थियों के समक्ष क्रमशः 4 मार्च, 2003, 29 अप्रैल, 2003 और 30 दिसम्बर, 2003 को "लोक अभिलेख अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियम" और "विभागीय अभिलेख कक्ष और विभागीय अभिलेख अधिकारी के कार्य" विषयों पर व्याख्यान दिए।
3. राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान के चौथी प्रलेखन फोटोग्राफी तकनीक पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों ने अपने एक अधिकारी के साथ 25 सितम्बर, 2003 को राष्ट्रीय अभिलेखागार की यात्रा की। श्री अजित डे, माइक्रोफोटोग्रैफिस्ट ने प्रशिक्षार्थियों के समक्ष एक व्याख्यान दिया।
4. राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान के 15वें अभिविन्यास पाठ्यक्रम के 15 भागीदारों के एक समूह ने अपने पाठ्यक्रम समन्वयक के साथ 20 नवम्बर, 2003 को राष्ट्रीय अभिलेखागार की यात्रा की। श्री अजित डे, माइक्रोफोटोग्रैफिस्ट ने प्रशिक्षार्थियों के समक्ष एक व्याख्यान दिया।
5. अभिलेखागार के सहायक माइक्रोफोटोग्रैफिस्ट श्री जे के लूथरा और ए.एल.आई.ए. श्री एस सरकार, ने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में 24-28 फरवरी, 2003 की अवधि में 'भारतीय भाषाओं में वेबसाइट का विकास' विषय पर प्रशिक्षण में हिस्सा लिया।
6. अभिलेखागार के माइक्रोफोटोग्रैफिस्ट श्री जगमोहन सिंह और सहायक माइक्रोफोटोग्रैफिस्ट श्री अजय श्रीवास्तव ने फोटो प्रभाग, नई दिल्ली में 13-17 मार्च 2003 की अवधि में 'फोटो पत्रकारिता के पहलू और तीव्र संचार के लिए डिजिटल फोटोग्राफी की भूमिका' विषय पर कार्यशाला-एवं-अभिविन्यास पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया।

Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives attended a meeting held at V.V. Giri National Labour Institute, Noida on 23 December 2003.

VII Shri Mimansak, Hindi Officer and Shri Rajmani, Archivist were deputed to Suriname from 5-9 June 2003 in connection with the mounting of an exhibition entitled 'Hamari Dharohar – Hindi' during the VII World Hindi Conference.

VIII Dr. Yashodara Joshi, Scientific Officer attended the meeting of the Organising Committee of the Institute at Vrindaban Research Institute, Vrindaban on 30 August 2003.

Dr. Joshi presented a paper at the International Seminar on 'Care and Preservation of Documentary Heritage' held at Vrindaban Research Institute from 29 November to 1 December 2003.

PUBLIC RELATIONS

I. Training/ Lectures/ Workshop

1. Shri H.D. Singh, Director General of Archives presided over the inaugural function of the three days workshop on "Conservation and Microfilming of Records" conducted by National Archives of India from 14-16 October 2003 at Imphal. The workshop was inaugurated by Shri M. Nara Singh, Hon'ble Chief Minister of Manipur.
2. Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives and Smt. Gayatri Vasisht delivered lecture to the trainees of I.S.T.M. on the topics "Public Records Act and Rules framed under it" and "Departmental Record Room and Functions of Departmental Records Officer" on 4 March 2003, 29 April 2003 and 30 December 2003 respectively.
3. Trainees for the Course on 4th Document Photography Techniques from the National Institute of Criminology and Forensic Science visited National Archives of India along with one of their officers on 25 September 2003. A lecture to the trainees was delivered by Shri Ajit Dey, Microphotographer.
4. A group of 15 participants of the 15th Orientation Course of National Institute of Criminology and Forensic Science along with their Course Coordinator visited National Archives of India on 20 November 2003. Shri Ajit Dey, Microphotographer delivered a lecture to the trainees.
5. Shri J.K. Luthra, Assistant Microphotographer and Shri S. Sarkar, A.L.I.A. attended training on 'Development of Web sites in Indian Languages; from 24-28 February 2003 in Central Secretariat Library.
6. Shri Jagmohan Singh, Microphotographer and Shri Ajay Srivastava, Assistant Microphotographer attended Workshop-cum-Refresher Course on 'Aspect of Photo Journalism and the Role of Digital Photography for Speedy Communication' from 13-17 March 2003b at Photo Division, New Delhi.

7. अभिलेखागार के माइक्रोफोटोग्राफिस्ट श्री जगमोहन सिंह और वैज्ञानिक अधिकारी श्री प्रजापति ने 14-16 अक्टूबर, 2003 की अवधि में 'अभिलेखों का संरक्षण और माइक्रोफिल्मिंग' विषय पर तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन किया।

अन्य गतिविधियां

1. श्री एचडी सिंह, महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने 10 नवंबर 2003 को राष्ट्रीय अभिलेखागार में आकाशवाणी पर 'धरोहर पात्र' विषय पर एक वार्ता रिकार्ड कराई।
2. राष्ट्रीय अभिलेखागार की हिंदी वेबसाइट विकसित करने के लिए फोटोगैलरी में शामिल करने के वास्ते 25 फोटोग्राफ सहित आलेख राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रको अग्रसारित किया गया।
3. हिंदी वेबसाइट के विकास के लिए हिंदी में अपेक्षित सामग्री डीएसएफ इंटरनेट सर्विसिज, नई दिल्ली को भेजी गयी।
4. भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रहालय के बारे में ईरान में प्रसारण के लिए एक फिल्म की शूटिंग करने में इस्लामी गणराज्य ईरान के अधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी गयी।
5. 29 दिसम्बर, 2003 को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में लोक नायक जय प्रकाश नारायण पर एक वृत्तचित्र की शूटिंग के लिए मुंबई की प्रकाश झा प्रोडक्शन कंपनी के अधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायी गयी।

7. Shri Jagmohan Singh, Microphotographer and Shri Prajapati, Scientific Officer conducted a 3 day workshop on 'Conservation and Microfilming of Records' at Imphal from 14-16 October 2003.

OTHER

1. Shri H.D. Singh, Director General of Archives recorded a talk for A.I.R. on 'Dharohar Patra' on 10 November 2003 at National Archives of India.
2. Forwarded write up to National Informatics Centre for developing National Archives of India Hindi website along with 25 photographs for incorporation in the Photo Gallery.
3. Hindi material for development of Hindi website was forwarded to DSF Internet Services, New Delhi.
4. Necessary assistance was provided to officials from the Islamic Republic of Iran to shoot film at Museum of National Archives of India for broadcasting at Iran.
5. Necessary assistance was provided to officials of Prakash Jha Production, Mumbai to shoot a documentary film on Loknayak Jayaprakash Narayan on 29 December 2003 at National Archives of India.

प्राथमिकताएं

अभिलेख किसी भी संगठन का अभिन्न अंग होते हैं। ये प्रशासन के पहियों के समान हैं और अभिलेख का समुचित प्रबंधन कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने में मदद करता है। अभिलेख प्रबंधन से अच्छे प्रबंधन के मानदंड कायम होते हैं और अभिलेखों के सृजन, नियंत्रण, संरक्षण और निपटान में मदद मिलती है। किसी भी कल्याणकारी राज्य में उस देश की सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है और सरकार की कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही में अभिलेख प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। यह सभी भागीदारों को लोक अभिलेख प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील बनाकर विभिन्न सरकारी एजेंसियों में एक जीवन्त अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के प्रयत्न करता आ रहा है। इसके साथ ही यह क्षमता निर्माण के बारे में अपनी जानकारी और विशेषज्ञता औरों को उपलब्ध कराकर तथा केन्द्र सरकार के संगठनों में अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों को संस्थागत रूप देकर भी इस क्षेत्र में अपना योगदान कर रहा है।

लेकिन जन सेवा के इस महत्वपूर्ण कार्य के बारे में अधिकांश सरकारी विभागों का उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण चिंता का विषय है। अपनी पहले की रिपोर्टों में मैंने अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों के बारे में अभिलेख सृजन करने वाली एजेंसियों के अनुत्साहजनक उत्तर पर बार-बार असंतोष व्यक्त किया है। इस साल भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि इस साल प्राप्त कुल उत्तरों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों/विभागों का उत्तर पिछले वर्ष के 32 प्रतिशत से घटकर इस साल 17 प्रतिशत रह गये हैं। दूसरे शब्दों में कुल 84 मंत्रालयों/विभागों में से 80 प्रतिशत ने उत्तर देने तक की परवाह नहीं की है। संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में स्थिति कुछ उत्साहवर्धक है। कुल 1,303 संगठनों में से, जिन से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था, केवल 127 यानी केवल 10 प्रतिशत ने ऐसा किया और वहां भी अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उसके मुकाबले बहुत कम ध्यान दिया गया। यही हाल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/समितियों/आयोगों आदि का था जिनकी कुल 231 की संख्या में से केवल 56 ने यानी 24 प्रतिशत से उत्तर दिया। हालांकि उत्तर भेजने की समग्र दर में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में संगठन कानून का पालन नहीं कर रहे हैं।

अभिलेख सृजन करने वाली विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त उत्तरों (जो पिछले पृष्ठों में दिये गये हैं) के विश्लेषण से पता चलता है कि सार्वजनिक संस्थाओं में अभिलेख प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इधर नागरिक-अधिकार संबंधी घोषणा में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को महत्व प्रदान किये जाने से अभिलेख प्रबंधन की समुचित और कारगर व्यवस्था करना अधिकाधिक अनिवार्य होता जा रहा है।

इसलिए मैं भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अपील करता हूँ कि वे लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों को अपने संगठन के साथ-साथ अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों में भी लागू करें।

PRIORITIES

Records are integral part of any Organization. They are the wheels of administration and their proper records management ensures an efficient administration. Records management establishes standards of good management in respect of creation, control, preservation and disposition of records. In a welfare state, the government of the day is accountable to its people, and for efficiency, transparency and accountability of the government, records management play a vital role. The National Archives of India which has been entrusted with the implementation of the Public Records Act, 1993 has been endeavouring to foster a vibrant records management system in different government agencies, by sensitizing all the stakeholders about the need for public records management as well as by sharing its knowledge and expertise for capacity building and institutionalising the records management activities in the Union Government organisations.

However, the callous attitude of a majority of government departments towards this vital tool of public service is a cause of concern. In my earlier reports I have repeatedly expressed my dismay on the poor response by the records creating agencies in sending their returns on records management activities. The situation has changed very little this year. While there is a slight increase in the overall response received this year, the response from main Ministries/ Departments of the Government of India has gone down from 32 last year to 17 this year. In other words out of a total of 84 Ministries/ Departments, almost 80% of them did not respond at all. The position with regard to the attached/ subordinate offices is some what encouraging Out of a total of 1,303 organisations that were requested to send in their reports, only 127, or just 10% did so, and there too, the records management activities were given very little attention than they deserve. Similar was in case of the public sector undertakings/ committees/ commissions etc. where just 56 out of 231 or 24% responded. Although the over all response ratio has slightly increased still a large number of organization remain non-compliant of the statute.

The analysis of the response received from the various records creating agencies that has been given in the preceding pages, reveals that much remains to be done to augment the records management activities in the public institutions. With transparency and accountability in administration enshrined in the Citizen's Charters, the need for proper and effective records management is becoming increasingly imperative.

I, therefore, make a sincere appeal to all the ministries/ departments of the Government of India, to implement the various provisions of the Public Records Act, 1993, in their own organisations, as well as in all the attached/ subordinate offices/ public sector undertakings/ statutory bodies etc. under their administrative control.

21.1 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के दायरे में आने वाली सभी अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा विभागीय अभिलेख अधिकारियों का मनोनयन, अब भी प्राथमिकता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हालांकि रिपोर्टाधीन अवधि के आंकड़ों से इस कार्य में अच्छी प्रगति का पता चलता है, लेकिन अभिलेख सर्जक 54 प्रतिशत एजेंसियों में अब तक कोई विभागीय अभिलेख अधिकारी नहीं है। ऐसे में मैं ऐसे संगठनों से जिन्होंने अब तक अपने विभागीय अभिलेख अधिकारी मनोनीत नहीं किये हैं, एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि वे बिना और देरी किये यह कार्य पूरा करें और इसकी सूचना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को दें।

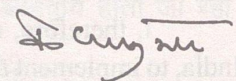
21.2 लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत नियुक्त सभी विभागीय अभिलेख अधिकारियों का प्रशिक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभिलेख प्रबंधन में दक्ष प्रशिक्षित व्यक्ति इस अधिनियम को सही तरीके से लागू करने में बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पांच दिन के अभिविन्यास पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभागीय अभिलेख अधिकारियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करता है। लेकिन केवल 60 प्रतिशत संगठनों ने ही अपने विभागीय अभिलेख अधिकारियों को इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा नियुक्त सभी विभागीय अभिलेख अधिकारियों को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की ओर से अभिलेख प्रबंधन का प्रशिक्षण मिले।

21.3 प्रभावी अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित है और इस तरह हर एक संगठन में एक सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। अभिलेख संग्रह की स्थितियों में सुधार के लिए अभिलेख सर्जन करने वाली एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से तकनीकी मार्गदर्शन ले सकती हैं। वे 'सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण' की योजना के तहत भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग से वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं।

21.4 टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और रिस्रिक्टेड जैसे सुरक्षा-वर्गीकरण के दायरे में आने वाले तमाम रिकार्डों की लोक अभिलेख, नियमावली, 1997 के अंतर्गत विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा समीक्षा कराना आवश्यक है। इस तरह से नियुक्त अधिकारियों को पांच साल में कम से कम एक बार वर्गीकृत फाइलों की समीक्षा करनी होती है और की गयी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट भी प्रेषित करनी होती है। हो सकता है इस तरह के सभी अधिकारियों के पास कोई वर्गीकृत अभिलेख न हो, लेकिन जहां कहीं भी इस तरह के अभिलेख होते हैं समय-समय पर उनकी समीक्षा करके दर्जा घटाना/विवर्गीकरण करना पड़ सकता है।

21.5 और अंत में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मूल्यांकन के बाद स्थायी रूप से संरक्षण के लिए रखे गये अभिलेख अगर सर्जक एजेंसियों के पास ही पड़े रहने दिये जाते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के सभी प्रयास व्यर्थ चले जाएंगे। इससे अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाओं के हमेशा के लिए नष्ट होने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए एक बार मूल्यांकन हो जाने पर स्थायी महत्व के समस्त अभिलेखों को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की वैज्ञानिक निगरानी में भेज दिया जाना चाहिए जो इस कार्य के लिए आधिकारिक संरक्षक है। जिस किसी संगठन के पास इस तरह के भेजे जाने वाले अभिलेख हों, मैं उन सब से अनुरोध करता हूँ कि वे इन्हें **सर्वोच्च प्राथमिकता** के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित कर दें।

21.6 अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अभिलेख प्रबंधन, परिरक्षण और संरक्षण तथा रिप्रोग्रैफी के क्षेत्र में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता से भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार राष्ट्र की अभिलिखित विरासत की सुरक्षा के लिए कृतसंकल्प है ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके।



(कै. जयकुमार)

संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग और
महानिदेशक अभिलेखागार
भारत सरकार

21.1 The nomination of departmental records officer by all the records creating agencies falling within the purview of the Public Records Act, 1993 still remains the key priority area, and though the figures in this regard have shown an appreciable progress during the period under report, it still leaves about 874 organisations or 54% records creating agencies without any departmental records officer. May I, therefore, once again urge all those organisations who have so far not nominated their departmental records officers to do so without any further delay under intimation to the National Archives of India.

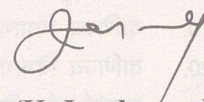
21.2 The training of all the departmental records officers appointed under the Public Records Act, 1993 is of equal importance. A trained person with adequate records management skills will be an asset for the implementation of the Act in the right earnest. The National Archives of India has been providing free of cost training to the departmental records officers under five-day orientation courses, but only 60% organisations have got their departmental records officers trained in these courses. I sincerely hope that all the departmental records officers appointed by the records creating agencies receive training in records management provided by the National Archives of India.

21.3 Another key area for an effective records management programmed is related to infrastructural development, and thus a well organised departmental records room in every organisation is an indispensable requirement. To improve the records storage conditions, the records creating agencies can solicit the technical guidance from the National Archives of India. They may also avail the financial support from the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, under its 'Modernisation of Government Offices' scheme.

21.4 All records bearing the security classification viz. Top Secret, Secret, Confidential and Restricted, are required to be reviewed by a specially designated officer appointed under the Public Records Rules, 1997. The officers so appointed are required to undertake review of the classified files at least once in five years, and also submit a report on the action taken by them. While all the offices may not have such classified records, but wherever they exist, these may be subjected to periodical review for their downgradation/ de-classification.

21.5. Finally, all the endeavours of the National Archives of India would come to a naught if the records adjudged for permanent preservation after their appraisal are allowed to remain in the creating agencies. By doing so we would be risking the loss of vital information forever. Therefore, once appraised, all records of enduring value should be consigned to the scientific care of the National Archives of India, the official custodian. I call upon all those organisations where such records are awaiting transfer, to transfer them to National Archives of India on TOP PRIORITY basis.

21.6. Before concluding, I would like to reassert that with its technical expertise and professional knowledge in the fields of records management, preservation and conservation and reprography, the National Archives of India is committed to secure the documentary heritage of the nation for the posterity.



(K. Jayakumar)

Joint Secretary, Department of Culture and
Director General of Archives
Government of India

अनुलग्नक-I

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय / विभाग / कार्यालय

कृषि मंत्रालय

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोद (जिला सूरत)
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा (जिला सम्बलपुर)
3. केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर
4. कपास विकास निदेशालय, मुंबई
5. विस्तान निदेशालय, नई दिल्ली
6. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, गुवाहाटी
7. बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर
8. तम्बाकू निदेशालय, चेन्नई
9. गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद
10. राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद
11. क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर
12. दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

13. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली
14. उर्वरक विभाग, नई दिल्ली

नागर विमानन मंत्रालय

15. नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली
16. रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ
17. नागर विमानन महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली

कोयला और खान

18. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

19. वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली
20. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली
21. आपूर्ति और निपटान निदेशालय, नई दिल्ली
22. विदेश व्यापार महा निदेशालय, नई दिल्ली
23. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता
24. भारत में शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय, मुंबई

**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED INFORMATION
ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993.**

A. Ministries/Departments/Offices

Ministry of Agriculture

1. Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).
2. Central Cattle Breeding Farm, Chiplima (District Sambalpur).
3. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
4. Directorate of Cotton Development, Mumbai.
5. Directorate of Extension, New Delhi.
6. Directorate of Marketing and Inspection, Guwahati.
7. Directorate of Millets Development, Jaipur.
8. Directorate of Tobacco, Chennai.
9. Directorate of Wheat Development, Ghaziabad.
10. National Biofertiliser Development Centre, Ghaziabad.
11. Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar.
12. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.).

Ministry of Chemical & Fertilizers

13. Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.
14. Department of Fertilizers, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

15. Ministry of Civil Aviation, New Delhi.
16. Commission of Railway Safety, Lucknow.
17. Office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi.

Ministry of Coal and Mines

18. Indian Bureau of Mines, Nagpur.

Ministry of Commerce and Industry

19. Department of Commerce, New Delhi.
20. Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.
21. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.
22. Directorate General of Foreign Trade, New Delhi.
23. Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata.
24. Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai.

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

25. सूचना टेक्नोलॉजी विभाग, नई दिल्ली
26. मुख्य महाडाकपाल, रांची
27. कार्यालय मुख्य महा डाकपाल (उत्तर प्रदेश परिमंडल), लखनऊ
28. कार्यालय मुख्य महा डाकपाल (हरियाणा परिमंडल), अम्बाला
29. कार्यालय मुख्य महा डाकपाल (उड़ीसा परिमंडल), भुवनेश्वर
30. कार्यालय मुख्य महा डाकपाल (उत्तरांचल परिमंडल), देहरादून
31. कार्यालय महा डाकपाल (विजयवाड़ा मंडल), विजयवाड़ा
32. वरिष्ठ डाकपाल, वाराणसी

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

33. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
34. अतिरिक्त महा निदेशालय प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय, एमजीओ शाखा, नई दिल्ली
35. अतिरिक्त महा निदेशालय प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय, क्यूएमजी शाखा, नई दिल्ली
36. अतिरिक्त महा निदेशालय प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय, एमएस शाखा, नई दिल्ली
37. अतिरिक्त महा निदेशालय प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय, ई-इन-सी शाखा, नई दिल्ली
38. अतिरिक्त महा निदेशालय प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय, एजी शाखा, नई दिल्ली
39. सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, नई दिल्ली
40. रक्षा मंत्रालय का समन्वित मुख्यालय (नौ सेना), नई दिल्ली
41. रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली
42. क्षेत्री सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)
43. सेना खेल नियंत्रण बोर्ड, सशस्त्र सेना मुख्यालय, नई दिल्ली
44. टर्मिनल बैलेस्टिक लैबोरेटरी, चंडीगढ़

पर्यावरण और वन मंत्रालय

45. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली
46. उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय), चंडीगढ़
47. पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण और वन मंत्रालय), भोपाल

वित्त मंत्रालय

48. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली
49. व्यय विभाग, नई दिल्ली
50. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर
51. केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, नई दिल्ली
52. मुख्य आयकर आयुक्त, मेरठ गाजियाबाद
53. आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
54. आयकर निपटान आयुक्त, नई दिल्ली
55. भारत सरकार टकसाल, कोलकाता
56. कार्यालय अतिरिक्त आयकर आयुक्त (सीआईबी)-2, मुंबई
57. कार्यालय सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, गुलबर्गा
58. कार्यालय सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, हुबली

Ministry of Communication and Information Technology

25. Department of Information Technology, New Delhi.
26. Chief Postmaster General, Ranchi.
27. Office of the Chief Postmaster General (U.P. Circle), Lucknow.
28. Office of the Chief Postmaster general (Haryana Circle), Ambala.
29. Office of the Chief Postmaster General (Orissa Circle) Bhubaneswar.
30. Office of the Chief Postmaster General (Uttaranchal Circle), Dehradun.
31. Office of the Postmaster General (Vijayawada Region), Vijayawada.
32. Senior Postmaster, Varanasi.

Ministry of Defence

33. Ministry of Defence, New Delhi.
34. Additional Directorate General of Admn & Coord, Army Headquarters, MGO Branch, New Delhi.
35. Additional Directorate General (Administration and Coord), Army Headquarters, QMG Branch, New Delhi.
36. Additional Directorate General of Admn & Coord, Army Headquarters, MS Branch, New Delhi.
37. Additional Directorate General of Admn & Coord, Army Headquarters, E-in-C Branch, New Delhi.
38. Additional Directorate General of Admn & Coord, Army Headquarters, AG Branch, New Delhi.
39. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.
40. Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), New Delhi.
41. Office of the Controller General of Defence Account, New Delhi.
42. Regional Centre for Military Airworthiness, District Sultanpur (U.P.)
43. Services Sports Control Board, Armed Forces Headquarters, New Delhi.
44. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

Ministry of Environment & Forests

45. Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
46. Northern Regional Office (Ministry of Environment & Forests), Chandigarh.
47. Western Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal.

Ministry of Finance

48. Department of Economic Affairs, New Delhi.
49. Department of Expenditure, New Delhi.
50. Central Excise Commissionerate, Kanpur.
51. Central Pension Accounting Office, New Delhi.
52. Chief Commissioner of Income Tax, Meerut Ghaziabad.
53. Commissioner of Income-Tax (Appeals), New Delhi.
54. Income Tax Settlement Commission, New Delhi.
55. India Government Mint, Kolkata.
56. Office of the Addl. Commissioner of Income Tax (CIB)-II, Mumbai.
57. Office of the Assistant Commissioner of Central Excise & Customs, Gulbarga.
58. Office of the Assistant Commissioner of Central Excise and Customs, Hubli.

59. कार्यालय सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बेलगांव
60. कार्यालय सहायक आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बेल्लारी
61. कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून
62. कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, कानपुर
63. कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर
64. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, नागपुर
65. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद
66. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगांव
67. कार्यालय सीमाशुल्क आयुक्त, बेलगांव
68. कार्यालय सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई
69. कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील), अहमदाबाद
70. कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील), मुंबई
71. कार्यालय आयकर आयुक्त (मध्य), लुधियाना
72. कार्यालय आयकर आयुक्त, मुंबई
73. कार्यालय आय कर महानिदेशक, अहमदाबाद
74. कार्यालय आय कर निदेशक (अन्वेषण), भुवनेश्वर
75. कार्यालय शासकीय परिसमापक उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और नैनीताल, इलाहाबाद
76. कार्यालय नमक आयुक्त, जयपुर
77. कार्यालय तस्कर और विदेशी मुद्रा हेराफेरी (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 और कार्यालय स्वापक औषधि और मनस्प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, कोलकाता

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

78. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
79. केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोन), गाजियाबाद
80. राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर

गृह मंत्रालय

81. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली
82. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली
83. आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

84. महिला और बाल विकास विभाग, नई दिल्ली
85. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

86. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे

श्रम मंत्रालय

87. श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली
88. उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून

59. Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Belgaum.
60. Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Bellary.
61. Office of the Assistant Commissioner of Central Excise, Hubli.
62. Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Dehradun.
63. Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Kanpur.
64. Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur.
65. Office of the Commissioner of Central Excise & Customs, Nagpur.
66. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad.
67. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.
68. Office of the Commissioner of Customs, Chennai.
69. Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Ahmedabad.
70. Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), Mumbai.
71. Office of the Commissioner of Income Tax (Central), Ludhiana.
72. Office of the Commissioner of Income Tax, Mumbai.
73. Office of the Director General of Income Tax, Ahmedabad.
74. Office of the Director of Income Tax (Investigation), Bhubaneswar.
75. Office of the Official Liquidator Uttar Pradesh and Uttaranchal High Courts, Allahabad and Nainital, Allahabad.
76. Office of the Salt Commissioner, Jaipur.
77. Office of the Smugglers & Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Kolkata.

Ministry of Health and Family Welfare

78. Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi.
79. Central Drug Standard Control Organisation (North Zone), Ghaziabad.
80. National Tuberculosis Institute, Bangalore.

Ministry of Home Affairs

81. Directorate General, CRPF, New Delhi.
82. Lok Nayak Jaiparkash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi.
83. Zonal Councils Secretariat, New Delhi.

Ministry of Human Resource Development

84. Department of Women and Child Development, Delhi.
85. Central Reference Library, Kolkata.

Ministry of Information and Broadcasting

86. National Film Archive of India, Pune.

Ministry of Labour

87. Ministry of Labour, New Delhi.
88. Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun.

89. फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर
90. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), अजमेर
91. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चंडीगढ़
92. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), कोच्चि
93. कार्यालय कल्याण आयुक्त (श्रम कल्याण संगठन), इलाहाबाद
94. क्षेत्रीय निदेशालय, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, हैदराबाद
95. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरइमिले (तुरा, मेघालय)
96. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर
97. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार
98. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई
99. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली

100. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

101. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली
102. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी
103. कर्मचारी चयन आयोग (मध्य क्षेत्र), इलाहाबाद
104. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली

ऊर्जा मंत्रालय

105. ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय

106. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली
107. मध्य रेलवे, महाप्रबंधक कार्यालय, मुंबई
108. अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन, लखनऊ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

109. भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, कोलकाता
110. राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता

पोत परिवहन मंत्रालय

111. पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली
112. महानिदेशालय, दीपस्तंभ और दीपपोत, नोएडा

लघु उद्योग मंत्रालय

113. कार्यालय विकास आयुक्त, नई दिल्ली

89. Foremen Training Institute, Jamshedpur.
90. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer.
91. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh.
92. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kochi.
93. Office of the Welfare Commissioner (Labour Welfare Organization), Allahabad.
94. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad.
95. Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile (Tura), Meghalaya.
96. Regional Vocational Training Institute for Women, Bangalore.
97. Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar.
98. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai.
99. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Delhi.

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

100. Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi.

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

101. Department of Personnel & Training, New Delhi.
102. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie.
103. Staff Selection Commission (Central Region), Allahabad.
104. Staff Selection Commission, New Delhi.

Ministry of Power

105. Ministry of Power, New Delhi.

Ministry of Railway

106. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.
107. Central Railway, General Manager's Office, Mumbai.
108. Research Designs & Standards Organization, Lucknow.

Ministry of Science and Technology

109. Botanical Survey of India, Kolkata.
110. National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata.

Ministry of Shipping

111. Ministry of Shipping, New Delhi.
112. Directorate General of Lighthouses and Lightships, Noida.

Ministry of Small Scale Industries

113. Office of the Development Commissioner, New Delhi.

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

114. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली
115. केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, (आई.एस. स्कंध) कोलकाता
116. कम्प्यूटर केन्द्र, नई दिल्ली
117. डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग, नई दिल्ली
118. एफ.ओ.डी. अधीनस्थ कार्यालय, नई दिल्ली
119. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता

कपड़ा मंत्रालय

120. पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

121. प्रकाशन विभाग, दिल्ली

जल संसाधन मंत्रालय

122. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली

अंतरिक्ष विभाग

123. अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर

ख. अन्य संगठन

124. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
125. भारत के उपराष्ट्रपति का सचिवालय, नई दिल्ली
126. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
127. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली

नियोजन मंत्रालय

128. योजना आयोग, नई दिल्ली
129. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी
130. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद
131. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, बंगलौर
132. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल
133. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भुवनेश्वर
134. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पटना
135. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, शिमला
136. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुअनंतपुरम
137. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद
138. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़
139. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई
140. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद

Ministry of Statistics and Programme Implementation

114. Ministry of Statistics & Programme Implementation, New Delhi.
115. Central Statistical Organisation, (I.S. Wing), Kolkata.
116. Computer Centre, New Delhi.
117. Data Processing Division, Delhi.
118. F.O.D. Subordinate Office, New Delhi.
119. National Sample Survey Organisation, Kolkata.

Ministry of Textiles

120. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation

121. Department of Publication, Delhi.

Ministry of Water Resources

122. Ministry of Water Resources, New Delhi.

Department of Space

123. Department of Space, Bangalore.

B. Other Organisations

124. President's Secretariat, New Delhi.
125. Secretariat of the Vice-President of India, New Delhi.
126. Prime Minister's Office, New Delhi.
127. Cabinet Secretariat, New Delhi.

Ministry of Planning

128. Planning Commission, New Delhi.
129. Project Evaluation Office, Guwahati.
130. Project Evaluation Office, Ahmedabad.
131. Project Evaluation Office, Bangalore.
132. Project Evaluation Office, Bhopal.
133. Project Evaluation Office, Bhubaneswar.
134. Project Evaluation Office, Patna.
135. Project Evaluation Office, Shimla.
136. Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram.
137. Regional Evaluation Office, Ahmedabad.
138. Regional Evaluation Office, Chandigarh.
139. Regional Evaluation Office, Chennai.
140. Regional Evaluation Office, Hyderabad.

141. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
142. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता
143. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ
144. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय

कृषि मंत्रालय

145. स्टेट फार्म कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

146. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता
147. सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई
148. हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली
149. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, अम्बलमुगल (एर्णाकुलम)
150. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (रायगढ़)
151. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा
152. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, रोपड़
153. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरिटी, नई दिल्ली
154. फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि

कोयला मंत्रालय

155. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद
156. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर
157. न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, न्येवेली

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

158. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम
159. मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
160. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
161. स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

162. सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई

रक्षा मंत्रालय

163. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद
164. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर
165. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
166. मजगांव डाक लिमिटेड, मुंबई

141. Regional Evaluation Office, Jaipur.
142. Regional Evaluation Office, Kolkata.
143. Regional Evaluation Office, Lucknow.
144. Regional Evaluation Office, Mumbai.

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Agriculture

145. State Farms Corporation of India Limited, New Delhi.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

146. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited Kolkata.
147. Central Institute of Plastics Engineering and Technology Chennai.
148. Hindustan Insecticides Limited, New Delhi.
149. Hindustan Organic Chemicals Limited, Ambalamugal (Ernakulam).
150. Hindustan Organic Chemicals Limited, Rasayani (Raigad).
151. National Fertilizers Limited, Noida .
152. National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Ropar
153. National Pharmaceutical Pricing Authority, New Delhi.
154. The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Kochi.

Ministry of Coal

155. Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad.
156. Mahanandi Coalfields Limited, Sambalpur.
157. Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli.

Ministry of Commerce and Industry

158. Hindustan Newsprint Limited, Kottayam.
159. Minerals and Metals Trading Corporation Limited, New Delhi.
160. Project Equipment Corporation Limited, New Delhi.
161. Spices Trading Corporation Limited, Bangalore.

Ministry of Communication and Information Technology

162. Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai.

Ministry of Defence

163. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.
164. Bharat Earth Movers Limited, Bangalore.
165. Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, Kolkata.
166. Mazagon Dock Limited, Mumbai.

वित्त मंत्रालय

167. न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

168. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

169. एंड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता
170. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
171. एच.एम.टी. चिनार वाचेज लिमिटेड, श्रीनगर
172. प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

173. इंस्टीट्यूट आफ ओशन मैनेजमेंट (अन्ना विश्वविद्यालय), चेन्नई
174. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

175. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुंबई

खान और खनिज मंत्रालय

176. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नागपुर
177. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

178. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर
179. चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई
180. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

181. इंडियन रेलवे कंटेनिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
182. इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
183. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली
184. मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

185. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
186. इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद
187. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी, पुणे

Ministry of Finance

167. The New India Assurance Company Limited, Mumbai.

169. Mumbai Port Trust, Mumbai.

Ministry of Health and Family Welfare

168. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.

192. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

169. Andrew Yule and Company Limited, Kolkata.

170. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.

171. H.M.T. Chinara Watches Limited, Srinagar.

172. Praga Tools Limited, Secunderabad.

Ministry of Human Resource Development

173. Institute of Ocean Management (Anna University) Chennai.

174. Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal.

Ministry of Information and Broadcasting

175. National Film Development Corporation Limited, Mumbai.

Ministry of Mines and Minerals

176. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

177. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

178. Bharat Petroleum Corporation Limited, Mumbai.

179. Chennai Petroleum Corporation Limited, Chennai.

180. Engineers India Limited, New Delhi.

Ministry of Railways (Railway Board)

181. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi.

182. Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi.

183. IRCON International Limited, New Delhi.

184. Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai.

Ministry of Science and Technology

185. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.

186. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.

187. Indian Institute of Tropical Metrology, Pune.

पोत परिवहन मंत्रालय

188. मरुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा
189. मुंबई बंदरगाह न्यास, मुंबई
190. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई
191. तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन
192. विशाखापत्तनम बंदरगाह न्यास, विशाखापत्तनम

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

193. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता

इस्पात मंत्रालय

194. मैटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कल्सल्टेशन (इंडिया) (मीकॉन) लिमिटेड, रांची
195. भारतीय इस्पात प्राधिकरण, नई दिल्ली

कपड़ा मंत्रालय

196. नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली

जनजातीय कार्य मंत्रालय

197. ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन (ट्राइफेड), नई दिल्ली

जल संसाधन मंत्रालय

198. ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी
199. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना
200. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर

Ministry of Shipping

188. Mormugao Port Trust, Goa.
189. Mumbai Port Trust, Mumbai.
190. Shipping Corporation of India, Mumbai.
191. Tuticorin Port Trust, Tuticorin.
192. Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.

Ministry of Statistics and Programme Implementation

193. Indian Statistical Institute, Kolkata.

Ministry of Steel

194. Metallurgical and Engineering Consultation (India) (MECON) Limited, Ranchi.
195. Steel Authority of India Limited, New Delhi.

Ministry of Textile

196. National Textile Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Tribal Affairs

197. Tribal Co-operation Marketing Development Federation (TRIFED), New Delhi.

Ministry of Water Resources

198. Brahmaputra Board, Guwahati.
199. Ganga Flood Control Commission, Patna.
200. Narmada Control Authority, Indore.

अनुलग्नक - II

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्रम सं.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक
कृषि मंत्रालय		
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोद, जिला सूरत	1
2.	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान बंगलौर	1
3.	विस्तार निदेशालय, दिल्ली	1
4.	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, गुवाहाटी	1
5.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर	1
6.	समन्वित मात्स्यिकी परियोजना, कोच्चि	2
7.	राष्ट्रीय जैव-उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद	1
8.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर (गुजरात)	1
9.	दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान अनंतपुर (आं.प्र.)	1
10.	तम्बाकू विकास निदेशालय, चेन्नई	1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
11.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली	1
नागर विमानन मंत्रालय		
12.	नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली	1
13.	कार्यालय नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
14.	प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली	2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
15.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली	2
16.	औद्योगिक नीत और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2
17.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
18.	कार्यालय मुख्य महा डाकपाल, हरियाणा परिमंडल, अंबाला	1
19.	कार्यालय मुख्य महा डाकपाल, उड़ीसा परिमंडल, भुवनेश्वर	1

ANNEXURE – II

**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY
RETURNS ON THE PROGRESS MADE BY THEM IN
RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF
SEMI-CURRENT RECORDS**

A. Ministries/ Departments/ Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half-yearly returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, District Surat.	1
2.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	1
3.	Directorate of Extension, New Delhi.	1
4.	Directorate of Marketing & Inspection, Guwahati.	1
5.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	2
6.	Integrated Fisheries Project, Cochin.	1
7.	National Biofertiliser Development Centre, Ghaziabad.	1
8.	Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar (Gujarat).	1
9.	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (Andhra Pradesh).	1
10.	Tambaku Vikas Nideshalaya, Chennai.	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
11.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi	1
Ministry of Civil Aviation		
12.	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	1
13.	Office of the Directorate General Civil Aviation, New Delhi.	2
14.	Principal Accounts Office, New Delhi.	2
Ministry of Commerce & Industry		
15.	Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.	2
16.	Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.	2
17.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi	2
Ministry of Communication and Information Technology		
18.	Office of the Chief Postmaster General, (Haryana Circle), Ambala.	1
19.	Office of the Chief Postmaster General, (Orissa Circle), Bhubaneswar.	1

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

20. खाद्य और सार्वजनिक वितरण निदेशालय, नई दिल्ली 1
- संस्कृति मंत्रालय
21. केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता 1

रक्षा मंत्रालय

22. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली 2
23. अतिरिक्त महा निदेशालय प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय (क्यूएमजी शाखा), नई दिल्ली 1
24. रक्षा मंत्रालय समन्वित मुख्यालय (नौ सेना), नई दिल्ली 1
25. नेशनल डिफेंस कालेज, नई दिल्ली 2
26. क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.) 2
27. सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (सशस्त्र सेना मुख्यालय), नई दिल्ली 1
28. टर्मिनल बैलास्टिक लैबोरेटरी, चंडीगढ़ 2

पर्यावरण और वन मंत्रालय

29. पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली 2
30. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून 2
31. उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ 2

वित्त मंत्रालय

32. आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली 2
33. व्यय विभाग, नई दिल्ली 1
34. सहायक आयकर आयुक्त, नागपुर 1
35. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर 1
36. केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, नई दिल्ली 1
37. आयकर आयुक्त-13, मुंबई 1
38. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), अहमदाबाद 1
39. आयकर निपटान आयोग, नई दिल्ली 1
40. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, औरंगाबाद 2
41. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, नागपुर 2
42. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, बेलगांव 1
43. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई-3, ठाणे 1
44. कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, पणजी (गोवा) 2
45. कार्यालय आयकर आयुक्त, कानपुर 1
46. कार्यालय आयकर निदेशक (अन्वेषण), भुवनेश्वर 1
47. कार्यालय नमक आयुक्त, जयपुर 2

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

48. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली 1
49. बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई 2
50. केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (उत्तरी जोर), गाजियाबाद 1
51. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता 1

- Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution**
20. Department of Food and Public Distribution, New Delhi 1

Ministry of Culture

21. Central Reference Library, Kolkata. 1

Ministry of Defence

22. Ministry of Defence, New Delhi 2
23. Additional Directorate General of Administration. and Coord, Army Headquarter, (QMG Branch), New Delhi 1
24. Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), New Delhi. 1
25. National Defence College, New Delhi. 2
26. Regional Centre for Military Airworthiness, District -Sultanpur (U.P.) 2
27. Services Sports Control Board (Armed Forces Headquarters), New Delhi. 1
28. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh. 2

Ministry of Environment and Forests

29. Ministry of Environment and Forest, New Delhi. 2
30. Forest Survey of India, Dehradun. 2
31. Northern Regional Office, Chandigarh. 2

Ministry of Finance

32. Department of Economic Affairs, New Delhi. 2
33. Department of Expenditure, New Delhi 1
34. Assistant Commissioner of Income Tax, Nagpur 1
35. Central Excise Commissionerate, Kanpur. 1
36. Central Pension Accounting Office, New Delhi. 1
37. Commissioner of Income Tax-13, Mumbai 1
38. Director General of Income Tax (Investigation), Ahmedabad. 1
39. Income Tax Settlement Commission, New Delhi. 1
40. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad. 2
41. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. 2
42. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum. 1
43. Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-III, Thane. 1
44. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji (Goa). 2
45. Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur 1
46. Office of the Director of Income Tax (Investigation), Bhubaneswar. 1
47. Office of the Salt Commissioner, Jaipur 2

Ministry of Health and Family Welfare

48. Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi. 1
49. BCG Vaccine Laboratory, Chennai. 2
50. Central Drug Standards Control Organisations (North Zone), Ghaziabad. 1
51. Central Food Laboratory, Kolkata. 1

52.	कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, मुंबई	1
53.	कार्यालय संयुक्त निदेशक, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर (म.प्र.)	2
54.	बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैम्प, रामनाथपुरम (तमिलनाडु)	2

गृह मंत्रालय

55.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1
56.	महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, (वेतन और लेखा कार्यालय), नई दिल्ली	2
57.	लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली	1
58.	कार्यालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालक, नई दिल्ली	2
59.	आंचलिक सचिवालय, नई दिल्ली	1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

60.	फिल्म समारोह निदेशालय, नई दिल्ली	1
61.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	2
62.	फोटो प्रभाग, नई दिल्ली	1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

63.	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	1
64.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून	1
65.	अनु.जा./अनु.जनजाति के लिए कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार	1
66.	अनु.जा./अनु.जनजाति के लिए कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, जयपुर	1
67.	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	1
68.	कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चेन्नई	1
69.	कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), काकीनाडा, कोच्चि	2
70.	कार्यालय श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य), झांसी	1
71.	कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), अजमेर	1
72.	कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चंडीगढ़	1
73.	कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), चंडीगढ़	1
74.	कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), कोलकाता	1
75.	कार्यालय कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद	1
76.	क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	1
77.	क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, हिसार	2
78.	क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरईमिले (तुरा) मेघालय	1
79.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई	1
80.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर	1
81.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना	2
82.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुंबई	1
83.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली	1

खान मंत्रालय

84.	भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर	1
-----	---------------------------	---

52. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai. 1
53. Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur (MP). 2
54. Port Health Organisation, Mandapam Camp, Ramanathapuram (Tamil Nadu). 2

Ministry of Railways

Ministry of Home Affairs

55. Ministry of Home Affairs, New Delhi. 1
56. Directorate General Border Security Force, (Pay and Accounts Division), New Delhi. 2
57. Lok Nayak Jaiparkash Narayan (LNJN), National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi. 1
58. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. 2
59. Zonal Secretariat, New Delhi. 1

Ministry of Information and Broadcasting

60. Directorate of Film Festivals, New Delhi. 1
61. National Film Archive of India, Pune. 2
62. Photo Division, New Delhi. 1

Ministry of Labour and Employment

63. Ministry of Labour, New Delhi. 1
64. Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun. 1
65. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 1
66. Coaching-cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur. 1
67. Foremen Training Institute, Jamshedpur. 1
68. Office of Regional Labour Commissioner (Central), Chennai. 1
69. Office of Regional Labour Commissioner (Central), Kakkinnad, Cochin. 2
70. Office of the Labour Enforcement Officer (Central), Jhansi. 1
71. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer. 1
72. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh. 1
73. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh. 1
74. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kolkata. 1
75. Office of the Welfare Commissioner, Allahabad. 1
76. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad. 1
77. Regional Vocational Training Institute for Women, Hissar. 2
78. Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile (Tura), Meghalaya. 1
79. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai. 1
80. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur. 1
81. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana. 2
82. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai. 1
83. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, New Delhi. 1

Ministry of Mines

84. Indian Bureau of Mines, Nagpur.

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

85. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली 1

रेलवे मंत्रालय

86. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली 2

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

87. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली 2

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

88. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली 1

पोत परिवहन मंत्रालय

89. पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली 1
90. अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर 2

लघु उद्योग मंत्रालय

91. कार्यालय विकास आयुक्त, नई दिल्ली 1

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

92. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली 2
93. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता 1

कपड़ा मंत्रालय

94. कार्यालय पटसन आयुक्त, कोलकाता 1

जल संसाधन मंत्रालय

95. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली 1

प्रकाशन विभाग

96. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली 1

अंतरिक्ष विभाग

97. अंतरिक्ष विभाग, बंगलौर 1

ख. अन्य संगठन

राष्ट्रपति सचिवालय

98. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली 1

योजना आयोग

99. योजना आयोग, नई दिल्ली 2

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

85. Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi

1

Ministry of Railways

86. Railway Board, New Delhi.

2

Ministry of Road Transport and Highways

87. Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi.

2

Ministry of Science and Technology

88. Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi.

1

Ministry of Shipping

89. Ministry of Shipping, New Delhi.

1

90. Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

2

Ministry of Small Scale Industries

91. Office of the Development Commissioner, New Delhi.

1

Ministry of Statistics and Programme Implementation

92. Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi.

2

93. National Sample Survey Organisation, Kolkata.

1

Ministry of Textiles

94. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

2

Ministry of Water Resources

95. Ministry of Water Resources.

1

Department of Publication

96. Department of Publication, New Delhi.

1

Department of Space

97. Department of Space, Bangalore.

1

B. Other Organisation(s)**President Secretariat, New Delhi.**

98. President Secretariat, New Delhi.

1

Planning Commission, New Delhi.

99. Planning Commission, New Delhi.

2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

100. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

2

कोयला मंत्रालय

101. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबादा
102. न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, न्येवेली

1

1

नागर विमानन मंत्रालय

103. होटल कार्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, मुंबई
104. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, राय बरेली

2

2

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

105. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्युज प्रिन्ट नगर
106. कर्नाटक ऐनीबोटिक एन्ड फार्माक्युलस लिमिटेड, बंगलौर
107. मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
108. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली
109. स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर

1

1

1

1

1

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

110. सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई

2

रक्षा मंत्रालय

111. मजगांव डाक लिमिटेड, मुंबई

1

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

112. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम

1

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

113. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली
114. एच.एम.टी. चिनार वाचेज़ लिमिटेड, श्रीनगर
115. प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

2

1

1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

116. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल

1

खान और खनिज मंत्रालय

117. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नागपुर

2

ऊर्जा मंत्रालय

118. सैट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर

2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

100. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata

2

Ministry of Coal

101. Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad.

1

102. Neyelilignite Corporation Limited, Neyveli.

1

Ministry of Civil Aviation

103. Hotel Corporation of India Limited, Mumbai

2

104. Indira Gandhi Rashtriya Uran Ackdami, Firsatgamk Airfield, Rae Bareli.

2

Ministry of Commerce and Industry

105. Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar.

1

106. Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore.

1

107. Mineral and Metals Trading Corporation Limited, New Delhi.

1

108. Project Equipment Corporation Limited, New Delhi.

1

109. Spices Trading Corporation Limited, Bangalore.

1

Ministry of Communication and Information Technology

110. Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai.

2

Ministry of Defence

111. Mazagon Dock Limited, Mumbai.

1

Ministry of Health and Family Welfare

112. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.

1

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

113. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.

2

114. H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar.

1

115. Praga Tools Limited, Secunderabad.

1

Ministry of Human Resources Developments

116. Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal.

1

Ministry of Mines and Minerals

117. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

2

Ministry of Power

118. Central Power Research Institute, Bangalore.

2

रेल मंत्रालय

119.	इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	1
120.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	1
121.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली	1
122.	मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई	1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

123.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	1
124.	इंडियन आकादमी आफ साइंसेस, बंगलौर	2
125.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी, पुणे	2
126.	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद	1
127.	जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर	2

पोत परिवहन मंत्रालय

128.	मर्मुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा	1
129.	मुंबई बंदरगाह न्यास, मुंबई	1
130.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई	1
131.	तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन	1

जल संसाधन मंत्रालय

132.	ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन (ट्राइफेड), नई दिल्ली	2
133.	भाँखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़	1
134.	भाँखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवाड़	1

Ministry of Railways

119. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi.	1
120. Indian Railways Finance Corporation Limited, New Delhi.	1
121. IRCON International Limited, New Delhi.	1
122. Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai.	1

Ministry of Science and Technology

123. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.	1
124. Indian Academy of Sciences, Bangalore.	2
125. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.	2
126. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.	1
127. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	2

Ministry of Shipping

128. Mormugao Port Trust, Goa.	1
129. Mumbai Port Trust, Mumbai.	1
130. Shipping Corporation of India Limited, Mumbai	1
131. Tuticorin Port Trust, Tuticorin.	1

Ministry of Tribal Affairs

132. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.	2
--	---

Ministry of Water Resources

133. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.	1
134. Bhakra Beas Management Board, Talwara.	1

Ministry of Civil Aviation

10. Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	01
11. Office of the Director General Civil Aviation, New Delhi.	11

Ministry of Commerce & Industry

12. Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.	01
13. Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.	01
14. Directorate General of Commercial Intelligence, New Delhi.	01
15. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	01
16. Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi.	01
17. Office of the Custodian of Enemy Property for India, New Delhi.	01

Ministry of Communication and Information Technology

18. Office of the Chief Postmaster General, (Haryana Circle), Gurgaon.	01
--	----

अनुलग्नक-III

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां भेजने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्रम सं.	संगठन का नाम विवरणों की सं.	प्राप्त अर्धवार्षिक
कृषि मंत्रालय		
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोद, जिला सूरत	2
2.	विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	1
3.	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, गुवाहाटी	1
4.	बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर	2
5.	क्षेत्रीय चारा उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर (गुजरात)	1
6.	दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.)	1
7.	तम्बाकू विकास निदेशालय, चेन्नई	1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
8.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली	2
9.	राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केन्द्र, गाजियाबाद	1
नागर विमानन मंत्रालय		
10.	नागर विमानन मंत्रालय, नई दिल्ली	2
11.	कार्यालय नागर विमान महानिदेशक, नई दिल्ली	2
वाणिज्य और उद्योग		
12.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली	2
13.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, नई दिल्ली	2
14.	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता	2
15.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
16.	मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, नई दिल्ली	1
17.	भारत में शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक का कार्यालय, मुंबई	1
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
18.	कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, हरियाणा परिमंडल, अम्बाला	1

ANNEXURE – III

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON DE-CLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

A. Ministries/ Departments/ Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half-yearly returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, District Surat.	2
2.	Directorate of Extension, New Delhi.	1
3.	Directorate of Marketing and Inspection, Guwahati.	1
4.	Directorate of Millets Development, Jaipur.	2
5.	Regional Station for Forage Production and Demonstration, Gandhinagar (Gujarat).	1
6.	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (A.P.).	1
7.	Tambaku Vikas Nideshalaya, Chennai.	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
8.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi	2
9.	National Bio-Fertilizer Development Center, Ghaziabad.	1
Ministry of Civil Aviation		
10.	Ministry of Civil Aviation, New Delhi.	2
11.	Office of the Directorate General Civil Aviation, New Delhi.	2
Ministry of Commerce & Industry		
12.	Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.	2
13.	Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi.	2
14.	Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics, Kolkata.	2
15.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi	2
16.	Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi	1
17.	Office of the Custodian of Enemy Property for India, Mumbai.	1
Ministry of Communication and Information Technology		
18.	Office of the Chief Postmaster General, (Haryana Circle), Ambala.	1

- | | | |
|-----|---|---|
| 19. | कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, कर्नाटक परिमंडल, बंगलौर | 1 |
| 20. | कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, उत्तरांचल परिमंडल, देहरादून | 1 |

संस्कृति मंत्रालय

- | | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 21. | केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता | 1 |
|-----|-------------------------------------|---|

रक्षा मंत्रालय

- | | | |
|-----|--|---|
| 22. | रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली | 2 |
| 23. | अतिरिक्त महानिदेशालय, प्रशासन और समन्वय, सेना मुख्यालय, क्यूएमजी शाखा
नई दिल्ली | 1 |
| 24. | सेना फोटो विभाग, नई दिल्ली | 1 |
| 25. | समन्वित मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौ सेना), नई दिल्ली | 1 |
| 26. | क्षेत्रीय सैन्य उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.) | 2 |
| 27. | सेना खेल नियंत्रण बोर्ड (सशस्त्र सेना मुख्यालय), नई दिल्ली | 2 |
| 28. | वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन प्रतिष्ठान (एस), नई दिल्ली | 2 |

पर्यावरण और वन मंत्रालय

- | | | |
|-----|------------------------------------|---|
| 29. | पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली | 2 |
| 30. | भारतीय वन सर्वेक्षण, भोपाल | 1 |
| 31. | भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून | 2 |
| 32. | उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ | 2 |

वित्त मंत्रालय

- | | | |
|-----|---|---|
| 33. | आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली | 2 |
| 34. | व्यय विभाग, नई दिल्ली | 1 |
| 35. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कानपुर | 1 |
| 36. | केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, नई दिल्ली | 1 |
| 37. | आयकर आयुक्त - 13, मुंबई | 1 |
| 38. | इंडिया सिक्वोरिटी प्रेस, नाशिक रोड | 2 |
| 39. | सहायक आयुक्त आयकर कार्यालय, नागपुर | 2 |
| 40. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद | 1 |
| 41. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर | 2 |
| 42. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव | 2 |
| 43. | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-3, ठाणे | 1 |
| 44. | सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा) | 2 |
| 45. | आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर | 1 |

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

- | | | |
|-----|--|---|
| 46. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली | 1 |
|-----|--|---|

19. Office of the Chief Postmaster General, (Karnataka Circle), Bangalore. 1
20. Office of the Chief Postmaster General, (Uttaranchal Circle), Dehradun. 1

Ministry of Culture

21. Central Reference Library, Kolkata 1

Ministry of Defence

22. Ministry of Defence, New Delhi 2
23. Additional Directorate General of Administration & Coord, Army Headquarters, (QMG Branch), New Delhi. 1
24. Army Photo Department, New Delhi. 1
25. Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Navy), New Delhi. 1
26. Regional Centre for Military Airworthiness, District –Sultanpur (U.P.) 2
27. Services Sports Control Board (Armed Forces Headquarters), New Delhi. 2
28. Sr. Quality Assurance Establishment (S), New Delhi. 2

Ministry of Environment and Forests

29. Ministry of Environment and Forest, New Delhi. 2
30. Forest Survey of India, Bhopal. 1
31. Forest Survey of India, Dehradun. 2
32. Northern Regional Office, Chandigarh. 2

Ministry of Finance

33. Department of Economic Affairs, New Delhi. 2
34. Department of Expenditure, New Delhi 1
35. Central Excise Commissionerate, Kanpur. 1
36. Central Pension Accounting Office, New Delhi. 1
37. Commissioner of Income Tax-13, Mumbai 1
38. India Security Press, Nashik Road. 2
39. Office of the Assistant Commissioner Income Tax, Nagpur. 2
40. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Aurangabad. 1
41. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. 2
42. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum. 2
43. Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-III, Thane. 1
44. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa. 2
45. Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur 1

Ministry of Health and Family Welfare

46. Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi. 1

47.	बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई	2
48.	केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर (म.प्र.)	2
49.	पोर्ट हेल्थ आर्गेनाइजेशन, मंडपम कैम्प, रामनाथपुरम, तमिलनाडु	2
50.	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली	2

गृह मंत्रालय

51.	महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल (वेतन और लेखा प्रभाग), नई दिल्ली	2
52.	लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान	1
53.	महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली	2
54.	आंचलिक सचिवालय, नई दिल्ली	1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

55.	भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे	2
56.	भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे	2

श्रम और रोजगार मंत्रालय

57.	श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	1
58.	उच्च प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स और प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून	1
59.	अनु.जा./अनु.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार	1
60.	अनु.जा./अनु.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, जयपुर	1
61.	रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, अरइमिले (तुरा) मेघालय	1
62.	फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर	1
63.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), कोच्चि	2
64.	श्रम कल्याण संगठन कार्यालय, इलाहाबाद	1
65.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), अजमेर	1
66.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), चंडीगढ़	2
67.	क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद	1
68.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, चेन्नई	1
69.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली	1
70.	महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर	1

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

71.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, नई दिल्ली	1
-----	--	---

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

72.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी	1
-----	---	---

- | | |
|--|---|
| 47. BCG Vaccine Laboratory, Chennai. | 2 |
| 48. Central Government Health Scheme, Jabalpur (M.P.) | 2 |
| 49. Port Health Organisation, Mandapam Camp, Ramanathapuram, Tamil Nadu. | 2 |
| 50. Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi. | 1 |

Ministry of Home Affairs

- | | |
|--|---|
| 51. Directorate General Border Security Force, (Pay and Accounts Division), New Delhi. | 2 |
| 52. Lok Nayak Jai Prakash Narayan (L.N.J.N.), National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi. | 1 |
| 53. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. | 2 |
| 54. Zonal Secretariat, New Delhi. | 1 |

Ministry of Information and Broadcasting

- | | |
|---|---|
| 55. Film and Television Institute of India, Pune. | 2 |
| 56. National Film Archive of India, Pune. | 2 |

Ministry of Labour and Employment

- | | |
|---|---|
| 57. Ministry of Labour, New Delhi | 1 |
| 58. Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun. | 1 |
| 59. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. | 1 |
| 60. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Jaipur | 1 |
| 61. Directorate General of Employment and Training, Regional Vocational Training Institute for Women, Araimile (Tura), Meghalaya. | 1 |
| 62. Foremen Training Institute, Jamshedpur. | 1 |
| 63. Office of Regional Labour Commissioner (Central), Cochin. | 2 |
| 64. Office of the Labour Welfare Organisation, Allahabad. | 1 |
| 65. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer. | 1 |
| 66. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh | 2 |
| 67. Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad. | 1 |
| 68. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Chennai. | 1 |
| 69. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, New Delhi. | 1 |
| 70. Vocational Training Institute for Women, Bangalore. | 1 |

Ministry of Non-Conventional Energy Sources

- | | |
|--|---|
| 71. Ministry of Non-Conventional Energy Sources, New Delhi | 1 |
|--|---|

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions

- | | |
|--|---|
| 72. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. | 1 |
|--|---|

रेल मंत्रालय

73. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

2

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

74. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली

1

पोत परिवहन मंत्रालय

75. अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर

2

लघु उद्योग मंत्रालय

76. विकास आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली

1

सांख्यिकी और कार्यक्र क्रियान्वयन मंत्रालय

77. सी.एस.ओ. - आई.एस. स्कंधा, कोलकाता

1

78. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, कोलकाता

1

79. पी.आई. - एफओडी, नई दिल्ली

1

ख. अन्य संगठन

परमाणु ऊर्जा विभाग

80. परमाणु इंधन परिसर, हैदराबाद

2

प्रकाशन विभाग

81. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली

1

राष्ट्रपति सचिवालय

82. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली

1

योजना आयोग

83. योजना आयोग, नई दिल्ली

2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाल आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

84. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता

2

कोयला मंत्रालय

85. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद

1

86. न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, न्येवेली

1

Ministry of Railways

73. Railway Board, New Delhi.

2

Ministry of Road Transport and Highways

74. Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi.

1

Ministry of Shipping

75. Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair.

2

Ministry of Small Scale Industries

76. Office of the Development Commissioner, New Delhi.

1

Ministry of Statistics and Programme Implementation

77. C.S.O.- I.S. Wing, Kolkata.

1

78. National Sample Survey Organisation, Kolkata.

1

79. PI – FOD, New Delhi.

1

B. Other Organisations (s)

Department of Atomic Energy

80. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad.

2

Department of Publication, New Delhi.

81. Department of Publication, New Delhi.

1

President Secretariat, New Delhi.

82. President Secretariat, New Delhi.

1

Planning Commission, New Delhi.

83. Planning Commission, New Delhi.

2

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

84. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata.

2

Ministry of Coal

85. Bharat Cooking Coal Limited, Dhanbad.

1

86. Neyvelilignite Corporation Limited, Neyveli.

1

नागर विमानन मंत्रालय

87. होटल कार्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, मुंबई 1
88. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुर्सतगंज एयरफील्ड, राय बरेली 2

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

89. बेसिक केमिकल फार्मास्युटिकल एण्ड कोसमेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, मुंबई 1
90. चमड़ा निर्यात परिषद, चेन्नई 1
91. फाल्टा निर्यात प्रक्रमण अंचल, कोलकाता 1
92. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, कोट्टायम 1
93. कर्नाटक ऐनीबोटिक एण्ड फार्माक्युलस लिमिटेड, बंगलौर 1
94. मिनरल्स एंड मैटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली 1
95. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली 2
96. स्पाइसेज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, बंगलौर 1

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

97. सोसाइटी फार एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई 2

रक्षा मंत्रालय

98. भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद 1
99. मजगांव डाक लिमिटेड, मुंबई 1

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

100. हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअनंतपुरम 1

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

101. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली 2
102. एच.एम.टी. चिनार वाचेज़ लिमिटेड, श्रीनगर 1
103. भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई 1
104. प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद 1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

105. मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल 1

खान और खनिज मंत्रालय

106. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नागपुर 2

ऊर्जा मंत्रालय

107. सैट्रल पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर 2

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

108. इंडियन रेलवे कंटेनिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली 1
109. इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली 1

Ministry of Civil Aviation

87. Hotel Corporation of India. Limited, Mumbai. 1
88. Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Raebareli. 2

Ministry of Commerce and Industry

89. Basic Chemicals Pharmaceuticals and Cosmetics Export Promotion Council, (CHEMEXCIL), Mumbai. 1
90. Council For Leather Exports, Chennai. 1
91. Falta Special Economic Zone, Kolkata. 1
92. Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar. 1
93. Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore. 1
94. Mineral and Metals Trading Corporation Limited, New Delhi. 1
95. Project Equipment Corporation, Limited, New Delhi. 2
96. Spices Trading Corporation Limited, Bangalore. 1

Ministry of Communication and Information Technology

97. Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai. 2

Ministry of Defence

98. Bharat Dynamics Limited, Hyderabad. 1
99. Mazagon Dock Limited, Mumbai. 1

Ministry of Health and Family Welfare

100. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram 1

Ministry Of Heavy Industries and Public Enterprises

101. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi. 2
102. H.M.T. Chinar Watches Limited, Srinagar. 1
103. Indian Institute of Packaging, Mumbai. 1
104. Praga Tools Limited, Secunderabad. 1

Ministry of Human Resource Development

105. Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. 1

Ministry of Mines and Minerals

106. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. 2

Ministry of Power

107. Central Power Research Institute, Bangalore 2

Ministry of Railways

108. Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited, New Delhi. 1
109. Indian Railway Finance Corporation Limited, New Delhi. 1

110. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली 1
111. मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई 1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

112. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1
113. इंडियन आकादमी आफ साइंसेस, बंगलौर 2
114. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रापिकल मैट्रोलाजी, पुणे 2
115. इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फार पावडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटीरियल्स, हैदराबाद 1
116. जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर 2

पोत परिवहन मंत्रालय

117. मरुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा 1
118. मुंबई बंदरगाह न्यास, मुंबई 1
119. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई 1
120. तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन 1

जनजातीय कार्य मंत्रालय

121. ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशन (ट्राइफेड), नई दिल्ली 2

जल संसाधन मंत्रालय

122. भौखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़ 2
123. भौखरा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, तलवाड़ 1

110. IRCON International Limited, New Delhi.	1
111. Mumbai Railway Vikas Corporation Limited, Mumbai.	1

Ministry of Science and Technology

112. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.	1
113. Indian Academy of Sciences, Bangalore.	2
114. Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune.	2
115. International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad.	1
116. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.	2

Ministry of Shipping

117. Mormugao Port Trust, Goa.	1
118. Mumbai Port Trust, Mumbai.	1
119. Shipping Corporation of India Limited, Mumbai.	1
120. Tuticorin Port Trust, Tuticorin.	1

Ministry of Tribal Affairs

121. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.	2
--	---

Ministry of Water Resources

122. Bhakra Beas Management Board, Chandigarh.	2
123. Bhakra Beas Management Board, Talwara.	1

अनुलग्नक-IV

अभिलेख प्रबंधन पर वर्ष 2002 में आयोजित पांच/तीन दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्रम सं.	विभागीय अभिलेख अधिकारी	प्रायोजक संस्था का नाम (वर्णानक्रम में)
1.	कुमार, सुरेश	वायु सेना रिकार्ड कार्यालय, नई दिल्ली
2.	सेखों, आई.जे.एस.	वायु सेना रिकार्ड कार्यालय, नई दिल्ली
3.	शर्मा, के.आर.	वायु सेना रिकार्ड कार्यालय, नई दिल्ली
4.	प्रुस्टी, डी.के.	वायु सेना रिकार्ड कार्यालय, नई दिल्ली
5.	तलाशी, एम.एल.	वायु सेना रिकार्ड कार्यालय, नई दिल्ली
6.	भगवान, हर	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली
7.	सारौत, कैप्टन वी.एस.	बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप रिकार्ड्स, रुड़की
8.	कुमार, सुशील	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर
9.	दत्ता, के.के.	केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद (बिहार)
10.	शर्मा, यू.पी.	केन्द्रीय मनोविकार संस्थान, कांके, रांची (झारखंड)
11.	भम्बोटा, वी.के.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली
12.	पासवान, कृष्ण	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली
13.	जून, आर.सी.	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली
14.	लाल, पुरुषोत्तम	केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली, नई दिल्ली
15.	बैग, एम.आई.	केन्द्रीय रेशम बोर्ड, क्षेत्रीय विकास कार्यालय, भुवनेश्वर
16.	ओराम, इंद्रमणि	केन्द्रीय जल आयोग, भुवनेश्वर
17.	कुमार, ए. नगेन्द्र	कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केन्द्र, हैदराबाद
18.	अनिल कुमार, टी.के.	सेंटर फार मैटीरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, त्रिशूर
19.	मुरलीधरन, के.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, चेन्नई
20.	नेत्रम	रक्षा वैज्ञानिक सूचना और प्रलेखन केन्द्र, नई दिल्ली
21.	पद्मनाभन, वी.	परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई
22.	राम लखन	संस्कृति विभाग, नई दिल्ली
23.	सेनगुप्ता, एस.	दीपस्तंभ और दीपपोत विभाग, जिला गौतम बुद्ध नगर, नोएडा (उ.प्र.)
24.	कश्यप, रमेश चंद	दूर संचार विभाग, नई दिल्ली
25.	यादव, आर.के.	नागर विमानन महानिदेशालय, नई दिल्ली
26.	सिंह, गदाधर	निरीक्षण महानिदेशालय, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली
27.	कुंडू, पी.के.	महा निदेशालय, खान सुरक्षा, धनबाद
28.	बनवाल, बी.आर.	जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर

ANNEXURE - IV**NAMES OF DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS
WHO HAVE ATTENDED FIVE/ THREE DAY ORIENTATION COURSE IN
RECORDS MANAGEMENT**

S. No	Name of D.R.O.	Name of the Sponsoring Authority (in alphabetical order)
1.	Kumar, Suresh	Air Force Record Office, New Delhi.
2.	Sekhon, I.J.S	Air Force Record Office, New Delhi.
3.	Sharma, K.R.	Air Force Record Office, New Delhi.
4.	Prusty, D.K.	Air Force Record Office, New Delhi.
5.	Talashi, M.L.	Air Force Record Office, New Delhi.
6.	Bhagwan, Har	Airports Authority of India, New Delhi.
7.	Sorout, Captain V.S.	Bengal Engineer Group Records, Rookee.
8.	Kumar, Sushil	Central Bureau of Investigation, Jaipur.
9.	Dutta, K.K.	Central Fuel Research Institute, Dhanbad (Bihar)
10.	Sharma, U.P.	Central Institute of Psychiaty, Kanke, Ranchi (Jharkhand).
11.	Bhambota, V.K.	Central Road Research Institute Delhi, New Delhi.
12.	Paswan, Krishna	Central Road Research Institute Delhi, New Delhi.
13.	Joon, R.C.	Central Road Research Institute, New Delhi.
14.	Lal, Purushotam	Central Road Research Institute, New Delhi.
15.	Baig, M.I.	Central Silk Board, Regional Development Office, Bhubaneswar.
16.	Oram, Indramani	Central Water Commission, Bhubaneswar.
17.	Kumar, .A.Nagendra	Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad.
18.	T.K., Anil Kumar	Centre for Materials for Electronics Technology, Thrissur.
19.	Muraleedharan, K.	Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), Chennai.
20.	Netram	Defence Scientific Information and Documentation Centre, New Delhi.
21.	Padmanabhan, V.	Department of Atomic Energy, Mumbai.
22.	Ram Lakhan,	Department of Culture, New Delhi.
23.	Sengupta, S	Department of Lighthouse and Lightships, Distt. Gautam Budh Nagar, Noida. (U.P.).
24.	Kashyap, Ramesh Chand	Department of Telecommunication, New Delhi.
25.	Yadav, R.K.	Director General of Civil Aviation, New Delhi.
26.	Singh, Gadadhar	Directorate General of Inspection Customs and Central Excise, New Delhi.
27.	Kundu, P.K.	Directorate General of Mines Safety, Dhanbad.
28.	Banawal, B.R.	Directorate of Census Operations, Jaipur.

29. सहगल, ए.सी.	भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
30. शिवरामन, टी.	वायदा बाजार आयोग, मुंबई
31. चंद, मेजर सुभाष	गढ़वाल राइफल्स अभिलेख कार्यालय, लैंड्सडाउन
32. इंदिरा, पी.वी.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर, कोट्टायम (केरल)
33. कुमार, योगेन्द्र	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून
34. सक्सेना, पराग	इंस्टीट्यूट आफ माइक्रोबियल टेक्नोलाजी, चंडीगढ़
35. नंदी, ए.	समन्वित टेस्ट रेंज, रक्षा मंत्रालय, चांदीपुर उड़ीसा)
36. साहू, एम.ए.	आसूचना ब्यूरो, जयपुर
37. मीणा, राम प्रसाद	आंतरिक सुरक्षा अकादमी, माउंट आबू (राजस्थान)
38. प्रकाश, बी.एन.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
39. कृष्णमूर्ति, जी.एस.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
40. प्रभा, बी.एन.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
41. मणियन, राधा	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
42. गणेश, एल.सी.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
43. श्रीनागेश, जी.वी.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
44. राव, के. वादिराजा	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
45. पुजारी, ए.जी.	कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि. बंगलौर (कर्नाटक)
46. मीणा, पंखी लाल	नागर विमानन, नई दिल्ली
47. शिरिश, ओ.पी.	एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली
48. मिश्रा, डी.पी.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
49. हंसदा, ए.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
50. साहू, एन.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
51. नाइक, शशीन्द्र	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
52. बेहड़ा, देवानंद	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
53. आचार्य, शिशिर कुमार	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
54. साहू, एन.पी.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
55. यादव, सतीश चंद्र	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
56. मिश्रा, सी.आर.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
57. श्रीरामुलु, आर.	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर
58. स्वेन, बी.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भुवनेश्वर
59. शेषाद्रि, डी.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि., फरीदाबाद, हरियाणा
60. सेनगुप्ता, पिनाकी	राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायालयिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
61. शशिधरन, पी.के.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली

29. Sehgal, A.C. Food Corporation of India, New Delhi.
30. Sivaraman, T. Forward Markets Commission, Mumbai.
31. Chand, Major Subhash Garhwal Rifles Abhilekh Karyalaya, Lansdowne.
32. Indira, P.V. Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar, Kottayam (Kerala).
33. Kumar, Yogendra Indian Institute of Petroleum, Dehradun.
34. Saxena, Parag Institute of Microbial Technology, Chandigarh.
35. Nandi, A. Integrated Test Range, Ministry of Defence Chandipur (Orissa).
36. Sahoo, M.A. Intelligence Bureau, Jaipur.
37. Meena, Ram Prasad Internal Security Academy, Mount Abu (Raj.).
38. Prakash, B.N. Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore (Karnataka).
39. Krishnamurthy, G.S. Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore (Karnataka).
40. Prabha, B.N. Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore (Karnataka).
41. Manian, Radha Kudremukh Iron Ore Co. Ltd., Bangalore (Karnataka).
42. Ganesha, L.C. Kudremukh Iron Ore Company Ltd., Kudremukh (Karnataka).
43. Srinagesh, G.V. Kudremukh Iron Ore Company Ltd., Kudremukh (Karnataka).
44. Rao, K. Vadiraja Kudremukh Iron Ore Company Ltd., Mangalore (Karnataka).
45. Pujar, A.G. Kudremukh Iron Ore Company Ltd., Mangalore (Karnataka).
46. Meena, Pankhi Lal Ministry of Civil Aviation, New Delhi.
47. Shirish, O.P. MMTC Limited, New Delhi.
48. Mishra, D.P. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
49. Hansdah, A. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
50. Sahu, N. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
51. Naik, Sashindra National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
52. Behera, Devanand National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
53. Acharya, Sisir Kumar National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
54. Sahu, N.P. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
55. Yadav, Satish Chandra National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
56. Mishra, C.R. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
57. Sreeramulu, R. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
58. Swain, B. National Bank for Agriculture and Rural Development, Bhubaneswar.
59. Seshadri, D. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad (Haryana).
60. Sengupta, Pinaki National Institute of Criminology and Forensic Sciences, New Delhi.
61. Sasidharan, P.K. National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, New Delhi.

62. सुकुमार, एम. न्येवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. न्येवेली, कुड्डलौर जिला
63. मोन्ती, एन.एन. कार्यालय, महालेखाकार (ए एंड ई), भुवनेश्वर
64. परीड़ा, एन.सी. सहायक कल्याण आयुक्त कार्यालय, क्योंझर (उड़ीसा)
65. गूलिया, ओ.पी. कार्यालय मुख्य लेख नियंत्रक, नई दिल्ली
66. राजशेखरन, एस. कार्यालय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई
67. सोनी, एस.एन. कार्यालय आयकर आयुक्त जयपुर-1, जयपुर
68. मेशराम, ए.डी. कार्यालय रक्षा लेखा नियंत्रक, पुणे
69. केतकर, आर.वी. विकास आयुक्त कार्यालय (एसईईपीजेड) विशेषआर्थिक क्षेत्र, मुंबई
70. कुजार, टॉमस नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर (राजस्थान)
71. पटेल, आर.बी. कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, मुंबई
72. चंद, जगदीश पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली
73. खालसा, के.एम.एस. योजना आयोग, नई दिल्ली
74. नैयर, वी.के. योजना आयोग, नई दिल्ली
75. नंदा, सनातन प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), आकाशवाणीकटक (उड़ीसा)
76. राज कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
77. पति, यू.के. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), भुवनेश्वर
78. सिंह, मेजर सत्यपाल रिमाउंट वैटेरनेरी रिकार्ड्स, मेरठ छावनी
79. कुमार, प्रशांत सर्वे आफ इंडिया, दक्षिण-पूर्व सर्किल, भुवनेश्वर
80. मंत्री, एस.बी. टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई
81. दास, प्रबीर रंजन टी बोर्ड (इंडिया) कोलकाता
82. शर्मा, एस.एम. टी बोर्ड (इंडिया) कोलकाता
83. चटर्जी, स्वप्न कुमार टी बोर्ड (इंडिया) कोलकाता
84. भट्टाचार्य, बी.एन. टी बोर्ड (इंडिया) कोलकाता
85. बोरो, प्रह्लाद चंद टी बोर्ड (इंडिया) कोलकाता
86. वैतीश्वरन, वी. रबड़ बोर्ड, कोलकाता
87. नंदीपति बद्री नारायण तम्बाकू बोर्ड (वाणिज्य मंत्रालय) गुंटूर
88. रामनाथन, वी. ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशनआफ (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
89. चौहान, एच.पी.एस. ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशनआफ (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
90. राव, एन.एस. ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डिवेलपमेंट फेडरेशनआफ (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता
91. शर्मा, बी.के. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर
92. शर्मा, एन.के. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, जयपुर
93. पांडेय, नूतन विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नई दिल्ली
94. बेहेड़ा, एम.सी. जल आपूर्ति अन्वेषण उड़ीसा, भुवनेश्वर

62. Sukumar, M. Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli, Cuddalore District.
63. Mohanty, N.N. Office of the Accountant General (A&E), Bhubaneswar.
64. Parida, N.C. Office of the Assistant Welfare Commissioner, Koonjhar (Orissa).
65. Gulia, O.P. Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi.
66. Rajasekaran, S. Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai.
67. Soni, S.N. Office of the Commissioner of Income Tax Jaipur-I, Jaipur.
68. Meshram, A.D. Office of the Controller of Defence Accounts, Pune.
69. Ketkar, R.V. Office of the Development Commissioner, (Seepz) Special Economic Zone, Mumbai.
70. Kujar, Thomas Office of the Salt Commissioner, Jaipur.
71. Patel, R.B. Office of the Textile Commissioner, Mumbai.
72. Chand, Jagdish PEC Limited, New Delhi.
73. Khalsa, K.M.S. Planning Commission, New Delhi.
74. Nayyar, V.K. Planning Commission, New Delhi.
75. Nanda, Sanatam Prasar Bharati, (Broadcasting Corporation of India), All India Radio, Cuttack (Orissa).
76. Raj Kumar, President's Secretariat, New Delhi.
77. Pati, U.K. Regional Institute of Education, (National Council of Educational Research and Training), Bhubaneswar.
78. Singh, Major Satya Pal Remount Veterinary Records, Meerut Cantt.
79. Kumar, Prasanta Survey of India, South Eastern Circle, Bhubaneswar.
80. Mantri, S.V. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai.
81. Das, Prabir Ranjan Tea Board (India), Kolkata
82. Sharma, S.M. Tea Board (India), Kolkata.
83. Chatterji, Swapan Kumar Tea Board (India), Kolkata.
84. Bhattacharya, B.N. Tea Board (India), Kolkata.
85. Boro, Prahlad Chandra Tea Board (India), Kolkata.
86. Vaitheeswaran, V. The Rubber Board, Kottayam.
87. Nandipati, Badri Narayan Tobacco Board (Ministry of Commerce), Guntur.
88. Ramanathan, V. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.
89. Chauhan, H.P.S. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.
90. Rao, N.S. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.
91. Sharma, B.K. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur.
92. Sharma, N.K. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Jaipur.
93. Pandey, Nutan Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, New Delhi.
94. Behera, M.C. Water Survey and Investigation Orissa, Bhubaneswar.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA